खण्ड–489, अंक–9
मंगलवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1936
(01 जुलाई, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
दिनांक 30 जून, 2014 को विधान भवन के सामने एक राजनैतिक दल द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई तथा उग्र प्रदर्शन से विधान भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत 50 गज की दूरी पर स्थित किसी राजनैतिक पार्टी के कार्यालय को हटाने की मांग	7-11
प्रश्नोत्तर	11-58
आज की कार्यसूची में नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	58-60
प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न... ...	60
पीस पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	60-64
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	64-66
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड अन्तर्गत सुरबादलापुर में 35 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे बने तटबन्धों के शेष बचे गांवों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय में व्याप्त दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय पर्यटक स्थलों का सुन्दरीकरण एवं जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा मरीजों को सहयोग प्रदान किये जाने के प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीया अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 की बन्द पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति लेवल-3 से लेबल-4 में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	69
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत जर्जर तिलहर-निगोहीं मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद चन्दौसी के विधान सभा क्षेत्र सैय्यद राजा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	70-71
जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा ग्राम-वघावली की माइनर से लगभग 1 किमी0 पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद चित्रकूट के कामदगिरि स्वामी की परिक्रमा स्थल के चारों ओर छायादार वृक्ष वैष्णों देवी की तर्ज पर छाया शेड लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद अम्बेडकर नगर में मकरही, मंझनपुर, फिटकहवां, यादव बस्ती के सामने वाले 6 पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	72
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों की बैठक न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72-74
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013 (प्रस्तुत किया गया)	74
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का महाकुम्भ मेला, 2013, इलाहाबाद पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 (प्रस्तुत किया गया) ...	74
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौर के ग्राम बरगांव होते हुए नगला ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	75
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कपसिया से मुबारिकपुर होते हुए ग्राम टीकरीकला तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती मनू शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरुद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	75
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की कतिपय जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती उर्मिला चौधरी आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	75-76
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76-81
दिनांक 30 जून, 2014 को विधान भवन के सामने एक राजनैतिक दल द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई तथा उग्र प्रदर्शन से विधान भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए 50 गज की दूरी पर स्थित किसी भी राजनैतिक पार्टी के कार्यालय को हटाये जाने की मांग (जारी)	81-88
वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)...	88-94
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ...	94-95
विधान भवन की कैन्टीन में बिना प्याज लहसुन के खाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	95-96
पीस पार्टी के सदस्यों के बैठने हेतु व्यवस्था का प्रश्न	96-97
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग सहकारिता (जारी)	97-108
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं वित्तीय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-9-ऊर्जा विभाग	108-128

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान संख्या-01 आबकारी विभाग अनुदान संख्या-60-वन विभाग ...	128-143
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014	144-158
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव...	158
जनपद बरेली के अनेक मुहल्लों में लकड़ी की बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली खम्बे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में डॉ0 अरुण कुमार द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन	158-159
नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा रिट दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अनेक मा0 सदस्यों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत अभिसूचित आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन... ...	159
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	159-161
लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में अवैध पार्किंग स्थलों पर अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	161-163
जनपद बलिया के रसड़ा अन्तर्गत राजकीय बालिका विद्यालय के भवन को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	163-164
जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर के ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नैती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य	164-165
जनपद मऊ के सूरजपुर से मौलापुर मिसरौली तक जर्जर रिंग बांध की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	165-166
जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर से तहसील-स्वार मार्ग तक सैजनी नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)... ...	166
जनपद बदायूं के उसावां, उसैहत, छतागंज आदि क्षेत्रों में ई0ओ0 की मिली भगत से दबंगों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में श्री सिनोद कुमार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	166-167

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद संतकबीर नगर के अधिशासी अभियन्ता सरजू नहर खण्ड द्वारा कास्तकारों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	...	167
आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	167
जनपद मथुरा के कस्बा बाजार स्थित फजल थियेटर की अपील पर मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलबीर सिंह द्वारा नियम-51 का अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	... ...	167
जनपद कासगंज में अरमापुर क्षेत्रान्तर्गत सहावर में तहसील परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)...	...	168
नत्थी	... ...	169

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 जुलाई, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-329

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
28. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
29. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45. इकबाल महमूद, श्री — संभल
46. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर

51.	उदयराज, श्री	उन्नाव
52.	उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी
53.	उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
54.	उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन
55.	उमाशंकर, श्री	बलिया
56.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
57.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
58.	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
59.	ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद
60.	कमाल अख्तर, श्री	अमरोहा
61.	काली चरन सुमन, श्री	आगरा
62.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
63.	कृष्ण कुमार ओझा, श्री	बहराइच
64.	कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री	झांसी
65.	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
66.	कैलाश, श्री	गाजीपुर
67.	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
68.	कौशल सिंह कुंवर, श्री	महराजगंज
69.	गंगा सिंह कुशवाहा, श्री	कुशीनगर
70.	गजराज सिंह, श्री	हापुड़
71.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
72.	गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर
73.	गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
74.	गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा
75.	गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
76.	गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
77.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस
78.	गोमती यादव, श्री	लखनऊ
79.	गोरख पासवान, श्री	बलिया
80.	चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
81.	चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
82.	चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
83.	छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
84.	जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
85.	जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
86.	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
87.	जगपाल, श्री	सहारनपुर
88.	जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
89.	जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
90.	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
91.	जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ़
92.	जय प्रकाश निषाद, श्री	गोरखपुर
93.	जय प्रकाश अंचल, श्री	बलिया
94.	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
95.	जाहीद बेग, श्री	सन्तरविदास नगर (भदोही)
96.	जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
97.	जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
98.	ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
99.	तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
100.	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
101.	त्रिभुवन राम, श्री	वाराणसी
102.	दयाशंकर वर्मा, श्री	जालौन
103.	दलजीत सिंह, श्री	बांदा
104.	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
105.	दिलनवाज खान, श्री	बुलन्दशहर
106.	दीपक पटेल, श्री	इलाहाबाद
107.	दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री	झांसी
108.	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
109.	देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	महराजगंज
110.	देवेन्द्र अग्रवाल, श्री	हाथरस
111.	देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
112.	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली

113. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
114. धर्मराज, श्री बाराबंकी
115. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
117. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
118. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. नारद राय, श्री बलिया
121. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
124. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
125. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
126. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
127. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
128. पीतमराम, श्री पीलीभीत
129. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
130. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
131. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
132. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
133. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
134. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
135. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
136. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
137. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
138. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
139. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
140. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
141. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
142. फेरन लाल, श्री ललितपुर
143. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
144. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
145. बदलू खां, श्री उन्नाव
146. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
147. बाबू खां, श्री हरदोई
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
151. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
152. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
156. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
157. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
158. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
159. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
160. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
163. मनबोध, श्री देवरिया
164. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
165. मनीष रावत, श्री सीतापुर
166. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
167. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
168. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
169. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
170. महबूब अली, श्री अमरोहा
171. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
172. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
173. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
175. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
176. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर

177. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
178. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
179. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
180. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
181. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
182. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
183. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
184. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
185. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
186. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
187. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
188. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
189. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
190. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
191. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
192. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
193. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
194. यासर शाह, श्री बहराइच
195. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
196. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
197. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
198. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
199. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
200. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
201. रणजीत सुमन, श्री एटा
202. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
203. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
204. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
205. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
206. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
207. रवि शर्मा, श्री झांसी
208. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
209. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
210. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
211. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
212. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
213. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
214. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
215. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
216. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
217. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
218. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम, श्री अमेठी
223. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
224. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
225. राम करन आर्य, श्री बस्ती
226. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
227. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
228. राम गोविन्द, श्री बलिया
229. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
230. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
231. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
232. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
233. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राम मगन, श्री बाराबंकी
235. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
236. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
237. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
238. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
239. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
240. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
241. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
242. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा

243. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
244. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
245. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
246. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
247. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
248. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
249. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
250. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
251. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
252. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
253. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
254. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
255. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
256. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
257. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
258. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
259. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
260. विजय सिंह, श्री रामपुर
261. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
262. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
263. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
264. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
265. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
266. वीरपाल राठी, श्री बागपत
267. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
268. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
269. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
270. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
271. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
272. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
273. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
274. शाकिर अली, श्री देवरिया
275. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
276. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
277. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
278. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
279. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
280. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
281. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
282. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
283. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
284. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
285. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
286. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
287. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
288. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
289. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
290. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
291. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
292. संजय कपूर, श्री रामपुर
293. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
294. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
295. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
296. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
297. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
298. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
299. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
300. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
301. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
302. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
303. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
304. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर

305. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
306. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
307. सियाराम सागर, डा0 बरेली
308. सीमा, श्रीमती जौनपुर
309. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
310. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
311. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
312. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
313. सुधाकर, श्री मऊ
314. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
315. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
316. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
317. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
318. सुरेश राणा, श्री शामली
319. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
320. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
321. सुल्तान बेग, श्री बरेली
322. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
323. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
324. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
325. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
326. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
327. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
328. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
329. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण व विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11.00] दिनांक 30 जून, 2014 को विधान भवन के सामने एक राजनैतिक दल द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई तथा उग्र प्रदर्शन से विधान भवन की सुरक्षा को दृष्टिगत 50 गज की दूरी पर स्थित किसी भी राजनैतिक पार्टी के कार्यालय को हटाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही गम्भीर मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और सदन के संज्ञान में भी। मान्यवर, हम अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किस हद तक जायेंगे, उसकी सीमायें क्या होंगी और उस लक्ष्य को हासिल करने में लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, आम इंसान का, सरकारी जायदाद का, आम आदमी की जायदाद का, अस्पताल में दाखिल मरीजों का और खुद विधान सभा और विधान सभा के अन्दर काम करने लोगों, कर्मचारियों, खुद आप, मुख्य मंत्री, मंत्रिगण, उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध होगा ? हम अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए समाज को किस हद तक इम्तिहान में डालेंगे। मान्यवर, कल विधान सभा के गेट पर जो कुछ हुआ, हमारे अपने राजनीतिक तजुर्बे का यह पहला शर्मनाक वाक्या था। मान्यवर, संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन पुलिस कर्मचारियों को लाठियों से पीटते हुए राजनीतिक दल के लोग, ये तस्वीरें हैं, जनता की गाड़ियों पर खड़े होकर गाड़ियों को तोड़ना, यहां तक कि पथराव से विधान सभा के खिड़कियों के शीशे तोड़ देना और एक कर्मचारी के पैर में चोट आना, यह अराजक भीड़ अगर विधान सभा के अन्दर दाखिल हो गयी होती तो जाहिर है कि नतीजे वो नहीं होते जो आज आपको यहां नजर आ रहा है। मंहगाई, भुखमरी, लोगों से किये हुए वायदों की नाकामी, उसका रूख बदलने के लिए जिस तरह की कार्यवाईयां हो रही हैं मान्यवर, यह बहुत घातक हैं, बहुत खतरनाक हैं और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को जो दिल है हिन्दुस्तान का, जिसमें अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, साम्प्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज ही डीजल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ा है, प्याज की कीमतें ज्यादा हुई हैं, सब्जियां मंहगी हुई हैं, दालें मंहगी हुई हैं, शक्कर मंहगी हुई है, एक आम आदमी की जिन्दगी बहुत मंहगी हो गयी है। ऐसे में मान्यवर, मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं एक विधायक होने के नाते और एक अम्न पसंद शहरी होने के नाते और क्योंकि इस सदन में मुझे संसदीय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी भी मिली हुई है और यह जिम्मेदारी है कि जिस वक्त यहां सदन चल रहा था और पूरा यहां पर कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी उस वक्त विधान सभा के एक दरवाजे पर एक ऐसा अराजक दृश्य था जिसे देखकर किसी को भी शर्मिन्दगी होनी चाहिए और लोकतंत्र की टूटती हुई सांसों का नजारा दिखना चाहिए। मान्यवर, अस्पताल में मरीजों को निकाल कर बाहर किया गया, सड़कों पर जो नंगा नांच हुआ वह सब सामने है। मात्र 50 गज के फासले पर किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय होना मुनासिब नहीं है। हमारे सामने एक तजुर्बा आया है और बहुत खतरनाक तजुर्आ है, मैं इस पर आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह बात सुनिश्चित हो, हर तरह से कि विधान सभा महफूज रहेगी, विधान सभा का माहौल महफूज रहेगा, विधान सभा के परिसर में काम करने वालों के साथ-साथ इस सदन में बैठने वाले लोगों की भी

हिफाजत रहेगी। इसे बहुत गम्भीरता से लेने की जरूरत है और ऐसे तमाम राजनीतिक दल, जो विधान सभा से मात्र 50 गज के फासले पर हैं, तुरन्त उन्हें यहां से हटाने जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो कल घटना हुई है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। विशेष रूप से जो प्रतिपक्ष होता है तो सरकार को वास्तविक स्थितियों से अवगत कराने का काम विपक्ष का होता है। आज प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है ला एण्ड आर्डर समाप्त है लड़कियों के साथ उत्पीड़न करके उनकी हत्या करके उनकी लाश को पेड़ पर टांगा जा रहा है थानों के अन्तर्गत बलात्कार हो रहे हैं पुलिस वालों की हत्या हो रही है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने एवं अखबारों की कटिंग दिखाने पर व्यवधान)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यह ला एण्ड आर्डर कौन क्रिएट कर रहा है। आप ला एण्ड आर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री सतीश महाना-

आप लोगों को सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे हम चुपचाप यहां पर बैठे सुन रहे थे।

श्री अम्बिका चौधरी-

विधान सभा के दरवाजे पर हथियारों का जखीरा, पत्थरों का जुटाया जाना, एसिड बल्ब, तेजाब की बोतल यह सारी चीजें इकट्ठा की गई। कानून व्यवस्था को खराब करने की आपकी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी।

श्री सतीश महाना-

आप इस प्रकार से हमारी आवाज को दबा नहीं सकते।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठ जाएं नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। योगेश प्रताप जी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात चालू है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जिस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे हमने उसको धैर्यपूर्वक सुना है। यहां पर सारे मंत्री खड़े होकर सारी सरकार खड़ी होकर आप संदेश क्या देना चाहते हैं। आप लोकतंत्र में बात नहीं सुनना चाहते। इस प्रकार पर्चे लहराकर क्या संदेश देना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

हथियारों का जखीरा कार्यालय को बनाकर इस तरह का आचरण किया जाएगा।

श्री सतीश महाना-

हमारे द्वारा कोई आचरण खराब नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपकी शिकायत अपनी जगह लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप अपने कार्यालय में हथियार जमा करेंगे, बम जमा करेंगे, विधान सभा पर हमला करेंगे पूरे हिन्दुस्तान को जलाकर खाक करेंगे आप। पूरे प्रदेश में आग लगायेंगे आप, विधान सभा पर बम मारेंगे, पथराव करेंगे, इस तरह से पुलिस को आप मारेंगे, गाड़ियां आप तोड़ेंगे, मीडिया पर हमला करेंगे, यह कैसा लोकतंत्र है, कैसे लोकतंत्र चलेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ऊंची आवाज कर के सत्य को झुठ नहीं बनाया जा सकता। सच तो यह है मान्यवर, कि आज प्रदेश में अर्नाकी का वातावरण है। ऊंची आवाज करके आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। आप हमारी बात सुनिये मान्यवर। हमारा बड़ा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप इनको बैठाइये।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शान्त हो जायं आप लोग। माननीय देव नारायण जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय आर्य जी, आप लोग बैठ जायं। उनको भी अपनी बात कहने दीजिये, बैठें आप।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात सुनिये। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इनको बैठाइये। जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे तो हमने धैर्यपूर्वक सुना। अब आप इनको बैठाइये और हमारी बात भी सुन लीजिये। हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। प्रदेश में जिस तरह से माहौल खराब करना चाहते है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप लोग शान्त हो जायं। उनको भी अपनी बात कहने दीजिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी कहे बगैर नहीं बैठूंगा। मान्यवर, जो बात संसदीय कार्य मंत्री ने उठाई है उसका जवाब देने का अधिकार है। मान्यवर, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री को अपनी बात कहने के लिये इस प्रकार का वातावरण बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास हुआ है विधान सभा परिसर के सामने, मान्यवर, इससे शर्मनाक दूसरा उदाहरण और नहीं हो सकता और तात्कालिक तौर पर हिंसा नहीं मान्यवर, पूरी साजिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ दफ्तर पर पूरा ईटा, पत्थर, बम, हथियार, औजार इकट्ठा करके यह कार्य हो रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के खड़े होकर जोर-जोर से बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बैठें तो। आज पूरी सरकार खड़ी है बचाव के लिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम जिन बापू की तस्वीर के नीचे बैठे है उनका कल सार्वजनिक तौर पर अपमान किया है इन लोगों ने। उनका नाम लेकर अपमान किया है मान्यवर। मान्यवर, इसका संज्ञान नहीं लेंगें, इससे गम्भीर स्थिति और क्या हो सकती है। यह सदन की कार्यवाही यहां बाधित कर रहे थे और बाहर हिंसा करवा रहे थे, ईटा चलवा रहे थे। मान्यवर, यह सुनियोजित साजिश है। आधी पीठ को यहां बैठा रखा था और आधी पीठ को बाहर भेज रखा था। यह सब एक साजिश के तहत करा रहे थे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस प्रकार की कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। लोकतांत्रिक तरीके से जैसे अपनी बात कहनी चाहिए हम अपनी बात वहां पर रख रहे थे। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग वहां पर उतरे और वहां पर इस तरह का वातावरण बना दिया। कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा और मिर्ची बम फेंके गये मान्यवर। मान्यवर, अगर अखबारों का संज्ञान लेकर बात करेंगें तो विधान सभा में रोज अखबार दिखाये जायेंगें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं, इनके मनसूबे कामयाब होने नहीं दिये जायेंगें। सवाल यहां लगे थे, वक्तव्य यहां लगे थे और यह बाहर अराजकता कर रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप लोग बैठ जायं। इनको भी अपनी बात कहने दें।

(समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के साथ-साथ बोलते रहने पर व्यवधान जारी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसके बाद मिर्च बम फेंके गये, जिसका प्रभाव विधान सभा में भी दिखायी पड़ा, मान्यवर, इस प्रकार का आचरण हुआ है। इस प्रकार के आचरण की मान्यता लोकतंत्र में नहीं हो सकती। इस प्रकार की छूट किसी भी सरकार को नहीं हो सकती कि जो चाहे करे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के कारण श्री सुरेश कुमार खन्ना अपना व्यवस्था का प्रश्न नहीं रख सके।)

श्री सुरेश राणा-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान के कारण श्री सुरेश राणा भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं रख सके।)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक [x x x] को सच साबित करने के लिए पूरी सरकार को खड़ा होना पड़ रहा है।

(समाजवादी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी)

(11 बजकर 27 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 37 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 47 मिनट पर विधान सभा की बैठक श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य तथा श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 5 व कक्षा 8 तक के प्राइवेट (निजी) स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अच्छी एजूकेशन प्राप्त कराने के उद्देश्य से

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का नियम प्रदेश में वर्ष 2012 से लागू है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना के अन्तर्गत कितने बच्चे लाभान्वित हुये तथा आगामी शिक्षा सत्र जो जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होगा, में कितने छात्रों को लाभ पहुंचाने की योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बच्चों की शिक्षा का वित्त पोषण किस योजना से होता है ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(1) (ग) के अन्तर्गत आस-पड़ोस के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा की कुल सीट क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्राविधान शैक्षिक सत्र 2013-14 से लागू है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 60 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए तथा आगामी शिक्षा सत्र 2014-15 में लक्ष्य समूह के अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

उक्त योजना के अधीन अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा के निमित्त शुल्क की प्रतिपूर्ति पर आने वाला व्यय भार राज्य सरकार के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न ले रहे है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में एक अधिनियम बनाकर दिया गया था जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में 25 परसेण्ट दुर्बल आय वर्ग के लोग प्रवेश पा सकेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार ने भी दिसम्बर, 2012 में एक शासनादेश जारी किया और इसकी उपलब्धि उत्तर के दूसरे पैराग्राफ में है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 60 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुये। मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है और 25 परसेण्ट बच्चे निजी स्कूलों में, कॉन्वेण्ट स्कूलों में शिक्षा लेने का, प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर चुके है और केवल 60 बच्चे 2013-14 में लाभान्वित हुये। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 बच्चों के साथ यदि निजी स्कूल के प्रबंधक या मैनेजर मना करें प्रवेश लेने से तो उसका उपचार क्या है मान्यवर और दूसरा अगर भेदभाव करें मान्यवर, तो उसके लिए प्राविधान क्या है सजा का और दूसरी बात यह दुर्बल वर्ग जो है इसको मान्यवर, जरा परिभाषित करवा दें कि दुर्बल वर्ग में किस सीमा तक के आय के लोग इसमें प्रवेश पाने के अधिकारी है। ये दो सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्योंकि इस योजना की प्रगति लगभग नगण्य है, शून्य के बराबर है और बहुत अच्छी योजना है, भारत सरकार में साढ़े चार सौ रुपया प्रतिपूर्ति का भी देती है मान्यवर, लेकिन इसकी उत्तर प्रदेश में कोई प्रगति अभी तक दिखायी नहीं पड़ी। आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2013-14 से यह योजना प्रदेश में लागू है और उस समय व्यापक प्रचार-प्रसार भी नहीं हुआ था, इसलिए कम बच्चों को लाभ मिला। इस बार 5 अखबारों में इसकी सूचना दी गयी है ताकि अधिक-से-अधिक बच्चे इसका लाभ पा सकें। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर एक किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल है तथा 3 किलोमीटर के अंदर पर उच्च प्राथमिक स्कूल है, जो बच्चे हमारे प्राथमिक स्कूल, जूनियर स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों में जब बच्चों की सीटें भर जायेंगी और उससे जो बच्चे बचेंगे, उन्हीं से इन स्कूलों में दाखिल कराने का प्राविधान है, तो जब हमारे एक-एक किलोमीटर पर स्कूल है और हर तीन किलोमीटर पर स्कूल है। अगर जैसे मा0 सदस्य कह रहे हैं, उस तरह का नहीं है। अलाभित समूह में ओ वाले लोग, ऐसे माता-पिता अभिभावक जो एच0आई0वी0 अथवा कैंसर से पीड़ित हैं का बालक अथवा ऐसा बालक जो अनाथ है, भी अलाभित समूह का बालक होगा। ऐसे माता-पिता अथवा अभिभावक जिनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं है, का बालक दुर्बल आय वर्ग का बालक होगा। परन्तु यह कि विद्यालयों में प्रवेश के माता-पिता, अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 35000/- रुपये से अधिक नहीं है ऐसे बालकों प्रतिपालियों के प्रथम वरीयता दी जायेगी। उसके उपरान्त यदि प्रवेश की सीट तब तक भी रिक्त रहती है तो रुपया 35000/- से अधिक की वार्षिक आय वाले माता-पिता की अवरोही क्रम में तैयार की गयी सूची के अनुसार बालकों को लिया जायेगा। श्रीमन्, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जो परिषदीय स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और एडेड स्कूल में नामांकन से अधिक बच्चे बच जायेंगे, उन्हीं में से 25 प्रतिशत बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराये जाने का प्राविधान है। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने एक शब्द कहा कि इसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है। वह केन्द्र सरकार नहीं करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार करती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इस योजना का लाभ मान्यवर, प्रदेश में इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मा0 मंत्री जी ने एक राइडर लगा दिया और वह राइडर यह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस बात का प्रमाण-पत्र दे कि उस क्षेत्र में मानक के अनुसार विद्यालय मौजूद हैं और विद्यालयों का हाल क्या है मान्यवर, मैं शाहजहांपुर का मान्यवर, बता दूं 61 विद्यालय हमारे यहां शाहजहांपुर में हैं, जिसमें से 8 जूनियर और 53 प्राथमिक है। ये 60 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के किराये के भवन में हैं और एक भी भवन मान्यवर, मानक के अनुसार नहीं है। इसीलिए मान्यवर, हमने विशेष रूप से एक सवाल लगाया था। भवन जर्जर हैं, किसी वक्त कोई भी दुघर्टना हो सकती है। कई भवनों में मान्यवर, कभी दीवार गिर गई, कभी टीन गिर गई और जितना पानी बरसात में अन्दर बरसता है मान्यवर, स्कूल में, बाहर बरसात तो रुक जाती है जितना पानी बाहर बरसता है, उतना ही बरसात रूकने के बाद अन्दर बरसता है। मान्यवर, छतें यूं रही हैं, बहुत से स्कूल 60 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के किराये के भवन में चल रहे हे। मान्यवर, जो राइडर लगा है उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमाण-पत्र जरूरी है। उनको यह बात लिखनी होती है कि सरकारी स्कूल वहां पर नहीं हैं, तभी जाकर निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है, या अगर स्थान है तो मानक के अनुरूप हैं कि नहीं मान्यवर, जो यह अधिकार दिया गया है उसमें यही है कि इच्छुक बच्चों को निजी स्कूलों में भी प्रवेश दिलाया जाय।

मान्यवर, इसमें दिसम्बर, 2012 में यह राइडर लगाया गया है क्या इसको हटाने पर विचार करेंगे, ताकि इस योजना कमा लाभ उन सभी बच्चों को मिल सके जो प्रवेश लेना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह पहले भी सवाल आया था। मान्यवर, यह कहा गया कि प्रदेश में इतने जर्जर-जर्जर भवन हैं यह बरसात में चू रहे हैं या गिरने की स्थिति में हैं, उनकी सूची उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, यह भी कहा गया कि बहुत से स्कूल 200 रुपये किराये के भवन में चल रहे हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नगरों में बहुत समय पहले जब यह स्कूल खुले थे तो उनको किराये के भवन में संचालित किया गया था। यह उसी समय का भाड़ा है। मान्यवर, माननीय सदस्य ऐसे भवनों की खाली कराने के लिये और मकान मालिकों को उसे वापस कराने के लिए इस तरह की बात सदन में करते हैं। मान्यवर, हमारे सभी स्कूल मानक के अनुरूप हैं, मानक के अनुरूप संचालित हैं। मान्यवर, जहां तक बैरियर की बात कही गयी तो मान्यवर, हम लोगों ने इतने विद्यालय क्यों खोले हैं और इतनी भर्ती क्यों करने जा रहे हैं। मान्यवर, जब भर्ती हो जायेगी, तो यह सब स्कूलों में बच्चे भर जायेंगे। तब भी यदि इन स्कूलों में प्रवेश लेने में दिक्कत होगी तो छूट प्रदान करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे जनपद शाहजहांपुर में 61 ऐसे विद्यालय हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। आप चाहें तो विधान सभा की एक समिति वहां भेजकर दिखवा लें।

श्री नीरज (मौर्य) कुशवाहा-

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित मेरा भी प्रश्न था परन्तु उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मान्यवर, बेसिक शिक्षा में तमाम बार यह विषय उठ चुका है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी की नीयति साफ है लेकिन वह भी मानते हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। मान्यवर, इस तीस महीने के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी ने कोई औचक निरीक्षण का कार्य नहीं किया है। माननीय मंत्री जी नहीं कहते रहे हैं कि इस सदन के सदस्य यदि चाहें तो बेसिक शिक्षा की स्थिति सुधर सकती है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में बी0एस0ए0 और ए0बी0एस0ए0 से मिला हूं और कुछ लोगों ने मुझ से सम्पर्क करने का भी कार्य किया है। मान्यवर, जब उनसे जानकारी ली जाती है तो वह हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम लोग कुछ हैं ही नहीं। मान्यवर, हमारे गांव में एक विद्यालय है बाड़खुर्द उसकी स्थिति आप दिखवा लें। वहां पर अध्यापक नहीं हैं चूंकि आने वाले समय में स्कूल आज से खुल गये होंगे सम्भवतः तो मैंने उनसे बात करना चाहा उनकी जो शैली, जो तरीका था तो उससे मुझे ही अपने आपको यह करना पड़ा कि ठीक हैं आगे कहीं बीएसए या आगे कहीं बात करूंगा। चूंकि माननीय मंत्री जी जो यहां प्रश्न छपा है और जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर भी मुझे नहीं मिला है तो मैं उसमें कोई विवाद, चूंकि उत्तर मेरा आया होता तो मैं उसमें कोई बात रखता इसलिए मैं उसमें आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से आश्वासन भी चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा को अगर सुधारना है तो स्कूलों में आपके माध्यम से सरकार के माध्यम से औचक निरीक्षण करके पहले यह सुनिश्चित कराया जाय कि जो अध्यापक स्कूलों में लगे हुए हैं वह समय से आने का काम करते हैं और समय से जाने का काम करते हैं। यह दोनों चीजें अगर सुनिश्चित नहीं होगी तो मंत्री जी की नीयत साफ हो सकती है लेकिन व्यवस्था में सुधार होने की कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक बड़ी गम्भीर बात कहीं हैं माननीय सदस्य ने, माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हों उनका सम्मान, अधिकारियों से है उच्च सम्मान। अगर हमारा कोई अधिकारी किसी भी सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा वह लिखकर दे तो मैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात इन्होंने कहा निगरानी, निगरानी के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी हैं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ए0डी0 बेसिक हैं, निदेशक हैं, सचिवालय के लोग हैं और मैं तमाम सदस्यों से कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना किया हूं कि एस0डी0आई0 से क्यों पूछते हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं स्कूल में एक मिनट के लिए चले जाइये। एस0डी0आई0 से पूछेंगे तो एस0डी0आई0 आपको सही बात बतायेगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछेंगे तो वह आपको सही बात बतायेगा ? आप जब स्कूल में चले जायेंगे दो मिनट के लिए, केवल चले जाना ही माननीय सदस्यों का, उनका पसीना छूट जायेगा। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता प्लस शिक्षा के लिए जो मिले गरीब लोगों के बच्चों को, किसान के बच्चों को और असहाय व्यक्तियों के बच्चों को, यह आवश्यक है कि हम सभी सदस्यों के लिए कि जब हम क्षेत्र में जाते ही हैं सड़क देखते हैं, पुल देखते हैं कैसे बना है थोड़ा स्कूल भी हम देख लें और अब अच्छी व्यवस्था से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मेरे लगातार 2 साल से प्रयास के बाद से अब आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी अगर शिकायत मिलेगी तो हम यहां पर मौजूद हैं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के सम्मान का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मैं उसको लिखित रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा लेकिन जो व्यवस्था आज चल रही है जिसमें बीआरसी केन्द्र बनाये गये हैं मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि बीआरसी केन्द्रों पर जो अध्यापक लगाये गये हैं उन अध्यापकों की जगह अगर आप परमानेन्ट कोई कर्मचारी लगायें क्योंकि इसमे भी तमाम अध्यापक लगे रहते हैं कि हमको बीआरसी बना दिया जाये, को-आर्डीनेटर बना दिया जाय तो इस व्यवस्था को भी कृपया दिखवा लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था को हम समाप्त किये थे तो वह लोग हाईकोर्ट में गये हाईकोर्ट ने कहा इनको रखिये रखा गया है श्रीमन्।

(श्री मनीष असीजा का नाम पुकारे जाने पर और उनके द्वारा प्रश्न न पूछने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह नहीं पूंछेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ केवल एक सवाल आपके माध्यम से अन्त में पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम घुमा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, आपका संरक्षण चाहते हैं इस सदन की एक कमेटी बना दें और हम उसमें रहेंगे न मान्यवर, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वह जा करके देख आयें शाहजहांपुर में 61 स्कूल हैं उसमें कितने मानक के अनुरूप

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहे हैं। मैंने खुद देखा हैं और मैं यह नहीं कहता हूं कि उनका किराया बढ़ा दो, मैं यह नहीं कहता उनका भवन खाली करा दो आप उसके लिए कोई रास्ता निकाल लो या फिर जो व्यवस्था जो कानून है उसके तहत आप प्रवेश दिलवा दें दो में से एक काम तो कर दें। मान्यवर, जिस मंशा से एक कानून बना उसकी मंशा पूरी नहीं हुई मेरी पीड़ा यह है कि केवल 60 लोग पूरे प्रदेश में उस कानून के तहत प्रवेश पाये हैं इसलिए मान्यवर, आप दो में से एक रास्ता निकाल लें। इस सदन की एक कमेटी बना दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन भवनों के विषय में माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके लिये सदन की कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी जांच करवा लूंगा और जांच करवा कर के माननीय सदस्य को अपने चेम्बर में बुलाकर या उनके क्वार्टर पर जा करके मैं इसकी पूरी स्थिति इनको साफ कर दूंगा। यदि कोई मानक विपरीत स्कूल होगा तो उसको मानक के अनुरूप बनवाया जायेगा।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत गम्भीर हैं। मैं उनको आगरा शहर की घटना बता रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री जी को एक लेटर जो निजी स्कूल हैं, उनमें गरीब बच्चों के मां-बाप एडमीशन के लिये मेरे पास आते हैं। लेकिन उनका एडमीशन उन स्कूलों में नहीं लिया जाता। जो 25 प्रतिशत एडमीशन का नियम है, उसके अनुरूप वह स्कूल नहीं चल रहे हैं और न उन स्कूलों पर कोई कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, निजी स्कूल में एडमीशन एक झोपड़ी में रहने वाला या एक कमरे में रहने वाला बच्चा भी चाहता है। जब मैं एडमीशन के लिये प्रिंसिपल के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है और उस स्कूल में दूसरे दिन पैसे लेकर वहां एडमीशन हुआ, मेरे पास इसका सबूत है। मान्यवर, निजी स्कूलों के संचालनकर्ता पूरी मनमानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आगरा जो आप कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि जब हमारे स्कूल हैं, भर जायेंगे, उसमें प्रतिबन्ध भी लगा है। वह कुछ करायेंगे तो कहां आप दूसरा सवाल पूछ रहे हो।

श्री गुटियारी लाल दुबेश-

मेरा सुझाव है कि जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो उनमें एक महीने तक गरीब बच्चों के एडमीशन के लिये अभियान चलाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, यह कोई सवाल नहीं है।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु तैनाती की मांग

*02-श्री प्रदीप माथुर, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में नियमित शिक्षकों की अत्यधिक कमी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इस कमी को शीघ्र

पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभिन्न चरणों में 9770, 10800, 10000, 4280 तथा 72825 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापक पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये जिसमें से 9770, 10800 तथा 4280 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों के नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 27-06-2014 द्वारा समय सारिणी निर्गत कर दी गयी है। 29334 व 10000 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त 4280 पदों के अवशेष पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में स्थगित है। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन कर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और इनकी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। उक्त समस्त कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के उपरांत शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठाता।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करूंगा कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही की और आज ही अध्यादेश शिक्षकों की भर्ती के लिये लागू किया है। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार इन शिक्षकों की भर्ती 30 जून तक होनी थी, क्या यह भर्ती कर ली गयी है या नहीं की गयी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ ? 30 जून की डेडलाइन थी तो क्या उच्चतम न्यायालय ने आपको कोई रिलेक्शन दिया है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अन्दर नियुक्ति करने का आदेश-निर्देश दिया था और मैं दो-तीन दिन पहले इस हाउस में बता चुका हूं कि दो महीने सारे अधिकारी-कर्मचारी चुनाव में लिप्त रहे। इसलिए दो महीने में कार्यवाही थोड़ी शिथिल हुई और अब उनकी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। मुझे लगता है कि 15-20 अगस्त तक उनकी नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी। दूसरा जो उन्होंने कहा तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है कि हमको समय बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाए।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने नियुक्ति सम्बन्धी जवाब दिया है, यह नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हों इसके लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक तो सचिव, बेसिक शिक्षा, निदेशक, बेसिक शिक्षा इन दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का अवैधानिक शुल्क न लिया जाए। मैंने अखबारों में भी दिया, आप पढ़े होंगे। मैंने अखबारों में भी दिया लेकिन श्रीमान् जी हमें प्रैक्टिकल ज्ञान है, गुरू हैं दो-तीन बार उनकी मीटिंगों में, उनके सम्मेलनों में मैं कह चुका हूं कि आप गुरू हैं गुरू अगर घूस देगा तो यह समाज डूब जायेगा। इसलिए जो आपकी कठिनाई हो वह मुझसे कहिये मैं बैठा हूं आपकी कठिनाई को दूर करूंगा लेकिन पारदर्शिता से काम होगा, अगर कहीं भी किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा कोई अनियमित तरीका अपनाया गया और वह जानकारी में आया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

राज्य पर केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का अनुमानित कर्ज एवं अदा करने वाले ब्याज का विवरण

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश सरकार पर केन्द्र सरकार का तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का कितना कर्जा है तथा इस कर्ज का कितना रुपया वर्ष 2013-14 में ब्याज का अदा करना पड़ा ? क्या सरकार बतायेगी कि सम्पूर्ण कर्जे को चुकाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

दिनांक 31 मार्च, 2014 को राज्य पर केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का, कुल रुपया 236795.29 करोड़ का कर्ज अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में कर्ज पर देय ब्याज की अदायगी के लिये 17054.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसके सापेक्ष महालेखाकार द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक लेखों के अनुसार 14935.85 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। अभी राज्य कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ब्याज लगाया जाना है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में राज्य कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 पर ब्याज की मद में 2159.85 करोड़ रुपये की अदायगी की गयी थी।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए ऋण की अदायगी, ऋण की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करने की अनुमति चाहता हूं। पहला यह कि जो 2 लाख 36 हजार 795.29 करोड़ रुपए का कर्ज है इसमें केन्द्र सरकार का कितना है और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना है ? दूसरा, आप सहमत होंगे कि 17 हजार 54 करोड़ रुपये वर्ष 2013-14 में केवल ब्याज के लिए व्यवस्था की गयी है जिसमें से 14 हजार 935 करोड़ रुपया ब्याज अदा किया गया तो मान्यवर, इतना बड़ा एमाउण्ट जो विकास कार्यों में खर्च होता वह पैसा ब्याज में चला गया। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई एकमुश्त अपने एसेट्स से देने की कोई योजना है जैसा कि मैंने प्रश्न में पूछा भी था तो उसका जवाब नहीं आया तो क्या मान्यवर, किसी ऐसी योजना पर विचार करेंगे कि एकमुश्त पैसा दे दिया जाये ताकि ब्याज हर वर्ष न देना पड़े। यह दो सवाल मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

वन, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए ऋण लिया जा रहा है और उसकी अदायगी ऋण की शर्तों के अनुसार की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार ऋण लेने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही ऋण लिया जाता है। बाजार ऋण, अल्प बचत ऋण तथा भविष्य निधियों के ऋण से सरकार द्वारा कोई भी विकास कार्य कराये जा सकते हैं तथा यह ऋण किसी परियोजना विशेष के लिए नहीं लिया जाता है। बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से लिया जाता है। प्रदेश में अल्प बचत योजनाओं में जमा धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य ऋण किसी परियोजना विशेष या विशेष प्रयोजन के लिए लिये जाते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि केन्द्र सरकार का कितना है और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना है ? दूसरा सवाल यह था कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि हर वर्ष इतना ज्यादा ब्याज न देना पड़े। दोनों प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं आया। यह तो बता दें कि कितना-कितना है ?

श्री अध्यक्ष-

आप भी मंत्री रहे हैं, उत्तर कैसे होता है यह सब जानते हैं, बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रश्नों का समुचित और सुसंगत उत्तर प्राप्त करना हमारा अधिकार है। आप हमारे संरक्षक हैं। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया है आप कृपया निर्देश तो दे दें।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बता ही रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कितना-कितना हैं, केन्द्र का कितना है और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना है ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो बता ही रहे है कि केन्द्र से अनुमति लेकर लिया जाता है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, 2013-2014 की समाप्ति पर दिनांक 31 मार्च, 2014 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 236795.29 करोड़ मैंने बताया आपको। इसमें भारत सरकार से प्राप्त ऋण है वह है 15587.37 करोड़ और इसके ऊपर मान्यवर जो ब्याज आया है वह 1249.38 करोड़।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय संस्थाओं का कितना है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह सरकार सत्ता में आयी थी तब इस सरकार के ऊपर कितना ऋण था और आज जब दो साल हो गये....

श्री अध्यक्ष-

इतने आंकड़े कहां होंगे। अब बैठिये। प्रश्न संख्या-2 श्री दलवीर सिंह जी।

प्रदेश में बिजली की बचत हेतु सी0एफ0एल0 बल्व को वैट मुक्त करने की मांग

*02-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की बचत हेतु साधारण बल्ब के स्थान पर सी0एफ0एल0 बल्व को प्रोत्साहन देने हेतु इसे वैट मुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत वैट की दरें निर्धारित की गई हैं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, रोजमर्रा के प्रयोग की चीज के संबंध में मैंने एक सवाल रखा, जो हर एक गरीब से लेकर अमीर तक, हर एक आदमी के प्रयोग में यह चीज आती है। इस सी0एफ0एल0 के लिए अगर वैट मुक्त कर दिया जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को तो फायदा होगा ही साथ ही साथ सरकार का जो बिजली का कंजम्पशन है उसमें भी कमी आयेगी। मैं चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर वैट खत्म करना चाहती है ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी 12.5 प्रतिशत वैट और 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर है, कुल 14 प्रतिशत है। इस देश के विभिनन प्रदेशों में जहां-जहां बिजली का मामला है, झारखण्ड में 14 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 14 प्रतिशत, उड़ीसा में 13.5 प्रतिशत, बिहार में 12.5 प्रतिशत और

कर्नाटक में 14.5 प्रतिशत है। यह भी आपको बता दें कि वैट हमने नहीं लगाया था। हिन्दुस्तान की सरकार ने वर्ष 2005 में विभिन्न प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में तय हुआ था और उस जमाने में नेताजी हमारे मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको नहीं लागू किया था। विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं इन्होंने वैट लागू किया था और आज की जो परिस्थितियां हैं, देश के वित्तीय संसाधन है हमने उस वैट को जारी किया है हमने उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है जो था उसी स्थिति में है। विभिन्न प्रदेशों में भी वैट लागू है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में मिड-डे-मील हेतु बच्चों की संख्या बढ़ाकर अनियमितता को रोकने हेतु उपाय

*03-डा0 अरूण कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में वास्तविक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या से अधिक रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या को दर्शाकर मिड-डे-मील में अनियमितता किये जाने की शिकायतें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के औचक निरीक्षण के समय पाये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे रोकने हेतु कोई ठोस कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां।

कतिपय जनपदों के कुछ विद्यालयों में उपस्थित बच्चों की संख्या के सापेक्ष मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या में अन्तर पाया गया है।

जी हां।

1-मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स बनायी गयी हैं। टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा माह में न्यूनतम 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

2-भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की सूचना दैनिक आधार पर प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 से आई0वी0आर0एस0 (इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पान्स सिस्टम) आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली लागू है, जिसके माध्यम से प्रदेश के समस्त विद्यालयों से दैनिक आधार पर भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रणाली के माध्यम से दैनिक आधार पर सूचना प्राप्त किये जाने से एम0डी0एम0 रजिस्टर में वास्तविक रूप से भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों से अधिक संख्या दर्शाकर अनियमितता किये जाने की सम्भावना घटी है।

नोटः-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

3-आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली से प्राप्त होने वाली सूचना की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-233/79-6-2014, दिनांक 10 फरवरी, 2014 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों के औचक निरीक्षण किये जायें तथा एम0डी0एम0 रजिस्टर में दर्ज भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या एवं वास्तविक रूप से विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या में अन्तर दृष्टिगत होने व अन्तर का कोई सम्यक् कारण प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा स्पष्ट न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय साथ ही दोषी से खाद्यान्न व परिवर्तन लागत की वसूली भी की जाये।

4-निरीक्षणों में यह प्रकाश में आया है कि कई स्थानों पर बच्चे मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के उपरान्त घर चले जाते हैं। इस हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण दिवस में विद्यालय में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति संख्या के निर्धारण हेतु विद्यालय अवधि में यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ता है तो उससे (उक्त छात्र से) इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा अवश्य ले लिया जाय। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी प्रार्थना-पत्र लिखने में असमर्थ हो तो उक्त प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित विद्यार्थी की तरफ से कक्षा शिक्षक द्वारा लिखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

5-आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की प्राप्त सूचना की प्रतिपुष्टि विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के माध्यम से भी कराने हेतु योजना बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर आई0वी0आर0 कॉल के माध्यम से भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना की प्रतिपुष्टि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु शासनादेश निर्गत होने की जानकारी

*04-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री सतीश महाना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में टी0ई0टी0 की परीक्षा आयोजित करने के उपरान्त उनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गये थे ? यदि हां, तो उस आवेदन हेतु अभ्यर्थियों से कुल कितनी धनराशि प्रदेश सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उसी पद पर नियुक्ति हेतु संशोधन करके वर्तमान सरकार द्वारा दुबारा आवेदन करने हेतु विज्ञापन निकाल कर अलग-अलग जनपदों के लिये अभ्यर्थियों से रु0 500/- प्रत्येक जनपद के हिसाब से शुल्क लिये गये थे ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त हुयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस आवेदन पर उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां।

विज्ञापन दिनांक 30-11-2011 के सापेक्ष धनराशि रु0 54,85,13,500/- प्राप्त हुई है।

जी हां। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 रु0 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों से 200 रु0 तथा विकलांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था।

72825 प्रशिक्षु शिक्षकों हेतु दिसम्बर, 2012 में निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2,89,98,54,400/- प्राप्त हुई है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1874-1902/2014 उ0प्र0 राज्य बनाम शिव कुमार व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 25-03-2014 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत विज्ञापन दिनांक 30-11-2011 के आधार पर चयन/नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या-3465/79-5-2014-14(10)/ 2010 टी0सी0, दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा समय-सारिणी निर्गत कर दी गयी है।

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल योजना के चयनित स्थानों का विवरण

*05-श्री सूरज पाल सिंह तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण पेयजल योजना प्रदेश में लागू है अथवा चयनित स्थानों पर ? क्या सरकार इसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू है।

जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों, निर्माणाधीन एवं अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

मण्डल	दि0 31-03-14 तक कुल अधिष्ठापित हैण्डपम्प	दि0 31-5-14 तक निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाएं	दि0 31-5-14 तक अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाएं
सहारनपुर	75121	39	113
मेरठ	128906	121	180
मुरादाबाद	117295	28	140
बरेली	129428	31	35
अलीगढ़	100169	41	151
आगरा	143027	90	677
लखनऊ	274122	135	222
कानपुर	164754	60	261
झांसी	66844	35	148
चित्रकूट	81416	17	206
फैजाबाद	210678	35	107

मण्डल	दि0 31-03-14 तक कुल अधिष्ठापित हैण्डपम्प	दि0 31-5-14 तक निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाएं	दि0 31-5-14 तक अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाएं
देवी पाटन	143999	31	41
बस्ती	106410	21	64
गोरखपुर	209143	101	185
आजमगढ़	143319	31	156
वाराणसी	196400	19	301
इलाहाबाद	180290	45	299
विन्ध्याचल	91994	38	85
योग	**2563315**	**918**	**3371**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट निर्धारित की नीति

*06-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट निर्धारित करने की क्या कोई सामान्य नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी हां।

सर्किल रेट निर्धारित करने हेतु उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 द्वारा जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है, जिसमें कलेक्टर द्वारा भूमि की दरें द्वि-वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाने का प्राविधान था। अद्यतन संशोधित अधिसूचना सं0-495/11-क0नि0-7-2013-700(81)/2013टी0सी0, दिनांक 28-05-2013 द्वारा कलेक्टर को भूमि की दरें वार्षिक आधार पर तय करने का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा भूमि की दरें तय करने के सम्बन्ध में प्राविधानित सामान्य दिशा-निर्देश के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :-

1-भूमि का वर्गीकरण,

2-सिंचाई सुविधा की प्राप्यता,

3-सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों एवं सरकारी कार्यालयों से सामीप्य और

4-सम्बन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के संदर्भ में अवस्थिति।

5-सम्भाव्यता जैसे कि विकसित क्षेत्र से दूरी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय की जानकारी में वृद्धि की कार्य योजना सम्बन्धी जानकारी

*07-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वे जनपद जहां पर प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कब है, उन जनपदों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनायी है ?

श्री अखिलेश यादव-

राज्य सरकार सभी जनपदों के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद उन्नाव के कतिपय ग्रामों को जोड़ने वाले कच्चे मार्गों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ने की मांग

01-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद उन्नाव के ग्राम-बौरीखेड़ा, बल्हऊमऊ एवं परसाद खेड़ा को राष्ट्रीय मार्ग-25 से जोड़ने वाले कच्चे गलियारे के आवागमन को सुलभ बनाने हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। सन्दर्भित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत मार्गों के चयन हेतु तैयार की गयी कॉप्रेहेन्सिव अपग्रेडेशन कम कन्सॉलिडेशन प्रॉयर्टी लिस्ट (सी0यू0सी0पी0एल0) के वरीयता क्रम 75 पर एन0एच0-25 कि0मी0-25 से एन0एच0-25 कि0मी0-30 बनी मार्ग के नाम से सम्मिलित है।

जनपद उन्नाव में वर्तमान में पीएमजीएसवाई-2 के अन्तर्गत सी0यू0सी0पी0एल0 के वरीयता क्रमांक-9 तक अंकित मार्गों के उच्चीकरण के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। चूंकि प्रश्नगत मार्ग जनपद उन्नाव के सी0यू0सी0पी0एल0 के वरीयता क्रमांक-75 पर अंकित है, अतः वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

02-श्री कमाल युसुफ मलिक

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक संवर्ग) के वेतनमानों के सम्बन्ध में राज्य मंत्री-मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालनार्थ सचिव, वित्त द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2013 को प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को भेजे गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)-

वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के क्रम में वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा से प्रस्ताव प्राप्त कर विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेश के आलेख्य सहित पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की गयी, जिस पर वित्त विभाग द्वारा अंकित परामर्श के क्रम में

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ/वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद से सूचना/आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

03-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 27-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-43 द्वारा उत्तरित]

04-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 27-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-44 द्वारा उत्तरित]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में स्थापित टंकियों से सुचारु रूप से जलापूर्ति

05-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में स्थापित टंकियों से नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज के विभिन्न विकास खण्डों के अन्तर्गत निर्मित कुल 16 नग पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से सुचारु रूप से जलापूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

06-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[दिनांक 27-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-45 द्वारा उत्तरित]

जनपद मेरठ में जिला योजना अन्तर्गत उपमुक्त धनराशि की जानकारी

07-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0/ पी0जी0-10420066/2014 पर दर्ज जो जनपद मेरठ में वर्ष 2014-16 की जिला योजना में आये प्रस्तावों के महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि जारी कराने के सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

संदर्भित पत्र में जिला योजना के अन्तर्गत आधी धनराशि भी प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया है। मेरठ जनपद की वर्ष 2012-13 की जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय के सापेक्ष 68 प्रतिशत से अधिक की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 79 प्रतिशत का व्यय हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 की जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय के सापेक्ष लगभग 71 प्रतिशत से अधिक की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 96 प्रतिशत का व्यय हुआ है। जिला योजनाओं हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा बजट प्राविधान कराते हुए अपेक्षित धनराशि अवमुक्त की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़क का नवनिर्माण कराये जाने की मांग

08-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में चिरगांव से मुड़ेई, विठरी होते हुए रनगुवां तक लगभग 15 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्मिलित कर नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग चिरगांव-भाण्डेर मार्ग से छिरौना, समथरी, मुड़ेई होते हुए विठरी ग्राम तक जाता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 12.200 किमी0 है तथा यह ग्रामीण मार्ग श्रेणी के अन्तर्गत है। यह मार्ग वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झांसी के अन्तर्गत है। उक्त मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण ग्राम्य विकास विभाग से उसका नव-निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

09-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 30-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-43 द्वारा उत्तरित]

10-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 27-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-47 द्वारा उत्तरित]

11-श्री काली चरन सुमन

[दिनांक 27-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-48 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ग्राम पंचायत के ग्राम कोटिया में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराये जाने की मांग

12-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के ग्राम पंचायत धोषण से सम्बद्ध ग्राम कोटिया में प्रा0 पाठशाला न होने से बच्चों को पठन-पाठन के लिये गांव से 2 कि0मी0 पैदल चलकर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्रा0 पाठशाला का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के ग्राम कोटिया में आबादी नहीं है। ग्राम पंचायत धोषण में प्राथमिक विद्यालय है, जो कोटिया से 01 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कोटिया गैर आबाद गांव है तथा इसका निकटतम विद्यालय धोषण 01 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यह गांव मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

प्रदेश में मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प उपलब्ध कराये जाने की मांग

13-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मा0 विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में लगाने हेतु 100-100 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्ट्रेटजिक प्लान 2011-2022 के अनुसार 90 प्रतिशत ग्रामीण समुदाय को वर्ष 2022 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध जलापूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के स्थान पर पाइप पेयजल योजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्कूल/कालेजों में परीक्षा के दौरान अनियमितता/नकल पर कार्यवाही की मांग

14-श्री मनीष असीजा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा में कितने स्कूल/कालेजों में परीक्षा के दौरान भारी अनियमितता, सामूहिक नकल के मामले पाये गये ? क्या शासन ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)-

जी हां। कुल 18 परीक्षा केन्द्रों पर अनियमितता/सामूहिक नकल के मामले पाये गये।

जी हां।

इन 18 परीक्षा केन्द्रों की सम्बन्धित तिथि/पाली में सम्पादित विषय/प्रश्नपत्र की परीक्षा को निरस्त कर उसकी पुनः परीक्षा आयोजित करायी गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में हाई-स्कूल पास लड़कों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा का पूर्ण विवरण

15-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र 2012 के अनुसार हाई स्कूल पास लड़कों को 'टैबलेट' मुफ्त देने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका पूरा वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

जी नहीं।

''हाई पावर कमेटी'' द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित निविदायें प्राप्त न होने के कारण प्रश्नगत योजना क्रियान्वित न हो सकी।

प्रदेश में मुफ्त लैपटाप वितरण हेतु चयनित कम्पनियों की निविदा तथा व्यय धनराशि का विवरण

16-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र 2012 के अनुसार सरकार ने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मुफ्त में वितरित लैपटाप की आपूर्ति हेतु किन-किन कम्पनियों ने टेण्डर जमा किया था एवं किस आधार पर उनको चयनित किया गया ? क्या यह सही है कि लैपटाप के वितरण हेतु अनेक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई एवं कितने मूल्य में कितने लैपटाप क्रय किये गये ?

श्री महबूब अली-

छात्र/छात्राओं को वितरण हेतु लैपटाप क्रय के लिये राज्य सरकार के उपक्रम यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से ग्लोबल निविदायें आमंत्रित की गयी थीं तथा निम्नलिखित चार लैपटाप निर्माता कम्पनियों ने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था :-

1-अकर इण्डिया प्रा0 लि0

2-एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम्स लि0

3-लिनेवो इण्डिया प्रा0 लि0

4-मे0 हैवेल्ट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0

मे0 हैवेल्ट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 द्वारा दी गयी दर न्यूनतम पायी गयी। अतएव लैपटाप की आपूर्ति हेतु मे0 हैवेल्ट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 को चयनित किया गया था।

जी हां।

यह आयोजन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था।

राज्य सरकार के उपक्रम यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से ग्लोबल निविदायें आमंत्रित करके समस्त कर एवं शुल्क तथा बैकपैक सहित, उपकरण निर्माता मे0 हैवेल्ट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 से प्रति लैपटाप रु0 19,058/- की दर से कुल मूल्य रु0 28,22,71,46,844/- पर कुल 14,81,118 अदद लैपटाप क्रय किये गये।

प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के गिरते स्तर को सुधारने की मांग

17-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश में संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों को मिड-डे-मील तैयार करवाने तथा निर्वाचक नामावली को संशोधित करने का कार्य भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्राइमरी शिक्षा के

गिरते स्तर को देखते हुए सरकार इसे समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को, शासनादेश दिनांक 03-9-2012 द्वारा दसकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्तव्यों से इतर अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने हेतु रसोइये की व्यवस्था की गयी है। अध्यापकों/शिक्षा मित्रों का कार्य रसोइये द्वारा बनाये गये भोजन को चखने के उपरान्त अपने विद्यालय/कक्षा के समस्त छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराना होता है। अध्यापकों द्वारा एम0डी0एम0 पंजिका तैयार की जाती है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद-झांसी की नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में बालिका राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराने की मांग

18-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी की नगर पंचायत टोडीफतेहपुर, तहसील तहरौली, जिला मुख्यालय से 95 कि0मी0 दूर है ? क्या सरकार नगर पंचायत में बालिकाओं की शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण।

जनपद-झांसी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन करने की मांग

19-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवनिर्मित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन न होने के कारण इन विद्यालयों का संचालन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

जनपद-झांसी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवनिर्मित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ है। नव निर्मित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निकट के शिक्षकों के माध्यम से संचालित कराये जा रहे हैं।

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिलाये जाने की मांग

20-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007 से 2012 तक इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को प्रथम किस्त तो मिली किन्तु अब तक द्वितीय किश्त नहीं मिली है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन लाभार्थियों को द्वितीय किश्त दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा-तमकुहीराज के अन्तर्गत विकास खण्ड-सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज आते हैं, जिनमें वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक कुल 35149 आवास आवंटित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष कुल 29503 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक के 5646 लाभार्थियों की पात्रता संदिग्ध/विवादित होने की शिकायत के कारण द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करायी जा रही है। सूची तैयार होने के उपरान्त द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी।

जी हां।

पात्र लाभार्थियों के चयन के उपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद के मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार जनशक्ति का निर्धारण कराये जाने की मांग

21-श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में ''जनशक्ति'' निर्धारण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रमुख सचिव (मा0 शिक्षा, उ0 प्र0 शासन) को लगभग 9 माह पूर्व प्रबन्धकों की आपत्तियों का पुनः अवलोकन कर ''जनशक्ति'' का पुनः निर्धारण 3 माह में किये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में ''जनशक्ति'' का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

प्रत्यावेदन के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी में स्वच्छ जल-आपूर्ति कराये जाने की मांग

22-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण क्षेत्रीय जनता अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को स्वच्छ जल आपूर्ति करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

आर्सेनिक युक्त पानी पीकर ग्रामीण जनता के रोगों के शिकार होने की कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त 05 विकास खण्डों की आर्सेनिक प्रभावित 165 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना/गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जनपद-लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ जलापूर्ति की मांग

23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण ग्रामीण जनता अनेकों प्रकार के रोगों का शिकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम कर उक्त क्षेत्र में स्वच्छ जल आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। आर्सेनिक युक्त पानी पीकर ग्रामीण जनता के रोगों के शिकार होने की कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त 05 विकास खण्डों की आर्सेनिक प्रभावित 165 बस्तियों में से 108 बस्तियों में पाइप पेयजल योजना तथा 57 बस्तियों में अत्याधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जनपद-लखीमपुर खीरी के गरीब पात्र व्यक्तियों को लोहिया आवास आवंटित कराये जाने की मांग

24-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के गरीब पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में लोहिया आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो

कितने पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये तथा कितने शेष हैं ? शेष पात्र लाभार्थियों को आवास कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद-लखीमपुर खीरी में वर्ष 2012-13 में 1297 एवं वर्ष 2013-14 में 1858 लोहिया ग्रामीण आवास आवंटित किये गये हैं। वर्ष 2012-13 के समग्र ग्रामों में 54 एवं वर्ष 2013-14 में 154 समग्र ग्रामों में कुल 208 लाभार्थियों को लोहिया आवास आवंटित किये जाने शेष हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के समग्र ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु निर्धारित मानकों में लोहिया ग्रामीण आवास योजना में चिन्हित नहीं हैं तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में धनराशि की सीमित उपलब्धता के कारण अवशेष लाभार्थियों को आवासीय सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम सिमरावारी में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग

25-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम सिमरावारी के बी0एच0ई0एल0 में राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने से आस-पास के क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम रक्सा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की मांग

26-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड-बबीना के ग्राम रक्सा में राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्र की लगभग 2000 बालिकाओं को शिक्षा हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण।

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खजुराहाबुजुर्ग में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

27-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खजुराहाबुजुर्ग के मजरा रामपुर मोटा विकास खण्ड बबीना जिनकी आबादी लगभग 600 हैं एवं ग्राम खजुराहाबुजुर्ग से 2 कि0मी0 दूरी है जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खजुराहाबुजुर्ग के मजरा रामपुर मोटा की आबादी 300 है तथा निकटतम प्राथमिक विद्यालय रामपुर से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। अतः उक्त मजरा मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से असेवित है।

भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के लिए विद्यालय भवन निर्मित किये जाने हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण

28-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के ग्राम पंचायत विठरी, विकास खण्ड-चिरगांव में प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन में संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में प्राथमिक विद्यालय हेतु नवीन भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विद्यालय प्रांगण में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित हैं, जिनमें कक्षायें संचालित हो रही हैं।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

29-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक राया बल्देव एवं फरह के ग्रामीण अंचलों में बिजली कनेक्शन के अभाव में टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजनाएं बंद हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इनको सुचारु रूप से क्रियान्वित कर ग्रामीण अंचल पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-मथुरा के विकास खण्ड-राया, बल्देव एवं फरह में स्थापित कुल 328 नग टी0टी0एस0पी0 पेयजल परियोजनाओं में से 10 नग टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजनाएं विद्युत संयोजन के अभाव में बन्द हैं।

विद्युत संयोजन हेतु धनराशि विद्युत विभाग को अदा की जा चुकी हैं तथा लाइन बिछाने एवं ट्रान्सफार्मर रखे जाने का कार्य पूर्ण कराने हेतु लगातार विद्युत विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत लोहिया ग्रामों के चयन की मांग

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 तथा 2013 में विधान सभा के बजट सत्र की समाप्ति पर लोहिया ग्राम के चयन विधायकों की संस्तुति पर करने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले वर्ष में मा0 विधायकों की संस्तुति पर लोहिया ग्रामों के चयन में प्राथमिकता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु शासनादेश दिनांक 13-09-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2014-15 से शासनादेश दिनांक 06-08-2013 द्वारा प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गयी है। जनपद को आवंटित ग्रामों की संख्या के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवरोही क्रम में तैयार की गयी तीन गुना कटआफ सर्वे सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को ग्रामों के चयन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इस सूची में से जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद से विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही इस योजना के अन्तर्गत वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जाटव बस्ती मोहम्मदपुर में टी0टी0एस0पी0 योजना को चालू कराये जाने की मांग

31-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जाटव बस्ती मौहम्मदपुर, ब्लाक टूण्डला, राठौर बस्ती रामगण ब्लाक टूण्डला तथा जाटव बस्ती पहाड़पुर में टी0टी0एस0पी0 योजना का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या

सरकार बतायेगी कि उक्त योजनाओं का निर्माण कार्य कब तक चालू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद के जाटव बस्ती मौहम्मदपुर, ब्लाक टूण्डला, राठौर बस्ती रामगण ब्लाक टूण्डला तथा जाटव बस्ती पहाड़पुर में टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया गया है तथा सभी टी0टी0एस0पी0 ग्राम पंचायत को हस्तानान्तरित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की ग्राम सभा जाखई में पानी की आपूर्ति कराये जाने की मांग

32-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की ग्राम सभा-जाखई, ब्लाक नारखी में पेयजल योजना का अम्बेडकर पार्क में नलकूप की समरसेविल पंचायत सेक्रेटरी/प्रधान ने निकाल लिया है जिससे नलकूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नलकूप की समरसेविल डलवाकर नलकूप को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

पंचायती राज निदेशालय की दिनांक 21-06-2014 की सूचना के अनुसार जनपद फिरोजाबाद की ग्राम सभा-जाखई में स्थापित पेयजल योजना में 02 ट्यूबवेल हैं, जिसका 01 आपातकालीन ट्यूबवेल अम्बेडकर पार्क में लगा है। उक्त ट्यूबवेल का समरसेबिल योजना के स्थापित होने के कुछ समय बाद फुक गई थी, जो (अम्बेडकर पार्क) टंकी के स्टोर में सुरक्षित रखी है। इस आपातकालीन ट्यूबवेल का पेयजल की टंकी की ओर जाने वाली स्टेट पाइप लाइन भी ध्वस्त है। मुख्य पेयजल योजना का समर सेविल सुचारु रूप से चालू है, जिससे पूरे गांव में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है, जिसमें अम्बेडकर पार्क भी शामिल हैं। गांव में पानी की आपूर्ति बाधित नहीं है।

मुख्य पेयजल योजना की समरसेविल सुचारु रूप से चालू है, जिसके द्वारा पूरा गांव में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कराये जा रहे इण्टरलाकिंग में अनियमितताओं की जांच

33-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एटा से पचोखरा होते हुऐ नारखी तक मार्ग का चौड़ीकरण व पुनः निर्माण

का कार्य कराया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पचोखरा आबादी क्षेत्र में कराये गये इण्टरलॉकिंग में काफी घटिया स्तर की ईंट का प्रयोग किया गया है तथा सड़क भी निम्न स्तर की बनायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता युक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग (एटा से पचोखरा होते हुए नारखी तक) का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अपग्रेडेशन का कार्य कराया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाल प्रत्येक मार्ग की गुणवत्ता भारत सरकार के मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश स्तर से विभागीय पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के अतिरिक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीअर्स स्वतंत्र रूप से अनुबन्धित तकनीकी विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार भी समय-समय पर नेशनल क्वालिटी मॉनीटर्स के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण कराती है।

प्रश्नगत मार्ग को भी निर्धारित मानकों के अनुसार ही निर्मित कराया जा रहा है। उक्त मार्ग का निरीक्षण दिनांक 29-06-2013, 24-11-2013 तथा दिनांक 24-01-2014 को स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग निर्माणाधीन है, जिसके अगस्त 2014 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

(तीसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पेयजल समस्या के समाधान हेतु खराब हैण्डपम्पों को पुनः चालू कराये जाने की मांग

35-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुदौली जनपद फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2007-08 से अब तक कुल कितने हैण्डपम्पों की स्थापना जल निगम व यू0पी0 एग्रो द्वारा करायी गयी ? उनमें से कितने हैण्डपम्प असफल हुये ? क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो द्वारा वर्ष 2007-08 से अब तक कुल 834 नग इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कराया गया है।

वर्ष 2007-08 से अब तक कुल अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से कोई हैण्डपम्प असफल नहीं हुए हैं।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रुदौली में वर्ष 2007-08 के पूर्व के स्थापित हैण्डपम्पों में से 127 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) हैं।

इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रति विकास खण्ड 50-50 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र रुदौली में सम्मिलित 02 विकास खण्डों में कुल 100 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों को विद्यालयों के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनुदान की व्यवस्था

36-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय विकास अनुदान की व्यवस्था है ? यदि हां, तो विद्यालय विकास अनुदान हेतु निर्धारित धनराशि शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों को भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पत्र दिनांक 11-07-2013 द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14 में फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों हेतु धनराशि भेजी गयी है।

प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स के मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

37-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत होमगार्ड्स के मानदेय को बढ़ाने तथा नियमित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वयंसेवी संगठन होने के कारण इन्हें नियमित किये जाने की वर्तमान में कोई योजना अथवा नीति नहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की मांग

38-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में 72,000 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई आदेश दिया है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1874-1902/2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 25-03-2014 द्वारा विज्ञापन दिनांक 30-11-2011 के आधार पर 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया।

शासनादेश संख्या-3465/79-5-2014-14(10)/2010 टी0सी0, दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा चयन/नियुक्ति हेतु समय सारिणी निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति के आधार पर मतगणना कार्य को पूर्ण कर प्रकाशन कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

39-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति के आधार पर जनगणना चल रही है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगी तथा इसका अंतिम प्रकाशन कब हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने निर्देशन में सी0पी0एस0यू0, आई0टी0आई0, पालघाट यूनिट, केरल के माध्यम से कराया जा रहा है। अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24-06-2014 को आयोजित बैठक में एन0आइ0सी0, नई दिल्ली एवं जनगणना कार्य निदेशालय, नई दिल्ली तथा आई0टी0आई0 को लम्बित कार्य पूर्ण करने हेतु दी गयी समय सीमा के अनुसार सितम्बर, 2014 तक सम्पूर्ण गणना कार्य पूर्ण करने, गणना कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिसम्बर 2014 तक सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन करते हुए जनवरी, 2015 तक उक्त जनगणना कार्य सम्पन्न किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में पेयजल समस्या हेतु हैण्डपम्पों का रिबोर कराया जाना

40-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुदौली जनपद फैजाबाद में पेयजल हेतु लगे इण्डिया मार्का-2 कितने हैण्डपम्प वित्तीय वर्ष 2013-14 में रि-बोर किये गये और वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितने रि-बोर किये जाने हेतु चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार पेयजल

समस्या के निदान हेतु खराब हैण्डपम्पों को समयबद्ध सीमा में रि-बोर कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान सभा क्षेत्र रुदौली जनपद फैजाबाद में पेयजल हेतु अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्पों में से वित्तीय वर्ष 2013-14 में लक्षित कुल 100 में से 84 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग की गयी तथा 16 नग हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग शेष है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रति विकास खण्ड 50-50 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

जी हां।

इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति विकास खण्ड 50-50 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में लघु सिंचाई हेतु धन अवमुक्त किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

41-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जिला योजना में लघु सिंचाई स्वीकृत बजट के अनुसार शासन द्वारा धन अवमुक्त किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-240744, दिनांक 23-12-2013 प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हां।

वर्ष 2013-14 की जिला योजना का परिव्यय नियोजन विभाग के अ0शा0प0सं0-9/2/35-आ-2/2012-35, दिनांक 22-10-2013 द्वारा सूचित किया गया। इसमें निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु कुल रु0 98.9659 करोड़ को परिव्यय सूचित किया गया। उक्त परिव्यय के सापेक्ष योजना में कुल रु0 71.6195 करोड़ का बजट प्राविधान था एवं इतनी ही धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त सूचित परिव्यय में जनपद बहराइच हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना में कुल परिव्यय रु0 1.50 करोड़ सूचित किया गया था। परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान कम होने की स्थिति में कुल परिव्यय एवं बजट के अनुपात में जनपदों को परिव्यय के सापेक्ष कम धनराशि अवमुक्त की गयी। जनपद बहराइच के लिए आवंटित रु0 1.50 करोड़ के परिव्यय के सापेक्ष कुल रु0 1.1030 करोड़ की धनराशि निःशुल्क बोरिंग योजना में अवमुक्त की गयी, जो बजट एवं परिव्यय के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम नगला कली में पानी की टंकी से जलापूर्ति कराये जाने की मांग

42-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम नगला कली के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति हेतु बड़ी टंकी बनी हुई है परन्तु उक्त टंकी से पूरे गांव में पानी की सप्लाई

नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पूरे गांव में जलापूर्ति करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

ग्राम नगला कली के आंशिक भाग में ही पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति हो रही है।

ग्राम के जिस भाग में पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां पर टी0टी0एस0पी0 के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय ग्राम पंचायतों में खारे पानी की समस्या के निराकरण के उपाय

43-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर पिनानी, घढ़ी हर दयाल, नानपुर एवं सहारा आदि में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पीने योग्य पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी हां।

मार्च, 2016 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अनेकों ग्रामों में पेयजल समस्या हेतु नलकूपों से जलापूर्ति कराने की मांग

44-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम महुआ खेड़ा, कुण्डौल, दिगनेर, खासपुर नानपुर, मिढ़ापुर आदि ग्रामों में निर्मित, पानी की बड़ी टंकियों से जलापूर्ति अभी तक चालू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या के समाधान हेतु उक्त टंकियों से जलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रश्न में उल्लिखित जनपद आगरा के ग्रामों में निर्मित पेयजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है-

1. महुआ खेड़ा पेयजल योजना पूर्ण एवं चालू कराने के उपरान्त अनुरक्षण हेतु जुलाई, 2010 में ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है एवं वर्तमान में एक नलकूप से जलापूर्ति चालू है।
2. कुण्डौल पेयजल योजना की अभिकल्पित अवधि पूर्ण/एक नलकूप फेल/एक नलकूप का डिस्चार्ज कम हो जाने के कारण योजना से जलापूर्ति बन्द है। वर्तमान में 10 नग टी0टी0एस0पी0 से जलापूर्ति चालू है। 02 टी0टी0एस0पी0 बन्द है।

3. दिगनेर-पेयजल योजना आंशिक रूप से चालू है।

4. खासपुर ग्राम सिकन्दरपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है एवं योजना चालू है।

5. नानपुर ग्राम पेयजल योजना वर्तमान में चालू है।

6. मिढाकुर ग्राम पेयजल योजना पूर्ण एवं चालू कराने के उपरान्त अनुरक्षण हेतु वर्ष 2012 में ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित है। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति बन्द है।

जी हां। ग्राम मिढाकुर तथा ग्राम महुआ खेड़ा की पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/पंचायती राज विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से आवश्यक मरम्मत कराकर चालू किया जाना है।

ग्राम कुण्डौल की ग्राम समूह पेयजल योजना के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे धन की उपलब्धता के आधार पर मार्च, 2016 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर में पेयजल समस्या हेतु हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने की मांग

45-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर के अन्तर्गत भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को गहरी बोरिंग कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रति विकास खण्ड 50-50 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-ईसानगर में हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति की मांग

46-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी के कारण ग्रामीण जनता अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम कर स्वच्छ जल आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। आर्सेनिक युक्त पानी पीकर ग्रामीण जनता के रोगों के शिकार होने की कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधान सभा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को पाइप पेयजल योजना तथा अत्यधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती की मांग

47-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर में प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद-लखीमपुर खीरी विकास खण्ड-ईसानगर में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 673 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 263 पद सृजित हैं।

सृजित पदों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में 115 शिक्षक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 78 शिक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में 558 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 185 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर के ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

48-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक-ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी हां।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन/भर्ती प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत कच्ची सड़कों के निर्माण की मांग

49-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के अन्तर्गत वे सड़कें जो अभी तक पिच नहीं हुई हैं तथा अनेक गांवों को जोड़ती हैं उन्हें 2012-13 में त्वरित विकास योजना के तहत शासन द्वारा मांगे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियन्ता प्रांतीय खण्ड गोरखपुर में वर्ष 2013 में भेजा था। क्या सरकार उन कच्ची सड़कों का निर्माण त्वरित विकास योजना के तहत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल समस्या के निदान विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

50-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक राया ब्लाक बल्देव एवं ब्लाक फरह के ग्रामीण अंचल पेयजल समस्या के निदान विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0-500/501 वी0 आई0 पी0/मा0नं0सं0/न0वि0/2013 दिनांक 21-02-2013, जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य से हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु प्राप्त सूची के आधार पर सर्वेक्षण कराने के उपरान्त विकास खण्डवार सभी ग्राम/मजरे हैण्डपम्प अधिष्ठापन के निर्धारित मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कच्चे सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

51-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में आवागमन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कच्चे सम्पर्क मार्गों पर त्वरित विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण खड़न्जा निर्माण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5 नं0-138085/ 4047, दिनांक 21 अप्रैल, 2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु पत्रावली सम्बंधित विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच की कतिपय ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

52-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत बसनेरा तथा तकिया में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/13-14/क-5 नं0-102782/ 4152, दिनांक 04-05-2013 उन्हें तथा प्रमुख सचिव, मा0 शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-सी0एम0-429/15-10-2013 दिनांक 03-07-2013 द्वारा मा0 सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में इन्दिरा आवास व अन्य योजनाओं का लाभ दिलाये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

53-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत इन्दिरा आवास व अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-5 नं0-239137/4923 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 खण्ड विकास अधिकारी कैसरगंज तथा पत्र संख्या 239134/4920, दिनांक 11-09-2013 खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर, पत्र संख्या-क-5 नं0 239135/4921, दिनांक 11-09-2013 खण्ड विकास अधिकारी विशेश्वरगंज तथा पत्र संख्या-क-5 नं0 239136/4922, दिनांक 11-09-2013 खण्ड विकास अधिकारी, हजूरपुर, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के सन्दर्भित पत्रों, जो इन्दिरा आवास एवं लोहिया आवास तथा अन्य योजनाओं का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित थे, पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः-

(1) मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक-11-09-13 के साथ संलग्न 73 प्रार्थना-पत्रों पर जांच व कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड विकास अधिकारी, कैसरगंज द्वारा पत्र सं0-769, दिनांक-31-10-2013 के माध्यम से मा0 सदस्य विधान सभा को प्रेषित किया गया है।

(2) मा0 सदस्य, विधान सभा के सन्दर्भित पत्र दिनांक-11-09-2013 के साथ संलग्न 438 प्रार्थना-पत्रों पर जांच एवं कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड विकास अधिकारी, पयागपुर के पत्र सं0-782, दिनांक-01-11-13 द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा को प्रेषित किया गया है।

(3) मा0 सदस्य, विधान सभा के सन्दर्भित पत्र दिनांक-11-09-13 पर जांच व कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज के पत्र सं0-457, दिनांक-06-11-13 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को प्रेषित किया गया है।

(4) मा0 सदस्य, विधान सभा के सन्दर्भित पत्र दिनांक-11-09-13 पर जांच व कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड विकास अधिकारी, हूजूरपुर द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा के ई-मेल पर दिनांक 25-09-13 को प्रेषित किया गया था, जिसकी सूचना का पत्र सं0-935, दिनांक-26-09-13 द्वारा भेजी गयी। पुनः कृत कार्यवाही का विवरण खण्ड विकास अधिकारी, हूजूरपुर के पत्र सं0-1137, दिनांक-28-10-13 द्वारा भेजा गया है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों के इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

54-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्रामों में 135 नग इन्डिया मार्का-2 हैन्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-5 नं0-196964/ 256/13, दिनांक 01-05-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

55-डा0 अरुण कुमार-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बरेली महानगर में गिरते हुए भू-जल स्तर के रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु महानगर बरेली में स्थित तालाबों को चिन्हित कर उनकी सफाई एवं जल धारण क्षमता बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुपालन मंत्री (श्री राजकिशोर सिंह)-

शहरी क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल स्तर के रोकथाम हेतु प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को स्थापित किये जाने की व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत शासकीय एवं निजी भवनों में रुफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में तालाबों, कूपों, जलाशयों के संरक्षण हेतु इनका जीर्णोद्धार किया जाता है।

गिरते हुए जल स्तर की रोकथाम हेतु भू-गर्भ जल का संचयन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान क्षेत्र के अनेक गांवों के विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

56-श्री काली चरन सुमन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के गांव (पटरा) नगला आनन्दी, सुजगई, बिल्हौनी, महल बादशाही, विझामई, बन्तीसा, नगला उहदा, अजीजपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा की आख्यानुसार 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर-I, अजीजपुर-II, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अजीजपुर, विकास खण्ड बिचपुरी तथा प्राथमिक विद्यालय बतीसा, उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजगई, उच्च प्राथमिक सुजगई, उच्च प्राथमिक विद्यालय महल बादशाही विकास खण्ड बरौली अहीर में बाउण्ड्रीवाल है।

प्राथमिक विद्यालय सुजगई, प्राथमिक विद्यालय विल्हैनी, उच्च प्राथमिक विद्यालय विल्हैनी, प्राथमिक विद्यालय महलबादशाही, प्राथमिक विद्यालय विझामई, उच्च प्राथमिक विद्यालय विझामई विकास खण्ड बरौली अहीर, आगरा एवं ग्राम सभा टपरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला आनन्दी, विकास खण्ड बिचपुरी में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। उहदा के नाम से कोई भी प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

बाउण्ड्रीवाल विहीन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में वर्ष 2014-15 में प्रस्ताव किया गया, परन्तु भारत सरकार से बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

57-श्री अखिलेश प्रताप सिंह

[3सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के अनेक ग्रामों के तालाबों की खुदाई व सफाई कराने सम्बन्धी जानकारी

58-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर (बरारा), सैमरी, सैमरी का ताल, कबूलपुर, नगला अकोय, नैनाना ब्राहमण, बुढैरा, सदरवन, नगला गाढ़े, अजीजपुर, धनौली, गढ़ी, गया प्रसाद, बमरौली कटारा में बने तालाबों की खुदाई न होने के कारण गांव में जल भराव की समस्या रहती है जिससे बीमारियों की

आशंका रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के तालाबों की खुदाई व सफाई कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद-आगरा के ग्राम-मिर्जापुर (बरारा) सैमरी, सैमरी का ताल, कबूलपुर, नगला, अकोय, नैनाना ब्राह्मण, बुढेरा, सदरवन, नगला गाढ़े, अजीजपुर, धनौली, गढ़ी, गयाप्रसाद, बमरौली कटारा में बने 18 तालाब पूर्व से खुदे हुए हैं। वर्तमान में जल भराव की कोई समस्या नहीं है।

समय-समय पर आवश्यकतानुसार तालाबों की सफाई का कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[चौथे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद कुशीनगर मुख्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता दिलाये जाने की मांग

60-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद का गठन वर्ष 1994 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुख्यालय में तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मकान किराया भत्ता (हाउस रेन्ट) ग्रामीण क्षेत्र का मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुशीनगर में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अधिसूचना संख्या-5-4(1)/33-277, दिनांक 13 मई, 1994 द्वारा जिला पडरौना सृजित किया गया था। अधिसूचना संख्या 1435/1-5/97-277/88-रा0-5, दिनांक 19 जून, 1997 द्वारा जिला पडरौना का नाम परिवर्तित कर जिला कुशीनगर किया गया।

शासनादेश संख्या-1/जी-1-25/दस-2014-226/2008, दिनांक 03 फरवरी, 2014 द्वारा जनपद कुशीनगर के जनपद मुख्यालय पर तैनात सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 'सी' श्रेणी के नगर का मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया।

जनपद कुशीनगर के जनपद मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही 'सी' श्रेणी के नगर का मकान किराया भत्ता अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-1/जी-1-25/दस-2014-226/2008, दिनांक 03 फरवरी, 2014 द्वारा जनपद कुशीनगर के जनपद मुख्यालय को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु 'सी' श्रेणी में चिन्हित नगरों के साथ सम्मिलित किया गया है। अतएव जनपद कुशीनगर के जनपद मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही 'सी' श्रेणी के नगर का मकान किराया भत्ता अनुमन्य है।

प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का लम्बित वेतन भुगतान कराये जाने की मांग

61-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विगत 10 माह से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान प्रशासनिक मद में सृजित धनराशि से देयता के सापेक्ष किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के गांवों का चयन लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयन कर विकास कार्य कराये जाने की मांग

62-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया समग्र विकास योजना अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के क्षेत्र पंचायतों में ग्रामों का चयन हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के सेवरही, तमकुहीराज व दुदही क्षेत्र पंचायतों के गांवों का चयन उक्त योजना में कराकर विकास कार्य करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के क्षेत्र पंचायत सेवरही के ग्राम-पिपराघाट एहतमाली एवं परसा उर्फ सिरसिया का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों का संतृप्तीकरण कार्यदायी विभागों द्वारा किए जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 17-05-2012 में की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के प्रत्येक ब्लाकों में माडल स्कूल का निर्माण कार्य

63-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े ब्लाकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनपद बस्ती के प्रत्येक ब्लाकों में माडल स्कूल बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बस्ती के किन-किन ब्लाकों में माडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

केन्द्रपुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद में वर्ष 2010-11 में 03 माडल स्कूल क्रमशः श्रृंगीनारी, विकास क्षेत्र परशुरामपुर, गोठवा विकास क्षेत्र रुधौली एवं बभनान, विकास क्षेत्र गौर में स्वीकृत हुआ है, जिनका निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की सूचना की जानकारी विषय पत्र पर कार्यवाही

64-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित सूचना की जानकारी कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-5 नं0-286015/472/14 दिनांक 24-05-2014 जिलाधिकारी जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र दिनांक 24-05-2014 द्वारा निम्नलिखित सूचना मांगी गयी है:-

जनपद बहराइच को वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 में विभागीय, अन्य योजनाओं एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना से किन-किन मदों में किस कार्य हेतु कुल कितना धन प्राप्त हुआ। उसके सापेक्ष बेसिक शिक्षा विभाग जनपद बहराइच द्वारा कौन-कौन से कार्य/आपूर्ति कराये गये तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय की गई। उन कार्यों से संबंधित क्रय आदेश, टेन्डर कोटेशन, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र तथा भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अभी तक अवशेष हैं। उन कार्यों को कब तक पूरा किया जायेगा।

उक्त सूचना व्यापक प्रकृति की है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में माडल इण्टरमीडिएट कालेज खोलने का कथित प्रकरण

65-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में नवोदय विद्यालय की भांति विकास खण्ड रूदौली की ग्राम पंचायत पारा पहाड़पुर में मॉडल इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति प्रदान करके कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

66-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ागांव में क्षतिग्रस्त पारीक्षा फोर लेन जौरी बुजुर्ग पालर, गौरारी लेवा, अतपेई होते हुए विठरी सम्पर्क मार्ग तक की सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल कराकर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग बड़ागांव में क्षतिग्रस्त पारीक्षा फोर लोन जौरी बुजुर्ग पालर, गौरारी लेवा, अतपेई होते हुए विठरी सम्पर्क मार्ग तक जाता है। यह ग्रामीण मार्ग श्रेणी के अन्तर्गत है। यह मार्ग वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, झांसी के अन्तर्गत आता है और इस मार्ग का अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत न होने के दृष्टिगत उसे इस योजना में निर्मित कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में चारागाह विकसित करने का निर्देश

67-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनरेगा (योजना) के अन्तर्गत गोरखपुर की चारागाह विकास परियोजना की भांति अन्य जिलों में भी चारागाह विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

इस संबंध में शासनादेश दिनांक 24-08-2012 एवं भारत सरकार के आदेश दिनांक 14-08-2012 के अन्तर्गत चारागाह भूमि के विकास के संबंध में समुचित निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

68-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य में लगे शिक्षा मित्रों का मानदेय वर्तमान समय में 3500 रुपये प्रतिमाह है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014-15 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय रु0 3500/- स्वीकृत किया गया है।

जनपद चन्दौली की कतिपय ग्राम सभाओं में पात्र लाभार्थियों को आवास न दिये जाने पर कार्यवाही की मांग

69-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गोरारी वि0ख0 सदर चन्दौली एवं वि0ख0 चन्दौली के लाभार्थियों की सूची एवं कम्प्यूटर में दर्ज पात्रों को आवास न दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0 321537, दिनांक 02-06-2014 जिलाधिकारी चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र जनपद चन्दौली के विकास खण्ड-सदर चन्दौली के ग्राम सभा-गोरारी के व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित है। इन्दिरा आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार से धनराशि की उपलब्धता एवं पात्रता के आधार पर ग्राम के लाभार्थियों को आवास का आवंटन नियमानुसार कर दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से इन्दिरा आवास योजना में धनराशि प्राप्त होते ही ग्राम पंचायतों को उनके अनुपातिक आधार लक्ष्य का आवंटन कर ग्राम पंचायत-गोरारी के चिन्हित पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आवास आंवटन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

प्रदेश के पालतू पशुओं के टीकाकरण की मांग

70-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालतू पशुओं के टीकाकरण की कोई निःशुल्क योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

प्रदेश में पशुधन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत व्यापक पशु हानि रोकने हेतु शासनादेश दिनांक 04-03-2014 द्वारा पशुओं का टीकाकरण लेवी से मुक्त रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

71-श्री गुटियारी लाल दुबेश-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना में चयनित गांवों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

72-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-5 नं0-400882/6922 दिनांक 03-06-2014 मुख्य विकास अधिकारी जनपद बहराइच तथा प्रतिलिपि जिलाधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरन आर्य-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5 नं0-400882/6922 दिनांक 03-06-2014 नहीं प्राप्त हुआ है, वरन पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/14-15/ख-5 नं0 400882/6924 दिनांक 03-06-2014 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में चयनित ग्रामों की सूची एवं उनमें कराए गए कार्यों का विवरण उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। तत्क्रम में जिला विकास अधिकारी, बहराइच के पत्र दिनांक 13-06-2014 द्वारा वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत चयनित कुल 11 ग्रामों की प्रगति पुस्तिका दिनांक 18-06-2014 को मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र, पयागपुर जनपद बहराइच को उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2014-15 हेतु योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों की कार्ययोजना जनपद स्तर पर तैयार की जा रही है, जिसके कारण जिला विकास अधिकारी, बहराइच द्वारा प्रगति पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। विधान सभा पयागपुर के वर्ष 2014-15 हेतु चयनित ग्रामों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू करने का कथित प्रकरण

73-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुस्तकालयों के सर्वोमुखी विकास हेतु वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार भारत के 19 राज्य जिनमें सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू है, की भांति प्रदेश में भी पुस्तकालय क्षेत्र के सर्वोमुखी विकास एवं इससे जुड़े प्रशिक्षित बेरोजगारों को समुचित रोजगार दिलाने हेतु इसे शीघ्र लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृपया देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या-169 पर।

प्रदेश में होमगार्ड के जवानों का प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता बढ़ाये जाने की मांग

74-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को पूरे वर्ष ड्यूटी पर लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए इन्हे कम से कम 500 रु0 प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय-समय पर होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के ड्यूटी भत्तों में बढ़ोत्तरी की जाती है।

75-श्री इन्द्रपाल सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत पात्रता के मानक एवं उन्हें इसका लाभ दिये जाने की मांग

76-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता का क्या मानक निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव विकास खण्ड असोहा ग्राम पंचायत मिर्री कला में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने विषयक मा0 सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का पत्रांक 146/सा0उ0 एवं नि0 सं0/वि0 स0/12-13, दिनांक 11 मार्च, 2013 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

लोहिया आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-107/38/4-2013-05 (बजट)/2012, दिनांक-20 फरवरी, 2013 में लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि ग्राम सभा स्तर पर ऐसे परिवारों में से किया जायेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु0-36,000/- तक है, आवासविहीन है तथा उनका नाम बी0पी0एल0 सर्वे-2002 के आधार पर बनी स्थायी पात्रता सूची में नहीं है, उन्हें चिन्हित कर लाभान्वित किया जायेगा।

किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया है।

जी हां।

मा0 सभापति का पत्र श्री रामनरेश पुत्र श्री रामदुलारे निवासी ग्राम-निहालखेड़ा, मजरे-मिर्रीकला को लोहिया आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित था। श्री रामनरेश को लोहिया आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी पात्रता की जांच में पाया गया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामनरेश का नाम चयन सूची के क्रमांक-84 पर अंकित है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश में यह प्राविधान है कि आवासों का आवंटन प्रथमतः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों में किया जायेगा। समग्र ग्रामों को संतृप्त करने के बाद यदि आवास अवशेष होंगे, तो उन्हें सामान्य ग्रामों में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

ग्राम-मिर्रीकला लोहिया समग्र ग्राम के रूप में चयनित न होने तथा सीमित धनावंटन के कारण श्री रामदुलारे की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी को लोहिया ग्रामीण आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मांग

77-श्री सन्त प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों की शीघ्र भर्ती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के मानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

78-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 में बस्ती जनपद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित ''भानपुर तेनुआ असनहरा मार्ग'' का निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के बावजूद आज तक पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से बाधित रहा तथा उसका निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं। धनराशि की उपलब्धता के बावजूद कार्य पूर्ण न किये जाने का बिन्दु प्रकरण में निहित नहीं है। प्रश्नगत भानपुर तेनुआ असनहरा सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 11.05 कि0मी0) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत हेतु स्वीकृत है, जिसका कार्य दिनांक-07-10-2013 को प्रारम्भ हुआ है और अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक-06-10-2014 है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य कराया जा रहा है।

उक्त मार्ग का कार्य अनुबन्ध में निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत कराया जा रहा है, अतः कार्य के बाधित होने का प्रश्न नहीं है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक-06-10-2014 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के जलाशयों में पानी की उपलब्धता बनाये रखने की मांग

79-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा निर्मित आदर्श जलाशयों में गर्मी के दिनों में अधिकांश जलाशय सूख गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलाशयों में पानी की उपलब्धता बनाये रखने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गर्मियों के मौसम में जो आदर्श तालाब सूख जाते हैं उन्हें नहरों, टयूबवेल आदि से भरने के लिए समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रदेश के समस्त जनपदों को सूखे हुए जलाशयों का अनुश्रवण कर भरे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के विद्यालयों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

80-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खागा विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालयों एवं जू0हा0 स्कूलों में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा उनमें से कितने रि-बोर कराने योग्य हैं ? क्या सरकार वर्ष 2014-15 में शेष बचे विद्यालयों में उक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराते हुए खराब पड़े हैण्डपम्पों को रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-फतेहपुर की खागा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 445 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 25 नग हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं।

जनपद-फतेहपुर की खागा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हैण्डपम्प विहीन नहीं है। रिबोर योग्य 25 नग हैण्डपम्पों का रिबोर कराया जायेगा।

रिबोर योग्य 25 नग हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य एक माह के अन्दर कराया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा एवं झांसी के सिविल/विद्युत संविदाकारों के लिये देयकर हेतु समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय

81-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा जारी परिपत्र संख्या-वैट/विधि-1(2)-पत्रां-7 (09-10) समाधान योजना 218/0910020/वाणिज्यकर, दिनांक 09-06-2009 के अन्तर्गत सिविल/विद्युत संविदाकारों के लिये देयकर के विकल्प में समाधान योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो आगरा एवं झांसी में इस परिपत्र के विपरीत कर निर्धारण/करारोपण की कार्यवाही क्यों की जा रही है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। शासन द्वारा सिविल संविदाकारों तथा विद्युत संविदाकारों के लिए देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2008 से आगे के वर्षों के लिए समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा परिपत्र संख्या-वैट/विधि-1(2)पत्रा सं0-07(09-10) समाधान योजना/ 218/0910020/वाणिज्यकर, दिनांक 09-06-2009 द्वारा परिपत्रित किया गया।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना की पहुंज नदी पर चेकडैम का निर्माण कराये जाने की मांग

82-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरगढ़ पोपरा के मध्य पहुंज नदी पर स्वीकृत रपटा सहित चेकडैम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

हां, कार्य शुरु नहीं हुआ है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहुंज नदी पर आरी-पोहरा के मध्यम पोहरा में एक चेकडैम कम रपटा बुन्देलखण्ड पैकेज योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित है। ग्राम बरगढ़ ग्राम आरी के बगल में स्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा एवं झांसी में ऐसा कोई प्रकरण उपलब्ध नहीं हुआ है कि उक्त परिपत्र के विपरीत कर निर्धारण/करारोपण की कार्यवाही की जा रही हो। इन स्थलों से यह विवाद अवश्य संसूचित हुआ कि समाधान राशि के अतिरिक्त ऐसे व्यापारियों के सम्बन्ध में अपंजीकृत से खरीद किए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 5 के सुसंगत करदेयता भी अवधारित की गयी।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उ0प्र0 अध्यादेश सं0 4 सन् 2014) से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (कछ) में परिभाषित कर की परिभाषा तथा धारा 6 की उपधारा (1) में किये गये आवश्यक संशोधन द्वारा उक्त विसंगति का निराकरण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पलींदा-पखई के बीच पहुंज नदी पर चैकडैम का निर्माण कराये जाने की मांग

83-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पलींदा-पखई के बीच पहुंज नदी पर स्वीकृत चैकडैम का निर्माण कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

नहीं, जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहुंज नदी के पलींदा एवं परवई के बीच कोई भी चेकडैम निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतों में लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

84-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहाकरी समितियां एवं पंचायतों उ0प्र0, लखनऊ के अधीन जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त रिक्त पदों पर समयान्तर्गत अर्ह सेवकों को पदोन्नति द्वारा न भरे जाने के फलस्वरूप राजकीय कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 87 पद रिक्त हैं।

जी हां।

जी हां।

सेवा नियमावली प्रख्यापित होते ही चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

[12.20] आज की कार्यसूची के नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या-07 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जितना समय व्यवधान में चला गया उतना समय बढ़ा दें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है चूंकि यह प्रश्नों से रिलेटेड है इसलिए अभी पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जब विशेषाधिकार का प्रश्न है तो एजेण्डे में विशेषाधिकार का प्वाइंट है वह जब आए तो उस समय अपनी बात रखें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

चूंकि यह प्रश्नों से रिलेटेड है इसलिए आपका संज्ञान चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या प्रश्न है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। मान्यवर, मैंने एक प्रश्न लगाया था तारांकित प्रश्न संख्या-7 देख लें। मैंने प्रश्न लगाया था कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वे जनपद जहां पर प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है उन जनपदों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनाई है? इसका जवाब कितना हास्यास्पद है एक लाइन का जवाब है राज्य सरकार सभी जनपदों के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। आपकी नियमावली का नियम 38 कहता है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे यह आप भी समझ रहे होंगे सदन भी समझ रहा है कि यह सुसंगत उत्तर नहीं है। इस प्रकार से हमारे प्रश्नों के सम्बंध में क्यों अवमानना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल था कि प्रदेश के वे जनपद जहां पर प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत कम है उन जनपदों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनाई है उसका जवाब क्या है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

हमने कार्य योजना पूछी यह कह रहे हैं कि कटिबद्ध है। कटिबद्ध होना कार्ययोजना नहीं है इसलिए यह हास्यास्पद है।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछा कार्य योजना बनाई है उत्तर में कहा गया कि सरकार समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। आप जो जानना चाहते हैं वह यही तो जानना चाहते हैं कि जहां प्रति व्यक्ति आय में कमी है उसके लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है जिसका उत्तर है कि राज्य सरकार सभी जनपदों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहेंगे हर सरकार प्रदेश के लिए लोगों की भलाई के लिए कटिबद्ध होती है। लेकिन योजना अलग होती है हमने योजना पूछी है कोई सरकार यह नहीं कह सकती है कि हम कटिबद्ध नहीं हैं। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है उसीलिए सरकार चुनकर आती है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर भेज दीजिए।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, यह अवमानना का प्रश्न बनता है इसमें आप निर्देशित करें कि पूरा उत्तर आए।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री रामगोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी योजना तो रहती ही है उस पर कार्य करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसमें अलग से कौन सी कार्ययोजना है। कार्ययोजना है तभी तो हम विकास कर रहे हैं।

[12.23] प्रश्नों के उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नीरज मौर्य (कुशवाहा)-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम यहां पर प्रश्न लगाते हैं। जब हमारे पास एजेण्डा आता है तो उसका जवाब भी आता है। मान्यवर, तीन-चार बार ऐसा हुआ कि हमें जवाब नहीं मिला मैंने इस संदर्भ में पटल कार्यालय को सूचित भी किया दूसरा हमारा जो नाम जोड़ा गया उसका जवाब तो आया ही नहीं मैं चाहूंगा कि हम लोगों को समय से जवाब मिल जाय अगर जवाब नहीं मिलता है तो हमें अनुपूरक तैयार करने में दिक्कत होगी।

श्री अध्यक्ष-

कुशवाहा जी प्रयास यह किया जाता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपके निवास स्थान पर सवेरे एजेण्डे के साथ पहुंच जाय। किन्हीं परिस्थितियों में अगर यह नहीं पहुंच पाता है तो सचिवालय में जो पटल कार्यालय है वहां उत्तर आ जाते हैं। बहुत से माननीय सदस्य जो एजेन्डा पढ़ते हैं, अगर उनका प्रश्न नहीं रहता है, उस पर अनुपूरक पूछना चाहते हैं तो पटल पर आ करके जवाब ले लेते हैं और उसके हिसाब से अनुपूरक पूछते हैं। कोशिश की जायेगी कि आपके पास प्रश्नों का उत्तर एजेन्डे के साथ पहुंचे।

श्री नीरज मौर्य (कुशवाहा)-

मेरा प्रश्न दूसरा था और इसमें दूसरा प्रश्न आया है और मेरा नाम जोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अगर ऐसा है तो हम इसको दिखवा लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

ठीक है मान्यवर।

[12.25] पीस पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

बतायें।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग पीस पार्टी से विधायक हैं और हम यह जानना चाहते हैं कि पीस पार्टी में विधान सभा के अंदर विधान मंडल दल का नेता कौन है ? क्योंकि आपने जो है बहुमत के आधार पर अपना निर्णय दिया था तो विधान सभा के अन्दर अध्यक्ष का निर्णय चलेगा या किसी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष का। आज जब मैं विधान सभा में आया तो हमारी सीट पर अयूब साहब विराजमान थे। तो हमने कहा कि यह आपकी सीट है तो उन्होंने कहा कि हां हमारी सीट है। हमने कहा कि आप अध्यक्ष है तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने सबको पार्टी से निकाल दिया है। अब मैं अकेला बचा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बता दीजिये, सबके सामने बता दीजिये। कि अगर यह अध्यक्ष हैं तो ठीक है, इन्हें कुर्सी प्रिय है, यह तो दिल्ली जा रहे थे निन्यानवे के फेर में। निन्यानवे के फेर में यहीं रह गये। पीस पार्टी के अध्यक्ष का, या विधान मंडल दल के नेता अगर अयूब साहब हैं तो हम लोग इनको नेता मान लेंगे अगर आपने व्यवस्था दिया है। नेता तो आपने हमको दिया था। अध्यक्ष जी, एक चीज और है, अगर अपने आप से पद डिक्लेयर होते हैं तो मैं वह तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, मैं जांऊ वहां बैठूं। हम एक ही नामाराशि भी है।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं। आप कह लें तब मैं व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी बात कहूं।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सभी लोग पीस पार्टी के सदस्य नहीं हैं और आपके संज्ञान में याचिका पहले से पड़ी है। इन तीन लोगों ने जब आपको अपना प्रतिवेदन दिया था उस वक्त यह तीनों सदस्य पीस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पीस पार्टी का कौन सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है, यह निर्णय पीस पार्टी करती है, उसका अध्यक्ष करता है। यह सभी पार्टी के अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कौन व्यक्ति पार्टी का सदस्य है या नहीं है। आपके पास एक याचिका पड़ी है कि यह पीस पार्टी के सदस्य है ही नहीं और इनकी असम्बद्धता के लिये, इनकी मेम्बरशिप को खत्म करने के लिये आपके पास एक याचिका है, करीब-करीब एक वर्ष से पड़ी है। आपने इन सभी लोगों को 4-5 बार अवसर दिया है लेकिन यह जवाब देने से भाग रहे हैं। आप बार बार समय दे रहे हैं और यह जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि निर्णय दें कि यह इस सभा के मेम्बर हैं कि नहीं हैं। यह तीनों इस सभा के सदस्य हैं ही नहीं तो अध्यक्ष बनने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास याचिका दी हुई है। अगर इनमें दम है तो नई पार्टी बना करके नेता बन करके आवें। यह चोरी छिपे और दूसरे से षडयंत्र करके नेता बनना चाहते हैं तो यह तो इनका अपना व्यवहार है। मगर अगर इन्हें कुर्सी चाहिए मुख्य मंत्री या नेता बनना पार्टी का तो जनता के बीच जाएं जनता को मुंह दिखाने के लायक तो यह लोग है ही नहीं। आ तो गये हैं हमारे समर्थन से मगर फिर जिन्दगी में इनके परिवार का कोई आयेगा नहीं। तो यह तो ऐसे नेता बनना चाहते हैं। जिन्दगी भर तो बन नहीं पायें। मैं आपका निर्णय चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र के लिये घातक हैं, जो लोकतंत्र को अपमानित करना चाहते हैं, जो तोड़-फोड़ में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देना और ऐसे लोगों को विधान सभा का सदस्य बनाना यह सर्वथा

अन्याय है और यह हम सभी सदस्यों के लिये अपमान का विषय है। ऐसे लोगों को निर्णय दें कि पार्टी बनावे अलग से।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डाक्टर साहब, विधान सभा का सदस्य न तो स्पीकर बनाता है और न कोई नेता बनाता है, उस क्षेत्र की जनता उन्हें विधान सभा सदस्य बनाती हैं, इसलिए सवाल तो आप जनता के बीच में जाकर करेंगे। रही बात आपके नेता पद की, आपने याचिका दी है, इन्हें निकालने की। उसके पूर्व में आपने सूचित नहीं किया था, चूंकि आप लोगों की सदस्य संख्या-4 थी, विधान सभा में यह है कि बहुमत के आधार पर नेता का चयन होता है। ये तीनों लोग आपके खिलाफ थे, आपको नेता पद से हटा दिया और इन्होंने अखिलेश जी को नेता मान लिया। इसलिए मैंने इनको मान्यता दे दी थी। अब जहां तक याचिका की बात है, याचिका का जब निस्तारण हो जायेगा तो नेता और इसका मामला अपने आप तय हो जायेगा।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इन्होंने कब दिया और आपने कब आदेश दे दिए? मैं नेता था, हमारी बात तो आपने सुनी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

जब 4 लोगों में 3 आपके खिलाफ थे तो आपसे क्या पूछते ? आपको पहले लिखकर देना चाहिए था कि यह लोग पार्टी से निकाल दिए गए हैं, उस समय तो आपने लिखकर दिया नहीं।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आपने कहा कि यह हमारे संज्ञान में नहीं था कि वह पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इनके प्रार्थना-पत्र पर हमको मौका दिया होता सुने होते तो मैं आपके संज्ञान में लाता।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले लिखकर दे देते न। आपने उस समय तो लिखकर दिया नहीं और वह लोग लिखकर ले आए कि हमने नया नेता चुन लिया है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अगर यह आपके संज्ञान में नहीं था और बिना आपके संज्ञान में आए अगर आपने निर्णय लिया है तो जब आपके संज्ञान में आ गया तो निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और पुनर्विचार करके आगे निर्णय आप लें।

श्री अध्यक्ष-

जब निर्णय हो चुका तो आपने लिखकर दिया कि ये हमारी पार्टी के सदस्य हैं। जब याचिका का फैसला आ जायेगा कि वह पार्टी के सदस्य हैं या नहीं है, इसका निर्णय अपने आप हो जायेगा।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, उस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैंने याचिका तो दी है। अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी बात सुनिये, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। 4 मेम्बर आप थे, चारों ने चुनकर आपको पार्टी का नेता बनाया, वैसे चार मेम्बरों पर कोई नेता बनता नहीं है यह विधान सभा की परिपाटी हैं, यहां पर नेता विरोधी दल बैठे है, सारी पार्टियों के नेता बैठे है, पूछ लीजिये। चार विधायकों के नेता, प्रतिनिधि की मान्यता चूंकि हम लोग दे देते हैं, लेकिन जो नियम है, उसमें 4 सदस्यों पर कोई नेता होता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने आपको अपना नेता बना लिया और फिर वहीं 4 में से 3 लोग आपके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आये, अगर 1-2 आते तो आपसे पूछा जाता। 3 लोग आपके खिलाफ प्रस्ताव लाये कि हमने मीटिंग की है और मैंने इनको नेता पद से हटा दिया है और फलां को नेता चुन लिया है। मेरे पास क्या विकल्प था, बतायें ?

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, यही मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मामला गम्भीर है और दुखे दिल का मामला है। 'इस दिल के टुकड़े हजार हुये, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा', मैंने देखा एक दिन जब चुनाव होने वाले थे, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे, डाक्टर साहब का भी था और विधायक जी का भी था जो नेता शायद अब होने वाले हैं। मान्यवर, इसी अन्याय के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने होर्डिंग्स देखा तो आप ठाकुर हैं तो आपके आगे 'सिंह' लगा हुआ था, डाक्टर साहब के आगे 'खान' लगा हुआ था। मुझे अच्छा लगा कि डाक्टर साहब हमारी बिरादरी में आ गये, पठान भी हो गये और ठाकुर भी हो गये। लेकिन क्योंकि यह मिलन अननेचुरल सा था, मुझे लग रहा था कि यह खां साहब और ठाकुर का मामला चलेगा नहीं ज्यादा दिन और आखिरकार देखिये वही हुआ। मेरे ख्याल से हमें यह भी देखना है कि जब हम दूसरों का घर तोड़ते हैं तो अपना टूटता हुआ घर कैसा लगता है और डाक्टर साहब के लिये यह लम्हा ए फिक्र है, वह यह भी सोचें कि आगे की राजनीति में उन्हें इन तजुर्बों से क्या सीखना है। आपसे मेरा निवेदन यह है कि जाहिर है कि आपसे यह कहना कि प्रोसीडिंग्स देख लें। बहुत बुरी बात है। अभी आपने फरमाया कि चार पर कोई नेता नहीं हो सकता है। तो मान्यवर, अगर यह नहीं हो सकते है तो और भी कैसे हो सकते है और मैं डाक्टर साहब की तसल्ली के लिये एक शेर पढ़ दूं। मुरझायें हुये फूल को कहते हैं गुले अफसुर्दा। आ ए गुले अफसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो कुछ ऐसा करें कि मान्यवर, दोनों बहार में लुट जायें न यह नेता बनें न वो बनें।

श्री अध्यक्ष-

देखियें, जो मेरा पुराना निर्णय था वह है। अब आपने मुझे पिटिशन दिया है उसको मैं जल्दी निपटा दूंगा। उसके लिये परेशान होने की जरूरत नहीं है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, याचिकायें 4-5 साल से लम्बित रहती है। दूसरी बात अयूब साहब कुछ बात कह गये जो इनकी औकात में नहीं है कि हमारे परिवार का कोई नहीं चुना जायेगा। मैं पांच बार विधायक बना हूं। और 96 हजार वोटों तक से जीता हूं। रही परिवार की बात तो अभी इनका लड़का कांठ से लड़ा था 09 हजार वोट मिले इनके लड़के को। हमारा इनका साथ छूट गया। एक लाख वोट भी इनको नहीं मिले और हमने तो इनको मना किया। हमारे दोनों विधायक तो इनको विधान मण्डल दल से ही निकालना चाहते थे। हमने इनको नहीं निकलने दिया।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, अगर यह इतने ही मजबूत थे तो इनको पीस पार्टी की शरणागत आने की क्या जरूरत थी। पीस पार्टी की सहायता से विधायक बनने की क्या जरूरत थी। बनते विधायक जिस तरह से बन रहे हैं और जहां तक मा0 मंत्री जी ने बताया है कि घर तो टूटना पीस पार्टी की किस्मत है। समाजवादी पार्टी भी टूटी है, भाजपा भी टूटी है, बसपा भी टूटी है। कांग्रेस भी टूटी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

डा0 साहब मैंने यह नहीं कहा। आप जिम्मेदार शख्स है आप प्रोसीडिंग निकाल लें। मैंने यह कहा कि घर टूटने के दर्द का अहसास आपको हुआ होगा क्योंकि आपका घर टूटा है।

डा0 मो0 अयूब-

पार्टियां तो टूटती है और जिन पार्टियों का जनसमर्थन होता है जिनके मुद्दे होते है वह पार्टियां आगे बढ़ती हैं। टूटने वाला अगर कोई कामयाब हुआ हो तो बता दें। उनकी किस्मत बर्बादी है और इन सबकी किस्मत बर्बादी है। इसलिये यह बड़े घमण्ड में न रहे इनका घमण्ड आने वाले चुनाव में एकदम खत्म हो जायेगा। पीस पार्टी है और पीस पार्टी रहेगी। पीस पार्टी किसी को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। सकारात्मक सहयोग और सकारात्मक काम करती है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया डा0 साहब। अब आगे लेने दीजिये।

डा0 मो0 अयूब-

इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[12.40] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01-07-2014 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुयी। जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड माण्डा अन्तर्गत सुरबदलापुर में 35 के0बी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध है। दूसरी सूचना श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे बने तटबंधों के शेष बचे गांवों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की जनपद वाराणसी स्थित शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय में व्याप्त दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की है (अनुपस्थित)

पांचवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय पर्यटक स्थलों को सुन्दरीकरण एवं जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह की क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा मरीजों को सहयोग प्रदान किये जाने के प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 की बन्द पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

नौवीं सूचना श्री इरफान सोलंकी है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

दसवीं सूचना श्री मो0 जासमीर अंसारी की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

ग्यारहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों की प्रोन्नति लेवल-3 से लेवल-4 में किये जाने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

चौदहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

पंद्रहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत जर्जर तिलहर-निगोही मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

सोलहवीं सूचना श्री मनोज कुमार सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैय्यदराजा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के स्थान पर श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री सन्त राम कुशवाहा एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर की सूचनायें ली जाती है।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के स्थान पर श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री सन्त राम कुशवाहा एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर की सूचनायें ली जाती है।

शेष निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री राम चन्द्र यादव, श्रीमती बिमला सिंह

सोलंकी, श्री राजबली जैसल, श्रीमती सीमा, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा0 अरूण कुमार, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री उमाशंकर, श्री अनिल कुमार, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री काली चरन सुमन, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव, श्री राकेश बाबू, श्री सतीश महाना, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री दलवीर सिंह, श्री भगवती प्रसाद, श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू, श्री बब्बन सिंह चौहान एवं श्री सुशील सिंह।

सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी मानी गयीं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के विकास खण्ड अन्तर्गत सुरबादलापुर में 35 के0वी0ए0 के विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

[जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा में विकास खण्ड माण्डा के सुरबादलापुर में 33 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन अति आवश्यक हैं। पुराने सब-स्टेशन पर भार ज्यादा होने की वजह से आये दिन जनता की समुचित बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती।

इसलिये सुरबादलापुर में एक सब-स्टेशन 33 के0वी0ए0 का बनाना अति आवश्यक है।

क्या मा0 विद्युत मंत्री समस्याओं के निजात हेतु सुरबादलापुर में सब-स्टेशन का निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी में घाघरा नदी के किनारे बने तटबन्धों के शेष बचे गांवों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद-

[महोदय, खजनी तहसील जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के किनारे वर्षों पहले तटबन्ध बना जिसमें लगभग 50 गांव की भूमि ली गयी और उसमें कुछ गांवों को उचित मुआवजा भी दिया गया परन्तु उस मुआवजे से कुछ गांव जैसे मकरहा, गायघाट सहित अन्य कई गांव मुआवजे से वंचित रह गये। इन शेष बचे गांवों के भू-मालिक गरीब किसान हैं उनके पास कम जमीन है वह भी बन्धे में ले लिया गया और अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया। जिससे ये किसान भुखमरी के कगार पर है। इन पीड़ित किसानों को मुआवजा अविलम्ब दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खजनी तहसील के शेष बचे किसानों को मुआवजा दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी स्थित शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय में व्याप्त दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

[महोदय, यह अत्यन्त खेद का विषय है कि सेहत सुधार के शासन द्वारा हजारों दावों के बीच उक्त अस्पताल तथा सरकारी जिला महिला अस्पताल में मरीजों को आवश्यक सुविधायें भी नहीं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिलती हैं। मरीजों हेतु कुछ जांचें भी लिखी जाती हैं लेकिन महिला अस्पताल में पैथालाजी विभाग में वर्ष 2004 से आज तक किसी पैथालोजिस्ट की नियुक्ति ही नहीं हुई। डाक्टरों द्वारा लिखे गये गर्भवती महिलाओं के ब्लड ग्रुप, हिमोग्लोबिन आदि की जांच अस्पताल की पैथालाजी के टेक्निशियन ही करते हैं। दुःख का विषय है कि इतनी महत्वपूर्ण जांच सिर्फ लैब टेक्नीशियन के भरोसे ही की जाती है। ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, थायराइड, होरमोन्स आदि की जांच के लिये मरीजों को दूसरी जगह रेफर करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप मरीजों को सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में बने यूनिट में ए0सी0 की सुविधा अक्सर उपलब्ध नहीं रहती है जिससे मरीजों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ता है। अस्पताल में हार्ट के मरीजों हेतु आई0सी0यू0 वार्ड हेतु कमरा बना हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है परन्तु मरीजों हेतु न तो कोई अन्य उपकरण हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है न तो हार्ट स्पेशलिस्ट है। जब भी किसी अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है तो गन्दगी का भरमार मिलता है। ज्ञातव्य हो कि मेरे विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से अस्पताल में गरीबों हेतु स्थापित दो यूनिट डायलिसिस मशीन भी अक्सर खराब बताकर मरीजों को लौटा दिया जाता है जिसके खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। गरीबों हेतु निर्मित अस्पताल में सभी सुविधायें उपलब्ध हों इस हेतु आवश्यक कदम अविलम्ब उठाया जाना चाहिए।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के कतिपय पर्यटक स्थलों का सुन्दरीकरण एवं जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र 374 सैदपुर, जनपद गाजीपुर कि धार्मिक स्थलों कि बहतु बड़ी समस्या है।

मान्यवर, करोड़ों लोगों कि धार्मिक भावनाओं एवं आस्थाओं से जूड़ी मोक्ष दायिनी के रूप में जानी पहचानी जाने वाली गंगा नदी के किनारे मेरा विधानसभा सैदपुर स्थित है, साथ ही साथ बहुत सी धार्मिक स्थल एवं पर्यटक स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित है।

मान्यवर, मेरे विधानसभा को निम्न स्थलों को पर्यटन में सम्लीत कर सुन्दरीकरण व जीर्णोद्धार कराने हेतु।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। स्थल सम्राट अशोक सतम्भ भितरी, बराहा जी धाम औड़िहार, चकेरी धाम नागा बाबा धाम, फूलवारी बूढ़े महादेव, सैदपुर, किनाराम धाम रामपुर माझा, बिछुड़न महादेव रामपुर।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु पक्के नाले का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान ग्राम खजूरगांव में कच्ची नाली जिससे घनी आबादी के ग्राम गेगासो, छोटा गेगासो, गंगागंज, बैसन का पुरवा, चुरैय्या, ग्राम मीठापुर, सरैला, कोडरी, गुरू का पुरवा, रघुनाथगंज, नौबस्ता, जनेवा कटरा, फुटहापर, यदुनाथसिंह का पुरवा आदि ग्रामों की जल निकासी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुरानी नाली सिल्ट और पौधों के जमाव से जल प्रवाह बाधित रहता है एवं वर्षा के जल भराव से उफनाने पर समीपवर्ती स्थित सैकड़ों घरों को क्षतिग्रस्त करती हुई आबादी जमीन प्रभावित करके विक्राल धारा के रूप में परिवर्तित हो बर्बादी करती जाती है।

अतः इस गम्भीर समस्या की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब, ग्राम खजूरगांव में 600 मीटर पक्के नाले को निर्माण करवाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की मांग करता हूं।]

क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा मरीजों को सहयोग प्रदान किये जाने के प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है। क्षेत्र विकास निधि में विधायकों में प्रस्ताव पर कार्य होते हैं। उसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था। कि उसमें मरम्मत का कार्य न होने के कारण तथा बिमारियों में पीड़ितों के सहयोग के लिए जो नियम कानून बनाये गये हैं। उसमें सही समय पर सहयोग न दिये जाने से विधायक निधि से इलाज हेतु जो पैसा मिलता है। उसकी प्रक्रिया काफी लम्बी होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण अन्तर्गत टी0ओ0एस0पी0 की बन्द पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, के 90-आगरा ग्रामीण वि0 सं0 क्षेत्र अन्तर्गत-पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत टंकियां स्वीकृत की गयी थी हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पायी हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत टंकियां भी अधूरी पड़ी हैं इस योजना के अन्तर्गत ग्राम-2, मुहल्ले-2 में बोरिंग हुई थी जो अधूरी हुई है तथा किसी जगह पर खाली टंकियां बनी बड़ी हैं किसी जगह पर शो पीस बनी पड़ी हैं तथा कहीं-2 पाइप लाइन ही नहीं है तथा कहीं-2 पर विद्युत कनेक्शन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही नहीं है। इस योजनान्तर्गत अधूरी पड़ी टंकियों को अभी तक चालू न होने पाने के कारण इस योजना का लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का समाधान न हो पाने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त योजना के अन्तर्गत हुई लापरवाही की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पेयजल की समस्या का निदान अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति लेवल-3 से लेबल-4 में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश के अधिकांश चिकित्सा अधिकारी लेबिल तीन से लेबिल चार में एक लम्बे समय से प्रोन्नति होने हेतु प्रतीक्षारत है जिनसे उनमें काफी रोष व्याप्त है। इससे उनकी कार्य क्षमता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं शासन से चाहूंगा कि प्रदेश के उक्त चिकित्सा अधिकारियों को लेबिल तीन से लेकर चार तत्काल प्रोन्नति करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के अन्तर्गत डोमवा ढाले से लेकर आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, रामपुर गांव होते हुए भगत चौराहे तक तथा रानीबाग चौराहे से कजाकपुर चौराहा होते हुए पुष्पांजली मैरेज हाउस (कजाकपुर) तक एवं ब्लाक पिपरौली के सेवई से लेकर हरदिया गांव तक मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह सभी महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्गों के निर्माण काफी प्रयास किया गया परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से जनमानस में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों के निर्माण हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल निर्माण न होने से दर्जनों गांव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्णतया प्रभावित होते हैं। पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को ब्लाक-मुख्यालय, थाना-पड़री, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय आदि जाने हेतु लगभग 10 कि0मी0 के बजाय लगभग 35 कि0मी0 तक दूरी तय करनी पड़ रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक समय एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण न होने क्षेत्रीय जनता रेलवे क्रासिंग से जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आये दिन आशंका बनी रहती है। बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बेलवन नदी पर पुल निर्माण हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से कई बार अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बेलवन नदी पर पुल के निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत जर्जर तिलहर-निगोहीं मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत तिलहर निगोही मार्ग अतयाधिक उबड़ खाबड़ गढ्ढा युक्त हो जाने के कारण आये दिन कृषकों की गन्ने आदि की टालियां पलट जाती हैं। क्षेत्रीय जनता का आवागमन भी दूभर हो गया है। कहीं कहीं पर बड़े बड़े गढ्ढे होने के कारण बरसात के समय तालाब को रूप ले लेते हैं, क्षेत्रीय जनता को पैदल चलने में भी कठिनाई होती है इसी मार्ग पर गत वर्षों में आई बाढ़ के कारण विरसिंहपुर के आगे लगभग 30 मी0 सड़क भी बह गयी है। जिसने बड़े तालाब का रूप ले लिया है। क्षेत्रीय जनता को यह तहसील जाने का मुख्य मार्ग है, तहसील मुख्यालय आने-जाने के लिए 8 कि0मी0 की बजाय 60 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ता है। जिससे समय एवं आर्थिक क्षति होती है, इस विषय पर उच्चाधिकारियों एवं शासन से कई बार पत्राचार एवं वार्तालाप किया गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से अतिशीघ्र कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैय्यद राजा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद चन्दौली के अपने निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा में ग्राम धानापुर-महुजी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग, जनौली महुजी मार्ग, धीना-जमानिया मार्ग, धानापुर-डेढ़ावल चौकी मार्ग काफी जर्जर है। जिसमें आये दिन कोई न कोई दुर्घटनायें होती रहती है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त सभी सड़कों को तत्तकाल ठीक कराये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा ग्राम-वघावली की माइनर से लगभग 1 किमी0 पीचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त राम कुशवाहा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219 माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुरा ग्राम वघावली ग्राम पंचायत कस्बा के पूर्व की ओर माइनर में जल रिसाव काफी मात्रा से होता रहता है। जिससे किसानों की लगभग 150 एकड़ जमीन जल भराव के कारण फसलों की बुआई नहीं हो पाती है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। जो किसान पलायन करने पर मजबूर हैं। जिससे किसानों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम की माइनर में लगभग 1 कि0मी0 पीचिंग का कार्य (पक्की) किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के कामदगिर स्वामी की परिक्रमा स्थल के चारों ओर छायादार वृक्ष वैष्णों देवी की तर्ज पर छाया शेड लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में बहुत अधिक संख्या में स्नान करते हैं, वर्ष-2013-14 में सिंचाई विभाग द्वारा सीढ़ियों का सौन्दर्यीकरण किया गया था, पानी रोकने के लिए नदी के चारों ओर बोरियां लगायी गयी थी लेकिन अभी तक उनको निकाला नहीं गया जिससे मिट्टी बहाव के साथ आती है और वहीं एकत्र हो जाती है, जिससे नदी की गहराई कम हो रही और जल संचय की मात्रा कम हो रही है। इस प्रकार श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है। तथा हर माह अमवस्या के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालू यहां आते हैं। इलाहाबाद में गंगा स्नान या कुम्भ से होकर भी श्रद्धालू यहां आते हैं। इलाहाबाद में गंगा स्नान या कुम्भ से होकर श्रद्धालू चित्रकूट में कमदगिर स्वामी के स्थल पर परिक्रमा लगाने आते हैं, लेकिन कामदगिर परिक्रमा स्थल में लगे हुए पत्थर गर्मी में बहुत ज्यादा गरम एवं सर्दी के मौसम में बहुत अधिक ठंडा एवं बरसात के समय बहुत ज्यादा फिसलते हैं जिससे कई श्रद्धालू जख्मी हो जाते हैं, अगर परिक्रमा स्थल पर के चारों ओर छाया दार वृक्ष लगवाने एवं माता वैष्णों देवी स्थान के तर्ज पर वहां छाया सेट न लगे होने से वहां पर श्रद्धालूओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, जनहित में जनपद चित्रकूट के कामदगिर स्वामी के परिक्रमा स्थल के चारों ओर छाया दार वृक्ष वैष्णों देवी की तर्ज पर छाया सेट लगवाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर में मकरही, मंझनपुर, फिटकहवां, यादव बस्ती के सामने वाले 6 पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर में मकरही, मंझनपुर, छिटकहवां, यादव बस्ती के सामने नाले पर एक बड़ी पुलिया का निर्माण करा दिया जाता तो वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो जाती। इस सम्बन्ध में मैंने बार-बार स्थानीय अधिकारियों से पुलिया बनाये जाने का अनुरोध किया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नाले पर पुलिया के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके।]

[12.45] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 जुलाई, 2014 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनाएं प्राप्त हुईं-

पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए जांच समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

यह इसका विषय नहीं है, इसको दूसरे नियमों में लाना चाहिए और सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठक न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डा0 मोहम्मद अयूब की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 व अन्य सभी लेखों को सरल हिन्दी भाषा में निर्गत करने के सम्बन्ध में है।

भाषा का सवाल यहां उठता नहीं। मा0 सतीश महाना जी, आप अपनी बात रखें।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों की बैठक न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज आपने बड़े महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न के ऊपर कृपापूर्वक मुझे सुनने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, विधान सभा की जो भी कार्यवाही होती है, वह आपके निर्देशानुसार और आपके संरक्षण में होती है। इसके साथ-साथ सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है स्वाभाविक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रूप से वह जनहित का निर्णय होता है लेकिन मान्यवर, जो समितियां आपके संज्ञान में हैं कि विभिन्न मंत्रालयों में अपना सुझाव देने के लिए इस सदन से सम्बन्धित विधायकों की समिति बनती है। चाहे वह ऊर्जा से सम्बन्धित हो, चाहे वह गृह से सम्बन्धित हो, चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 से सम्बन्धित है। मान्यवर, सारे विभागों के लिए इस प्रकार की समितियां बनती हैं और आप उनके समितियों के लिए नाम मांगते हैं और विधान मण्डल दल के सदस्यों का, विभिन्न राजनैतिक दलों से, सबका नाम उसमें होता है। मान्यवर, उसका उद्देश्य यह होता है कि जनता की बात हम सीधा सरकार तक पहुंचा सकें और उस बात को आधार मानकर सरकार कोई निर्णय ले सके, नीति बना सके। मान्यवर, स्वाभाविक रूप से जिस समय बजट सत्र होता है तो बजट के लिए यह भारत सरकार में भी है कि बजट के लिए लोगों से मंत्रणा करते हैं। उसके ऊपर एक कमेटी बैठती है, वह सुझाव देती है फिर उस सुझाव के आधार पर देश का बजट बनता है। मान्यवर, उसी प्रकार से प्रदेश में भी एक नियम है और उसी उद्देश्य के साथ वह समितियां बनायी जाती हैं कि अगर बजट बनना है तो वित्त के परामर्श के अन्तर्गत सभी दलों के विधायक उसमें होते हैं, वे अपने सुझाव दें और उसके सुझाव को सरकार संज्ञान में ले। अगर उसमें कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उनके इनकॉरपोरेट करके बजट प्रस्तुत करें। मान्यवर, साथ ही जिस प्रकार से जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपके समक्ष एक बात बड़ी विनम्रता से निवेदन की थी और उस पीड़ा को भी व्यक्त किया था कि आप जिस समय बैठक बुलाते हैं सर्वदलीय तो उस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य यह होता है कि सभी लोगों की भागीदारी हो। मान्यवर, आप कृपया इसका संज्ञान ले लें क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष के अन्दर दो बार जिस मा0 सदस्य का नाम हम भेजते हैं, किसी का भी नाम हम भेजें तो वह हमको आकर शिकायत करते हैं कि आपने किसमें नाम भेज दिया, हमारी तो आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। मान्यवर, जैसे हमको हमारे मा0 सदस्यों द्वारा शिकायत मिलती हैं, वैसे भी स्वाभाविक रूप से सभी राजनैतिक दल के नेताओं को जिन सदस्यों का नाम उनसे पूछकर जाता है उनको भी शिकायत मिलती है। मान्यवर, इसमें दो बातें हैं, यह केवल शिकायत तक सीमित नहीं है कि उन्होंने हमसे शिकायत कर दी। यह उनकी पीड़ा भी है कि यदि वे किसी समिति में हैं तो उस समिति का औचित्य क्या हुआ ? अगर उस समिति का औचित्य है तो उसकी भागीदारी कितनी है ? केवल नाम के लिए अखबार में छप जाये, अखबार में जा करके नाम छपवा दें कि फलां-फलां समिति के हम सदस्य हैं उससे हमारा सम्मान बढ़ने वाला नहीं होता, उससे हमारा सम्मान और गिरता है। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि सम्मान गिरता है। गिरता इसलिए है कि अगर हम ऊर्जा की समिति में है। और ऊर्जा की कोई बैठक नहीं हुई तो सदस्य हमारे से दो बार पूछे, हमारे से मतलब मेरे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। हम में से किसी से भी जो उस समिति के सदस्य हैं, उससे कोई बात पूछे तो मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ तो लोग पूछते हैं कि फिर काहे के सदस्य हो। मान्यवर, चूंकि यह विभान सभा से सम्बन्धित है, सरकार की सभी समितियों और सरकार की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है, सरकार को सुझाव देने से सम्बन्धित है और इसमें पूरे विधान सभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि विगत दो वर्षों से जो इसमें कोई किसी प्रकार की बैठक नहीं हुई तो आप कृपया सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि या तो उनकी बैठकें नियमित रूप से जैसे वह प्रस्तावित हैं, वह हों नहीं तो अगर उन समितियों का कोई औचित्य नहीं है तो उन समितियों को भंग कर दिया जाये ताकि हम इस बात को न कह सकें कि हम इस समिति के सदस्य हैं वहां पर केवल एक झुनझुना पकड़ाने के लिए नाम मात्र के

लिए हम उसमें सदस्य हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि या तो उन समितियों की बैठकें हों या उन समितियों को भंग कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

हमारे निदेश में 709 में है कि स्थायी समितियों की बैठक वर्ष में दो या तीन बार होनी चाहिए। कम से कम एक बार या दो बार तो अवश्य होनी चाहिए। पहले हम लोग भी स्थायी समितियों में थे तो बैठकें होती थीं लेकिन बहुत दिनों से इसी सरकार की बात नहीं है। इसके पूर्व से भी यह परम्परा धीरे-धीरे शिथिल होने लगी और यह बैठकें अब नहीं हो पाती हैं। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों से कहा जाये कि वह अपनी स्थायी समितियों की बैठकें बुला लें, उससे बहुत सी अच्छी जानकारी भी मिल जाती है और उससे कार्य में, आने वाले बजट में सब सुविधायें होती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

असल में मान्यवर, हुआ क्या है कि इन समितियों की बैठकें इसलिए भी सिमटती चली गयीं, कि मा0 सदसयों की संख्या बहुत कम होने लगी थी और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ मंत्री ही बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं, सदस्य आ नहीं रहे हैं। यही वजह रही, हम तो आते रहे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बार पुनः प्रयास कर लें, इस बार जो चुनकर आये हैं, हो सकता है, वह सक्रिय हों। प्लीज, निवेदन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ठीक है, बिल्कुल डेड हो गयी थी, आते ही नहीं थे सदस्य।

[12.53] भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का महाकुम्भ मेला 2013, इलाहाबाद पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का महाकुम्भ मेला-2013, इलाहाबाद पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

[12.53] जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौर के ग्राम बरगांव होते हुए नगला ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कचौर से ग्राम बरगांव होते हुए नगला ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कपसिया से मुबारिकपुर होते हुए ग्राम टीकरीकला तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती मनू शर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम कपसिया से मुबारिकपुर होते हुए ग्राम टीकरीकला तक की क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती मनू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरूद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए ग्राम ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा आदि निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम मुगलगढ़ी गुरूद्वारे से ग्राम बरई शाहपुर होते हुए ग्राम ढक तक क्षतिग्रस्त सड़क की जनहित में मरम्मत कराये जाने विषयक श्री नन्द किशोर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता की कतिपय जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्रीमती उर्मिला चौधरी आदि निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

(श्री अध्यक्ष द्वारा याचिका उपस्थित करने हेतु मा0 सदस्य डा0 राकेश कुमार वर्मा का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित थे।)

श्री अध्यक्ष-

इनकी याचिका नहीं प्रस्तुत हुई।

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

मद संख्या- 7, 8 एवं 9 में कुछ नहीं है।

[12.54] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01-07-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से दो सूचनाएं ग्राह्यता के लिए चुनी गयी और शेष दो पर ध्यानाकर्षण हुआ।

इसमें से पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व उनके साथ काफी बड़ी संख्या में अन्य की है जो कि प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों को नियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल व सतीश महाना जी की पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ जनसंख्या के बीच अकेले बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में संसाधनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। मा0 मौर्या जी, अपनी सूचना पर आप बोलेंगे कि कोई और बोलेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह नियम-56 के अन्तर्गत पूरे प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती हुई है और इनकी तैनाती 2013 जुलाई से की गयी है, स्वाभाविक रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती से शिक्षा की गुणवत्ता में अन्तर भी आया है और मान्यवर, विशेष रूप से खेल एवं शारीरिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कला एवं शिल्प एवं कृषि की शिक्षा में खासा बढ़ोत्तरी भी हुई है, तो ऐसे महत्वपूर्ण अनुदेशक शिक्षकों की तैनाती से जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हुई है, मान्यवर, उनको नियमित शिक्षक बनाये जाने के लिए, अन्य शिक्षकों की तरह स्थानान्तरण की सुविधा दिये जाने के लिए और साथ ही साथ 100 बच्चों से भी कम के विद्यालयों में भी इनकी तैनाती सुनिश्चित किये जाने के लिए, मांग करता हूं। मान्यवर, इस विषय पर जिस तरीके से मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ठोस कार्यवाही करके सुधार करना चाहते हैं, शिक्षा मित्रों को बड़े पैमाने पर नियमित करने का फैसला सरकार ने किया है मान्यवर उसी तरह से सरकार को खाली पदों की भरपाई करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को नियमितीकरण करने का कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर यह अंशकालिक अनुदेशक सड़कों पर आ सकते हैं। मान्यवर, जो इनकी मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान दे और उनको नियमित करने का काम करे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना को प्रस्तुत किया है उस पर इस सदन में इस विषय पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं ही कहा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी दिलचस्पी ले रहे हैं। हम उनसे अलग से बात करेंगे और जो भी बेहतर हो सकता है वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की और श्री सतीश महाना जी की है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं यहां यह कहने के लिए इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कुछ नहीं हो रहा है, मान्यवर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है उसमें हमारा काम है कि लगातार इस बात को उठाकर सरकार के संज्ञान में उन बिन्दुओं को लाना। मान्यवर, अगर हम मान लेंगे कि वहां सब कुछ हो गया है तो फिर डिमांड का ऐंड हो जायेगा। मान्यवर, जो वहां पर इंसेफेलाइटिस वार्ड है वहां पर अस्थायी मानदेय पर कर्मी कार्यरत हैं उनके वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, वह लोग इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के इलाज में अपनी जान को जोखिम में डालकर सहायता करते हैं तो उस व्यवस्था का वह भी एक हिस्सा है। मान्यवर, उन कर्मचारियों को 3200 रु0, 3400 रु0 और 3600 रु0 मानदेय मिलता है। अगर वह भी नहीं मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सहायता से मरीजों को तो न्याय मिल जायेगा लेकिन उन कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। मान्यवर, उन कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिलाने की कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, उनका उचित मानदेय तय किया जाये और वह उनको दिलाया जाये। मान्यवर, 3 अक्टूबर, 2013 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर इंसेफेलाइटिस वार्ड में सौ बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया था। वह सराहनीय कदम है उनका। लेकिन उस वार्ड में पद सृजित नहीं हुए हैं और उसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय शंखलाल मांझी जी बैठे हुए हैं। आक्सीजन प्लान्ट लगाने की बात आयी थी तो उन्होंने कहा था कि वह लगा दिया गया है। मान्यवर, आपके प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वहां पर 29 तारीख को गये थे हम लोग भी गोरखपुर में मौजूद थे यदि वह हम लोगों को बुला लेते तो शायद फिर वहां की स्थिति को यहां पर उठाने की जरूरत नहीं होती। हम उनके माध्यम से ही सब काम करा लेते। मान्यवर, उनसे नीचे के अधिकारी जो होते हैं वह कितना बता पाये अपने से बड़े अधिकारी को यह आप समझ सकते हैं। मान्यवर, वहां पर गैस पाइप लाइन नहीं है आक्सीजन प्लान्ट नहीं है। मान्यवर, दो दिन पहले तक तो मैं वहां पर था, वहां पर आक्सीजन प्लान्ट और गैस पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं हो पायी थी अब आज की स्थिति पता नहीं है। मान्यवर, मरीजों की जीवन रक्षा के लिये इनकी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मैं कई बार इस सदन के संज्ञान में लाया। हम प्रदेश सरकार स्तर पर विभिन्न मेडिकल कालेजों को बजट देते हैं वह उनके बेड की क्षमता के आधार पर और बेड की आक्यूपेंसी के आधार पर मिलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब हमें मालूम है कि मेडिकल कालेज की स्थिति एक अलग है और बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से और बिहार से बड़ी संख्या में इन्सेफ्लाइटिस के मरीज आ रहे हैं। हम यह दावा भी करते हैं मैं आपको नहीं कहता मैं हम सबको कह रहा हूं यह भी दावा करते थे आप भी दावा करते हैं हम लोग भी गोरखपुर में जा करके यही कहते हैं कि हो रहा है। हम जब यह कहते हैं कि हम उनके नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें वास्तव में उनके इलाज के लिये अलग से बजट देना चाहिए। सच्चाई यह है अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनीत भाव से कह रहा हूं इस आधार के साथ कह रहा हूं कि बहुत कुछ हुआ है मैं उसको गिना सकता हूं जो हुआ है मैं उसको भी गिना सकता हूं माननीय मंत्री जी लोग जानते हैं लेकिन हम अगर बजट नहीं देंगे तो जिस नि:शुल्क इलाज

की हम बात कर रहे हैं वह निःशुल्क इलाज इन्सेफ्लाइटिस के मरीजों का तो हो जायेगा लेकिन उसी 2 करोड़ रुपये के बजट में से होगा और जो मेडिकल कालेज के सामान्य अन्य मरीज भर्ती हैं वह बेचारे बिना दवा के मर जायेंगे तो हमें कहीं वह जो इन्सेफ्लाइटिस के मरीज वहां भर्ती हो रहे हैं उनके इलाज के लिये बजट की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी सदन का सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा। इसी प्रकार से अध्यक्ष जी, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा वहां पर एक ट्रामा केयर सेन्टर प्रारम्भ हुआ है, हुआ है इसी सरकार के शासनकाल में हुआ है लेकिन अध्यक्ष जी, फिर वही बात है ट्रामा केयर सेन्टर तो बन गया बिल्डिंग भी बन गयी मरीज भी भर्ती हो रहे हैं लेकिन न तो पद सृजित हुए न कोई बजट की व्यवस्था की गयी और न ही वहां कोई आक्सीजन लाइन की व्यवस्था की गयी। अब अध्यक्ष जी आप भी समझ सकते हैं कि जो मरीज ट्रामा केयर सेन्टर में आते होंगे उन्हें हम अगर आक्सीजन भी नहीं दे पायेंगे तो उनका जीवन बचायेंगे कैसे ? इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जो ट्रामा सेन्टर हमने बनाया है उसमें जो मैं बाते कह रहा हूं यह अगर लाजिकल नहीं है तो कोई कह देगा कि लाजिकल नहीं है। लाजिकल है तो उनको तेजी से कैसे करेंगे। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार एक दिन में सब कर देगी लेकिन करने का प्रयास दिखा है और थोड़ा प्रयास और हो जाय तो और बेहतर दिखने लगेगा। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री ने बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में एक एम0आर0आई सेन्टर, एक कोबाल्ट यूनिट की स्थापना की बात कही थी उसकी घोषणा की थी उसकी पत्रावली आई है बहुत बड़ी लागत नहीं है। मान्यवर, आप समझ सकते हैं कि एम0आर0आई0 मशीन, एम0आर0आई0 बाहर जब कोई जांच कराने जाता है, मैं चिकित्सक हूं इस सदन में मैं नहीं कह सकता हूं बड़ी शर्मिन्दगी होती है, चिकित्सक होने की शर्मिन्दगी होती है आज कल 18-1800, 2-2000 रुपये में जांच हो रही है सिटी स्कैन और एम0आर0आई0 की, सरकार उन्हें करायेंगी तो 500 रुपये में हो जायेगी और अब यह मशीनें बहुत खर्चीली नहीं रह गयी है। चूंकि यह बात और वैसे भी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज पूर्वांचल का अकेला मेडिकल कालेज है 7 करोड़ नागरिकों के बीच का अकेला मेडिकल कालेज है। हम लोगों की लड़ाई इसको एम्स बनाने की है जब तक एम्स न बने तब तक कम से कम आप सहमत होंगे इस बात से हालांकि आपका यह प्रत्यक्ष विभाग नहीं है लेकिन फिर भी एम0आर0आई0 मशीन और कोबाल्ट मशीन, माननीय अध्यक्ष जी, हम खत्म करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक नर्सिंग कालेज की स्थापना की बात कही थी नर्सिंग कालेज का भवन बन गया। अध्यक्ष जी, कभी आप आइये आप स्वयं भी बहुत खुश होंगे आपके सिद्धार्थ नगर के सारे लोग वहीं आते है, भवन बनकर तैयार हो गया लेकिन पद सृजित नहीं हुए तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। नर्सिंग कालेज का महत्व तो अगर मुझे कल चिकित्सा शिक्षा के बजट पर बोलने को मिला होता मैं इसे अपना दुर्भाग्य मानूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप ही लोग तो नहीं चलने दिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य है, मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार कर रहा हूं, आप लोग यह लोग इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं परिस्थितियां इसके लिये जिम्मेदार हैं। नर्सिंग कालेज और फार्मेसी कालेज की जो बातें हुई थी नर्सिंग कालेज का भवन बन गया है पद सृजित करके

वहां शिक्षा प्रारम्भ करनी है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा आपको जानकर आश्चर्य होगा इतना बड़ा मेडिकल कालेज हम सिर्फ मेडिकल कालेज की बात कर रहे हैं इतना बड़ा मेडिकल कालेज वहां एक बड़ा जनरेटर भी नहीं है आज के दिन भी यह पत्रावलियां आती और जाती हैं कि 250 के0वी0ए0 का एक जनरेटर उस मेडिकल कालेज में लगा दिया जाय। अध्यक्ष जी 6 मंजिला बिल्डिंग है, आप उम्मीद करिये, 6 मंजिल पर मरीज कैसे चढ़कर जाते होंगे और ओ0टी0 ऊपर बनाई गयी है। हम उन सीढ़ियों को देखते हैं जिनसे ढकेलकर मरीज ऊपर ले जाये जाते हैं। आज के युग में जहां छोटे-छोटे शापिंग काम्प्लेक्स अपने यहां लिफ्ट बनाते हैं, मेडिकल कालेज के इस 6 मंजिले भवन पर चढ़ने के लिये मरीजों हेतु लिफ्ट की व्यवस्था न हो, यह तो बहुत नाइंसाफी है। अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था को ठीक कराना चाहिये और अन्त में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम लोगों को मान्यता तो मिल गयी, इधर से उधर से, दांयें बांयें जैसे करके। लेकिन यह सत्य है कि शिक्षकों की कमी है। बड़ी संख्या में पद खाली हैं और बड़ी संख्या में नये पद सृजित करने का भाव आया है। यह पद अगर सृजित होंगे तो हमारी मान्यता स्थापित होगी। मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की बेहतरी के लिये स्वास्थ्य विभाग का नहीं, मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, बहुत कुछ किया है, 500 बेड का अस्पताल दिया है, विकलांग मरीजों के पेंशन की व्यवस्था हुयी है जो वायरस स्रोत थे, उस पर काम शुरू हुआ है लेकिन जब इतना हुआ है तो उसको दि एण्ड पर भी पहुंचाना चाहिये, अगर हो जाता है तो हम एक अच्छे मेडिकल कालेज की स्थापना के ऊपर गर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डा0 साहब अभी बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के बारे में तमाम बातें संज्ञान में लाये हैं। आपने आक्सीजन नहीं होने की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि बी0आर0डी0 कालेज में आक्सीजन की सप्लाई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैंने पाइप लाइन न होने की बात कही है।

श्री शंख लाल मांझी-

100 बेड के बारे में आपने कहा कि पद सृजित नहीं हैं। इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां तक मानदेय की बात है तो एन0आर0एच0एम0 के तहत उनकी नियुक्ति हुयी है, 156 कर्मचारियों की और उनका मानदेय एन0आर0एच0एम0 के तहत दिया जा रहा है। नये पदों के सृजन के सम्बन्ध में भारत सरकार से जो मांग की गयी है, वह पी0आई0पी0 में है और हमें उम्मीद है कि इसी जुलाई में ही ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 जुलाई तक, इस साल की पी0आई0पी0 में स्वीकृति मिल जायेगी। उत्तर प्रदेश की जिस दिन वहां के स्पेशल सेक्रेट्री सी0के0 मिश्रा से इस पर चर्चा हो जायेगी, उसी दिन यह स्वीकृति मिल जायेगी और यह 100 बेडों का कर्मचारियों से सम्बन्धित जो समस्या है यद्यपि उसको चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा होना चाहिये लेकिन डाक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की वहां पर चिकित्सा विभाग द्वारा हमने अपने विभाग से भी व्यवस्थायें की हैं और जो आपने अच्छी बात उठाई है वहां की समस्या के बारे में, जाहिर सी बात है कि वहां बिहार और नेपाल से भी मरीज आते हैं और काफी सेंसटिव मामला है तो सरकार इसके बारे में पूरी तरह गम्भीर है और

आपके द्वारा बताये गये सुझावों पर भी सरकार इसके लिये पूरी तरह कटिबद्ध है। ट्रामा सेंटर केयर के बारे में भी आपने कहा कि पद सृजित नहीं है, उसके बारे में भी हमने पहले ही बता दिया है कि मामला पी0आई0पी0 में है। एम0आर0आई0 मशीन की व्यवस्था की बात भी आपने कही। आप जानते हैं कि उसका यहां पर प्रस्ताव आ गया है और जल्दी ही इसका निस्तारण कर दिया जायेगा। नर्सिंग कालेज के बारे में चूंकि अभी हमारे संज्ञान में नहीं है इसलिये हम आपकी इस बात पर अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 250 के0वी0ए0 का जनरेटर और जहां तक लिफ्ट की बात है तो लिफ्ट तो वहां है लेकिन विद्युत आपूर्ति की थोड़ी दिक्कत है हालांकि वहां इसके लिये स्पेशल केबिल भी है। जनरेटर की जहां तक बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रस्ताव आया होगा तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। मान्यवर, एन0आई0वी0 की जहां तक बात आपने बताई तो एन0आई0वी0 पहली बार वर्ष 2005 में मा0 नेता जी भी सरकार के समय से आप जानते हैं और उस पर शोध भी हो रहा है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 डाक्टर साहब को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

मा0 मंत्री जी, यह जो मेडिकल कालेज है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय भी है और कालेज भी है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग वहां दवा के लिये जाते हैं। हम लोग भी मरीजों को देखने के लिये जाते हैं। इधर मा0 मुख्य मंत्री जी ने काफी रुचि लेकर उसे सुधारा है तो जो कमियां रह गई हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर पूरा करा दें क्योंकि यह बरसात आ रही है और फिर मैं नहीं जानता कि यह मरीज बढ़ेंगे या घटेंगें, यह तो भगवान पर निर्भर है और परिस्थितियों पर निर्भर है इसलिये जो कमियां रह गई हैं प्रयास करके उसको बजट से पूरा करने की कोशिश करें।

श्री शंख लाल मांझी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं वह इस पर कुछ कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको बता दिया गया, अब आप कीजिये, संसदीय कार्य मंत्री जी क्या करेंगे।

तीसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह जी की है, इस पर मैंने ध्यान आकृष्ट कर दिया इस पर बोलना नहीं है।

(सदस्य श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

महाना जी, आपका इसी में था, आपका हो गया। आप कानपुर का तो पूछते नहीं हो।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज सुबह सत्र शुरू होते ही मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था और आपने कहा था कि आप नियम-56 के बाद सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम-56 समाप्त हो जाने दीजिये, अभी तो नियम-56 चल रहा है।

श्री सतीश महाना-

ठीक है मान्यवर, यह पूरा हो जाए तो मैं बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह जी की है, आगरा महानगर में संजय पैलेस में बने शहीद स्मारक की पार्किंग बिल्डर द्वारा बेच दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(डा0 धर्मपाल सिंह के खड़े होने पर)

अब इसका आ गया कि जो पार्किंग है उसे बिल्डर ने बेच दिया यही तो आप कहेंगे बात आ गई मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपकी कृपा होनी चाहिए, इस आगरा वाले मामले में वक्तव्य मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष-

हम विचार कर लेंगे।

चौथी सूचना श्री प्रदीप चौधरी की है प्रदेश में संचालित सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिये जा रहे क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाये जाने एवं वर्ष में एक बार भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

(सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

मा0 अखिलेश जी, आज आपकी सूचना अस्वीकार हो गई है। आज बजट लम्बा है, आप इसे दूसरे दिन दीजियेगा, कल दे दीजियेगा।

दिनांक 30 जून, 2014 को विधान भवन के सामने एक राजनैतिक दल द्वारा पुलिस कर्मियों की पिटाई तथा उग्र प्रदर्शन से विधान भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत 50 गज की दूरी पर स्थित किसी राजनैतिक पार्टी के कार्यालय को हटाने की मांग (क्रमागत)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज सवेरे सत्र शुरू होते ही मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए और उन्होंने कुछ बात इस सदन में कही।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कहेंगे तो फिर वह कहेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सुन लीजिये। मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो उनके लिये समय निर्धारित है। मान्यवर, जिस समय हम कोई बात कहते हैं कि हमारी सूचना को पहले ले लिया जाय तो मान्यवर, अगर सदस्य के नाते कोई सूचना दी है तो उसे आपको अग्राह्य नहीं करना चाहिए लेकिन अगर मंत्री के नाते सूचना दी है तो मा0 मंत्रियों के लिये आपने एक मद निर्धारित की

है। मान्यवर, मंत्री जी ने यहां पर सबेरे कहा कि मैं अखबारों का संज्ञान नहीं लेना चाहता और फोटो सारे के सारे सदस्य दिखा रहे थे। मान्यवर, अगर अखबारों का संज्ञान लेना शुरू किया जाए तो इतना कुछ है हमारे पास। मैं मान्यवर, केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है वह सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, सरकार की कार्यवाही के कारण हुई है, हम इसकी निन्दा करते हैं और आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी अगर एक राजनैतिक दल है तो उसके कार्यक्रम भी राजनैतिक होने चाहिए। अगर वह शान्ति में और शान्तिपूर्वक प्रदर्शन में यकीन रखते हैं तो उनके प्रदर्शन भी वैसे ही होने चाहिए। मान्यवर, जिस तरह का प्रदर्शन कल हुआ है वह ऐसा प्रदर्शन है जिस पर किसी को भी शर्म आनी चाहिए। अगर यह उसकी निन्दा नहीं कर सकते, बम मारे गये, कार्यालय के अन्दर बम फोड़े गये, सड़क पर बम फेंके गये। पथराव किया गया, हथियार लाये गये, तेजाब की बोतलें फेंकी गयीं मान्यवर, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी विरोधी फौज पर कोई हमला हुआ हो। जनता के आम लोगों की गाड़ियां तोड़ी गयीं, मीडिया की तरफ से लिख करके आया है कि हमें सुरक्षा दी जाए, मीडिया बन्धुओं की गाड़ियां तोड़ी गयीं, उन्हें मारा गया। नहीं संज्ञान लिया जाता है फिर भी जाहिर है समाचार-पत्र हमारे लिये बहुत अहम होते हैं, इस सच्चाई से कौन इंकार कर देगा कि पुलिस कांस्टेबिल को गिराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे लाठियों से पीट रहे हैं, इससे कहां इंकार किया जायेगा कि गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मैंने उस वक्त तक किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था क्योंकि महाना जी ने इस जिक्र को फिर उठाया है मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी वजह इसकी यह है कि चन्द मीटर के फासले पर राजनीतिक दल का कार्यालय है जो नहीं होना चाहिए। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) यह सारी अव्यवस्था क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है, मंहगाई को लेकर पहले भी इस तरह का एक उग्र प्रदर्शन हुआ था और उसमें भी बहुत गुण्डागर्दी हुई थी। मान्यवर, यह तो बहुत सभ्यता का पाठ देने वाले लोग हैं इन्होंने कहा कि हम तो हमेशा कहते हैं कि सबसे ऊंची तस्वीर बापू की लगी है आप ही के एक नेता जी ने यहां से जाकर कहा कि गांधी हमारे बाप नहीं हैं, किसी के बाप नहीं हैं, किसी के मां के शौहर नहीं हैं वो लेकिन राष्ट्र पिता हैं, यह सच्चाई है और जो नहीं मानेगा वह देशद्रोही है। अगर बापू के हत्यारे, अगर बापू को नहीं मानते तो इसमें हमें शिकायत कोई नहीं है लेकिन बात अच्छी नहीं है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी मेरी भी बात आ जाए।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कल जो प्रदर्शन हुआ है वह इनकी केन्द्र सरकार की भरपूर नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा है। बढ़ती हुई मंहगाई और दिल्ली में जो अराजकता है, बिजली नहीं, पानी नहीं, बहिन-बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, सब्जी मंहगी, दाल मंहगी, रेल का किराया मंहगा, शक्कर मंहगी, पेट्रोल मंहगा, डीजल मंहगा, मान्यवर, यह उस नाकामी को छिपाने के लिये उत्तर प्रदेश को आग में जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करना

चाहते हैं और मान्यवर, कल जो इनका कृत्य था, वह बहुत असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर था, बहुत गुण्डागर्दी का था। पूरी विधान सभा खतरे में है, विधान सभा के अन्दर बैठने वाले लोग खतरे में हैं, माननीय अध्यक्ष खतरे में है, मुख्य मंत्री खतरे में हैं, पूरी सरकार खतरे में है क्योंकि बमों का इस्तेमाल हुआ है इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया था कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यालय विधान सभा के 10 मीटर के फासले पर नहीं होना चाहिए और उसे तुरन्त हटाया जाना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

यह मामला खत्म हो गया था आपने ही शुरू करा दिया, प्रश्न प्रहर चला, बात खत्म हो गयी थी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हमारी बात सुन लीजिये वह विषय नहीं समाप्त हुआ था, उस विषय पर आपकी किसी भी प्रकार की रूलिंग नहीं आयी थी। माननीय अध्यक्ष जी, अगर एक कार्यालय जो वर्षों से खुला हुआ था अगर राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, विधान सभा खतरे में है, विधान सभा में बैठने वाले तमाम लोग खतरे में हैं। सबकी आंखे खुल जानी चाहिए कल बमों का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसका कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और पहले वहां से दफ्तर हटाया जाना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कल जो नौजवान थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वे नौजवान थे जिनको धोखाधड़ी करके लैपटाप देने का वायदा किया गया था और नहीं दिया गया, जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, ये वो लोग थे जो अपराध से पीड़ित हैं, वे लोग थे।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी बैठिये, बात क्यों बढ़ाना चाहते हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यहां पर एक चिन्ता जताई है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

वह इस सदन के लिए अत्यंत विचारणीय विषय है। आज सदन के प्रारम्भ होने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कल की घटना के सम्बन्ध में जो यहां चिन्ता जताई वह अत्यंत गम्भीर है। मान्यवर, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम सबकी आस्था लोकतंत्र में है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, पार्टियां भिन्न हो सकती हैं, अलग-अलग नेता हमारे आदर्श हो सकते हैं लेकिन हम सब लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हैं। राजनैतिक पार्टियों को अपना धरना प्रदर्शन और आन्दोलन करने

का अधिकार है। मान्यवर, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा, तोड़फोड़, ईंटा पत्थर, गुम्मेबाजी, लाठी डण्डे का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनियां में हमारा देश लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। क्योंकि लोकतांत्रिक परम्पराएं और लोकतांत्रिक आदर्श हमारी राजनीति का सबसे आदर्श और सम्बल है लेकिन मान्यवर, कल जो घटना विधान मण्डल भवन के सामने घटित हुई जिस तरह से घण्टों, ईंट पत्थर, गुम्मेबाजी, यहां तक कि बम विस्फोट भी हुए हैं यह वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है यह लोकतंत्र के इस मंदिर और लोकतंत्र की आस्था पर कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का कुप्रयास है। स्वाभाविक रूप से जब यह प्रश्न कल हमारे माननीय सदस्य भाजपा के द्वारा रखा गया था तो मैंने भी उसमें यह चिन्ता व्यक्त की थी कि केवल भारतीय जनता पार्टी और पुलिस कर्मियों के बीच में यह द्वंद नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और पुलिस कर्मियों के मध्य में ईंट पत्थर, गुम्मेबाजी, लाठीचार्ज के बीच में आम जनता भी मार खा रही है और आम लोग हताहत हो रहे हैं। इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सुबह मेरे कार्यालय में मीडिया कर्मियों ने भी अपनी आप बीती बतायी। जिस तरह से वह कल बुरी तरह से चोट खाये। इस धरना प्रदर्शन आन्दोलन के माध्यम से उनको अपमानित होना पड़ा। साथ ही साथ कहीं न कहीं यह लोकतंत्र को शर्मिन्दा करने का एक प्रयास है। मान्यवर, इन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए ही बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में विधान मण्डल के सामने से धरना स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था जिससे कि इस प्रकार के घटनाक्रम में आवागमन बाधित न हो और आम जनता परेशान न हो। इस प्रकार से लाठी डंडे, कट्टे, गोली बन्दूक की घटनाएं लोकतंत्र के मंदिर के सामने न हों।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप बोलने दीजिये ना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सभी राजनैतिक पार्टियां धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के संज्ञान में लाने का प्रयास करती हैं लेकिन इस प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है और अपनी बात को मनवाने के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के पक्षधर रहे हैं। मान्यवर, विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार की लोकतांत्रिक परम्पराओं में आस्था रखती है लेकिन मान्यवर, सरकार और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अपनी चिन्ता जतायी है, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का हिंसात्मक रूप किसी भी पार्टी के द्वारा अगर लाया जाता है। आन्दोलन के माध्यम से शांति व्यवस्था बिगाड़ी जाती है, अमन चैन में खतरा पैदा होता है या आम जनता को कहीं न कहीं चोट पहुंचती है तो कानून इसीलिए है कि कानून का इस्तेमाल करके ऐसे अराजक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(माननीय सदस्य श्री सतीश महाना के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोल चुके महाना जी, कितनी देर से बोल रहे हैं आप तो अपनी बात कह चुके। अब कुछ नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की चिन्ता जायज इसलिए है कि लोकतंत्र मंदिर के सामने जिस तरीके से कल हिंसात्मक और उग्र रूप से आन्दोलन एक पार्टी विशेष के लोगों ने किया है वह वाकई में उचित नहीं रहा। लेकिन सरकार की चुप्पी, आज सरकार को सदन में विपक्ष के रूप में अपनी बात कहने के लिए यहां पर मजबूर होना पड़ा इसलिए कि कहीं न कहीं इस अराजकता के सामने सरकार कमजोर दिखाई पड़े। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके प्रदेश को अशांति से और इस प्रकार की अराजकता से बचाने का काम करें। (मेजे थपथपाई गयीं) मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी नकल कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बहुत पहले हल्ला बोल संस्कृति के माध्यम से मीडिया पर हमला किया था भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उसी की नकल कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, अगर आपके द्वारा इन पर कार्यवाही नहीं हुई तो कहीं न कहीं इस अराजकता के पीछे मिली भगत की बू नजर आती है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे शांत हो जाओ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं लेकिन अपेक्षा करता हूं कि लोकतंत्र में न बम फोड़ का कोई स्थान है, न हल्ला बोल का कोई स्थान है। अगर कोई इस प्रकार की अराजकता करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो मान्यवर। यह चिन्तनीय है, जितना ही इसकी निन्दा की जाय उतना ही कम है। मैं भी इसकी घोर भर्त्सना करता हूं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात नहीं आयी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से आपको जवाब दे रहा हूं। उनको सीधा जवाब नहीं दे रहा हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष इतने चिन्तित हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए कि इन दो साल में प्रदेश में अराजकता के वातावरण में है इन्होंने न तो लोकतांत्रिक तरीके से न अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध न सड़क पर किया है न सदन में किया है। यह सरकार का समर्थन करने के लिए बैठे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो यह ताली बजाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो यह लोग ताली बजाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

महान जी, अब आप बैठें। बैठ जायं। अब मैं बजट लेता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बहुजन समाज पार्टी अराजकता के रास्ते पर न कभी गयी है न कभी सहारा लिया है। हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से उचित समय पर उचित स्थान पर अपनी बात को रखने का काम करती है और करती रहेगी। यह अराजकता बहुजन समाज पार्टी के नेचर में नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, मैंने पूरी बात सुनी है, ये दोनों लोग मिल करके ....

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप अपनी बात कह चुके हैं, बैठ जायें।

(श्री उमेश पाण्डेय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

उमेश पाण्डेय जी, आपके नेता ने पूरी बात कह दी है, अब आप क्या कहेंगे ? आप बैठिये। (श्री अखिलेश प्रताप सिंह कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शोरगुल के बीच उनकी बात सुनायी नहीं दे रही थी।)

आप लोग बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना पक्ष रखा है, भारतीय जनता पार्टी के सतीश महाना जी ने अपना पक्ष रखा और महाना जी ने यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने गत दो सालों में कोई प्रदर्शन न तो सदन के अन्दर किया, न सदन के बाहर किया। उनकी यह शिकायत हो सकती है कि बहुजन समाज पार्टी ने सदन के अन्दर और सदन के बाहर [xxx] अराजकता, असामाजिकता और देश का माहौल खराब करने का कोई काम नहीं किया, इनकी यह शिकायत हो सकती है। मान्यवर, यह मामला विधान सभा के ऊपर [xxx] के हमले का मामला, [xxx] के हमले का मामला बहुत आसानी से लेने का नहीं है। यह मामला केवल गंभीर नहीं है, यह इतना गंभीर है, जितना गंभीर [xxx] था, मान्यवर, यह उतना हीं गंभीर है। अगर यह असामाजिक तत्व जिन्होंने बमों का इस्तेमाल किया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जिन्होंने बमों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने गाड़ियां तोड़ीं, मीडिया को मारा, हथियार लेकर आये, अगर ये विधान सभा के अन्दर दाखिल हो गये होते तो इनके मंसूबे क्या होते, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। ये हर महाज पर नाकाम हैं, इसलिए इस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने [xxx] का रास्ता अख्तियार किया है। मान्यवर, जिन्होंने कल बाहर प्रदर्शन किया, उनसे उतनी ही कड़ाई से निपटना चाहिए, जितनी कड़ाई से अपराधियों से निपटा जाता है।

(वेल में आये हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

[xxx]

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यख जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है, वह पूर्ण रूप से असत्य है। मान्यवर, वहां पर जानबूझकर पुलिस ने लाठियां और गोली चलाई है। वह लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे।

(श्री सतीश महाना अपनी बात कहते रहे लेकिन व्यवधान के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा पर हमला नहीं होने दिया जायेगा, भविष्य में। नहीं होने दिया जायेगा। विधान सभा पर [xxx] का हमला नहीं होने दिया जायेगा। ये इस तरह पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं।

(व्यवधान जारी)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(शोर-शराबे के मध्य)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, इनसे देश को सावधान होना पड़ेगा। मान्यवर, इनका आचरण इनका काम ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लें। आने वाली तारीख में [xxx]

(शोरशराबे के कारण सदस्य का भाषण नहीं सुना जा सका।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राणा साहब, आप बैठे। अपनी-अपनी जगह पर बैठ जायें। आप बोल चुके। सब बोल चुके। अब हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने सारी बात कह ली मैं सुन रहा था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी मैं कम से कम इतना चाहूंगा कि आप यहां सबसे ऊंची पीठ पर विद्यमान हैं। हमारी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। सम्पूर्ण विधान सभा की और उसके रिकार्डस की जिम्मेदारी भी आपकी है। जिस तरह [xxx] की हुयी है। मान्यवर, विधान सभा के सामने के तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय तुरन्त हट जाने चाहिए।

(इस बीच घोर व्यवधान जारी रहा, शोर-शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

इस पर सरकार विचार कर ले।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

विचार कर लें, लेकिन मान्यवर, आपकी तरफ से आये। मान्यवर, हमारा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

[1.36] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,04,34,78,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। केवल मा0 मंत्री जी बोलेंगे। अब आप चलो। अब आपकी बात आ गयी। आप सारी बात कह लिए, अब क्या बाकी है। अब आप चलो, बजट आने दो। मा0 महाना जी कल भी आपने अपनी पूरी बात कह ली। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा, उसका आपने जवाब भी दे दिया। मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा उसका भी जवाब दे दिया। उसके बाद यह क्या है। अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो आप स्पष्ट कर दें। आप इतने मा0 सदस्यों के विचारों को सुनने नहीं देना चाहते। यह अच्छी बात नहीं है। आप चलें अपनी सीट पर। आपने पूरी बात कह ली। संसदीय कार्य मंत्री जितना बोले उससे कम आप नहीं बोले। आपने पूरी बात कह ली। मा0 मौर्या जी की बात का भी जवाब आपने दे दिया। अब क्या दो मिनट बाकी है। मा0 मंत्री जी आप बजट रखें। आपने सबका उत्तर दे लिया। अब क्या कहेंगे। अपनी सीट पर चलिए। इनको सबको ले जाइये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,73,67,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,57,95,72,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करें। मान्यवर, आज बहुत महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत हो रहे हैं, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, यह सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं और प्रदेश के सारे क्षेत्र की समस्याओं को इस सदन के मा0 सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, अपनी-अपनी बात को यहां पर रखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बजट पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती है, इसकी साजिश है मान्यवर।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है वह सच नहीं है, आप मा0 अध्यक्ष से कहिए इंगित करने के लिए, सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, मान्यवर सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलनी चाहिए। जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बाहर बनाया था वह सदन के अन्दर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सदन के वेल के अन्दर बैठती है, तो आप इनके खिलाफ कार्यवाही की शुरूआत करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,19,24,63,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इनके नेता लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने माथा टेकते हैं और ये लोग लोकतंत्र के मंदिर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जूता फेंकते हैं मान्यवर? यह माथा टेकने का काम सही है या लोकतंत्र के मंदिर पर जूता फेंकने का काम सही है, इसका निर्णय आपकी तरफ से आना चाहिए और इस अराजकता से सदन को बचाने का काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य महाना जी, अब कोई बात बची नहीं थी, जितना संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था, उस एक-एक बात का जवाब देने का अवसर आपको मिला और आपने अपने विचार से जो आपका तरीका था, उस तरीके से दिया, अब आपके कहने से बाकी क्या बचा बताइये ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप दो मिनट मुझे बोलने के लिए दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब हमने बजट ले लिया है, अब कुछ नहीं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा वह पूरी तरह से असत्य है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, लोग लोकतंत्र के मंदिर के सामने माथा टेकते हैं और ये लोग लोकतंत्र के मंदिर पर जूता फेंकने का कार्य कर रहे हैं, मान्यवर यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, इनका यह नाटक बन्द होना चाहिए। सदन में जो व्यवधान की प्रक्रिया है मान्यवर, इसको आप खत्म कराइये और सदन को व्यवस्थित कराने का कार्य करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माथा तो यह पाकिस्तान जाकर जिन्ना साहब की कब्र पर भी टेकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। ये क्या करते हैं और क्या कहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। जिन्ना इनके आईडियल हैं, पाकिस्तान का बंटवारा कराने वाले इनके आईडियल हैं, ये उनकी कब्रों पर जाकर माथा टेकते हैं। ये कंधार ले जाकर आतंकवादियों को जेलों से छुटा कर, कंधार ले जाकर जहाज से पहुंचाते हैं। ये नवाज शरीफ को बुलाकर 04 रूपये किलो शक्कर मंहगी कराते हैं। नवाज शरीफ को बुलाते हैं शक्कर बेचने के लिए। शक्कर 04 रूपये किलो मंहगी हो गयी नवाज शरीफ के आने के बाद। माथा टेकते हैं जिन्ना की कब्र पर। कंधार आतंकवादियों को जेल से निकाल कर पहुंचाते हैं।

श्री सतीश महाना-

आप लोग तो आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कानून बनाने का काम करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ढोंग है, सब ढोंग। ठग लिया पूरे देश को, देश की नादान जनता को ठग लिया आपने, ठग लिया नौजवान को।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ठग लिया नौजवान को, ठग लिया बेरोजगार को, ठग लिया गरीब को मंहगाई के नाम पर, ठग लिया देश को आपने।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, वो नौजवान ठगा गया जिसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। वो नौजवान ठगा गया जिसको लैपटाप नहीं मिला। वो नौजवान ठगा जिसको कन्या विद्या धन नहीं मिला।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, लैपटाप बंद हुआ इनके कारण, बेरोजगारी भत्ता बन्द हुआ इनके कारण, पढ़ें बेटियां-बढ़ें बेटियां बन्द हुआ इनके कारण, हमारी बेटी उसका कल बन्द हुआ इनके कारण, गरीब के मुंह से रोटी छीनी इन लोगों ने। ये हैं जिम्मेदार, ये हैं गरीब के दुश्मन।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर हमारे कारण लैपटाप बन्द किया, अगर हमारे कारण बेरोजगारी भत्ता बन्द किया तो फिर ये वहां क्या कर रहे हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग का पूरा बजट रखा जा चुका है, आप कटौती का प्रस्ताव रखायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, व्यापारियों ने जो खर्च किया, कारपोरेट जगत ने जो खर्च किया है आपकी सरकार लाने के लिए वो 10 गुना वापस लेंगे। वो देश की गरीब जनता को लूटकर वापस लेंगे। ठग लिया आपने, देश को ठग लिया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, देश ठगा जायेगा कि नहीं ठगा जायेगा, इसका निर्णय जनता करती है और जनता ने ये निर्णय लोक सभा के चुनाव में कर दिया किसने ठगा है और किसने [xxx] बोला है मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-54, अनुदान संख्या-55, अनुदान संख्या-56, अनुदान संख्या-57 और अनुदान संख्या-58, ये इतनी अनुदानों पर मा0 बावन सिंह को कटौती का प्रस्ताव रखना था, ये भाजपा के हैं। यह बजट प्रस्तुत हो गया है, मैं मा0 बावन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव रखें। मा0 बावन सिंह जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

(तत्पश्चात् राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य सदन के वेल में आ गये और अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, अब क्या सदन में अकेले केवल यहीं लोग बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अकेले नहीं बोलेंगे।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, हम लोग बजट पर चर्चा करना चाहते हैं पर ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते। ये लोग सदन के बाहर भी करते हैं, सदन के अन्दर भी [xxx] कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण अब आप लोग जायें। आप इन्हें ले जायें, बहुत ज्यादा ज्यादती न करिये। हमें मजबूर न करिये कि हम अपेन अधिकारों का उपयोग करें। आपसे निवेदन है कि आप जायें वहां। आप लोग जायें, अब नहीं जायेंगे तो यह सब तमाम सदस्यों के बोलने का अवसर है, सबका बजट है। आप जायें, अपनी सीटों पर जायें। मा0 महाना जी, सबको सीटों पर ले जायें। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अकेले दम पर तमाम मा0 सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं जो बजट पर बोलना चाहते थे। ये तरीका अच्छा नहीं है, आप जाइये। आप लोग जायें, हम सदन व्यवस्थित कराते हैं। मा0 महाना जी, आप अपने सदस्यों को वापस बुलायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर यह विषय बहुत गंभीर है। सदन में बैठे हुए भाजपा के सदस्यों के अलावा सभी चाहते हैं कि सुचारू रूप से कार्यवाही चले। न सदन के अन्दर [xxx] हो, न सदन के बाहर [xxx] हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो दहशत का माहौल बाहर बनाया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के वेल में बैठकर सत्ता विरोधी नारे लगाते रहने तथा लोक दल के सदस्यों तथा अन्य पार्टियों के सदस्यों द्वारा उनके विरोध से सदन में घोर व्यवधान की स्थिति।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

भारतीय जनता पार्टी ने जो दहशत का माहौल, बाहर बनाया है, वही दहशत का माहौल भाजपा सदन के अन्दर बना रही है और दहशत के जरिये सदन को चलाना चाहती है। इसकी सबको निन्दा करनी चाहिए और मान्यवर, सदन सुचारू रूप से चलना चाहिए दूसरे मा0 सदस्यों का अधिकार ये चन्द लोग वेल में बैठे हुए छीन लें, यही दरअसल फॉसिज्म है। यही फॉसिस्टों का तरीका है, जो यहां आप सदन के वेल में देख रहे हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिस्टों की पार्टी कहा जाता है।

(शोर)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

जिस तरह से कन्या विद्या धन और लैपटाप नौजवानों को नहीं दिया गया है, उसी की वजह से यह काम हुआ है। जिस तरह से प्रदेश के गरीब बेरोजगार भाइयों को ठगा गया है, उसी की वजह से यह हुआ है।

श्री सुदेश शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या इन्हें ही बोलने का लाइसेंस दे दिया गया है, दूसरे दलों की बात नहीं सुनने दी जा रही है। ये सदन के बाहर भी [xxx] कर रहे हैं और अन्दर भी [xxx] कर रहे हैं।

नोट [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ये भाजपा के मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। ये पांच मद प्रस्तुत हो गयी है-54,55,56,57 तथा 58 इस पर भारतीय जनता पार्टी के मा0 बावन सिंह को कटौती का प्रस्ताव रखना था। मा0 बावन सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव रखें। मा0 डॉ0 साहब ये आप क्या करा रहे हैं, आपने अपनी बात भी रख ली, ये जो बाहर करेंगे, वहीं अन्दर भी करेंगे, ये अच्छा नहीं है इनको ले जाइये, इनको ले जाइये। मुझे बाध्य मत करिये कि मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूं, जो यहां जल्दी नहीं प्रयोग होता है। इनको बुला लीजिए, आप इन्हें ले जाइये। आप प्रस्ताव नहीं रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,04,34,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,73,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,33,33,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,57,95,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई कटमोशन नहीं रख रहे हैं, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,19,24,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ स्वीकृत हुआ।)

[03.55] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान
अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,86,84,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आबकारी विभाग का भी आज बजट है। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इतने पागल हो गये हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे,)

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर, एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विभाग है, सहकारिता विभाग। मान्यवर, भारत में सन् 1904 में सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत हुई थी जिसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था बनायी गयी थी इसमें पहली व्यवस्था उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक की है। दूसरी व्यवस्था जिला सहकारी बैंक की है और तीसरी व्यवस्था प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं। इनका मुख्य कार्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, खाद-बीच उपलब्ध कराना ताकि जो किसान आर्थिक तंगी में हैं वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इनका लाभ उठा सकें। मान्यवर, जो किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनको राहत देने के लिए यह रामबाण के समान हैं। लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि न्याय पंचायत की सत्तर प्रतिशत जो समितियां हैं वह निर्जीव हो चुकी हैं। हालत यह हो गयी है कि पूर्वांचल में इन समितियों के जो सचिव हैं वह खुद ही दबंग किसानों से मिलकर पैसा लेकर के उनकी खाद को बेच देते हैं फिर यह दबंग लोग उसी खाद को उन गरीब किसानों को बढ़े हुए दामों पर बेंच देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, माननीय महाना जी यह उचित नहीं है। आप अपने बाकी सदस्यों को उनके स्थानों पर ले जायें अगर आप लोग रोज-रोज यह करेंगे, तो कैसे कार्यवाही चलेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्रीमन्, माननीय राजेश त्रिपाठी जी सहकारिता विभाग के बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं और सरकार की कमियों को इंगित कर रहे हैं। आप सदन को व्यवस्थित करायें ताकि यह अपनी बात रख सकें। (सदन के वेल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर नारे लगाने पर) (भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल से खड़े होकर कहने लगे कि सरकार ने लेपटाप, टेबलेट, कन्या विद्या धन आदि योजनाओं को इस बटज में सम्मिलित नहीं किया है, जिसको लेकर युवा आन्दोलनरत् हैं। यह जो आज सदन में हो रहा है यह ब0स0पा0 और स0पा0 की मिली भगत से हो रहा है।)

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप अपने स्थानों पर वापस जायें, ऐसा नहीं है, इसमें कमेटी को रेफर करके सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को पांच मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 2 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(2 बजकर 5 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.45 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 55 मिनट पर विधान सभा की बैठक श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

[02.55] विधान भवन की कैण्टीन में बिना प्याज लहसुन के खाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजेश त्रिपाठी जी, आप अपनी चर्चा जारी रखें।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 त्रिपाठी जी, कटमोशन रख रहे हैं।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि हम सभी लोग कैन्टीन में गये थे, खाना खाने की व्यवस्था थी, यह बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग गये थे जिनका आज मंगल ब्रत था, उनके लिए भी

वहां मिष्ठान वगैरह था लेकिन कुछ ऐसे लोग भी गये थे जो खाने में लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं तो मान्यवर, वह लोग वहां से बड़ा दुखित होकर आये।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई जरूरी नहीं है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मान्यवर, बिना लहसुन प्याज के आइसक्रीम थी, रसगुल्ला था।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, आप सुनिये, यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। खाने में कोई व्यवस्था नहीं। देखिये उमाशंकर जी पहले अपने घर से सब खाकर आते थे। साढ़े सात सौ रूपया मिलता है डी0ए0, उसी में खाइये, कृपया बैठ जाइये।

(सदस्य डा0 मो0 अयूब के खड़े होने पर)

[02.56] पीस पार्टी के सदस्यों के बैठने हेतु व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

डा0 अयूब जी, अब आप बैठिये, यह बजट चल रहा है।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। यहां सदस्यों को विधान सभा के अन्दर सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने निर्देश के हिसाब से होती है। अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ताकि यहां कोई व्यवस्था अव्यवस्था में न तब्दील हो।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो यह अव्यवस्था ही है।

डा0 मो0 अयूब-

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बताया कि पीस पार्टी।

श्री अध्यक्ष-

यह बजट चल रहा है, इसे आप जीरो ऑवर में उठाइये।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपने व्यवस्था दी कि पांच-चार आदमी का नेता नहीं चुना जा सकता, यह व्यवस्था आपने दी, सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि तीन सदस्य पर या एक सदस्य पर कोई नेता नहीं चुना जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आपकी सहूलियत के हिसाब से कर दिया गया था। आप ही कह रहे थे मुझे नेता बनाओ।

डा0 मो0 अयूब-

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां एक सदस्य अपना दल के भी बैठते हैं, एक सदस्य एन0सी0पी0 के भी बैठते हैं। जिस दिन से सदन चला हम यहां पर अपने सदस्यों के साथ बैठते हैं।

अगर दूसरे सदस्य अलग होना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप व्यवस्था दे दें। अगर वह हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, पीस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कहीं और उनके बैठने की व्यवस्था कर दें, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डाक्टर साहब, आप उनको पार्टी से एक्स्पेल क्यों नहीं कर देते, आप उन्हें पार्टी से एक्स्पेल कर दें तो वह अपने आप निर्दलीय हो जायेंगे।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी से अपने आप निकल गया है तो हमारे एक्स्पेल करने की जरूरत क्या है।

श्री अध्यक्ष-

निकल क्या गया है, आप उन्हें पार्टी से एक्स्पेल कीजिए। दोहरा नहीं चलेगा, उनको आप निकालेंगे भी और उनकी सदस्यता की याचिका यह दोनों एक साथ नहीं चलेंगे।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष जी, जो अपने आप सदस्यता खत्म कर चुका है उसे निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा बैठिये डाक्टर साहब, बैठिये।

श्री अनीसुर्रहमान-

मा0 अध्यक्ष जी, पीस पार्टी के नेता सदन के अन्दर अखिलेश सिंह जी हैं और वहीं बने रहेंगे।

मान्यवर, हम आपकी व्यवस्था का अनुपालन करेंगे और उसके तहत हमारे नेता की सीट की व्यवस्था करा दीजिए।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग सहकारिता (क्रमागत)

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय मंत्री जी द्वारा जो सहकारिता का बजट प्रस्तुत किया गया था उस पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था, अपनी बात कह रहा था उस समय कुछ व्यवधान आ गया था। मैं यह कहना चाह रहा था कि 1904 में जब इस देश में सहकारिता आन्दोलन लाया गया या 1965 में जब इस सहकारिता आन्दोलन को नई धार दी गयी नये नियमों के तहत, उसका मूल अभिप्राय यही था कि जो गांव का निर्धन, गरीब किसान है, शोषित है उसके लिए खेती में सहयोग की व्यवस्था की बात की गयी थी। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो आज की व्यवस्था है चाहे जहां-जहां जिन-जिन स्तर पर की गई हो कमियां आयी हों, सच यही है कि यह जो सहकारी समिति है, सहकारी आन्दोलन है यह गांवों में पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है। हमारे पास जो जानकारी है लगभग 70 प्रतिशत न्याय पंचायत स्तर समितियां डेड पड़ी हुई हैं, निर्जीव पड़ी हुई हैं। जिन साहूकारों से किसानों का शोषण से छुटकारा

दिलाने के लिए, उससे निजात दिलाने के लिए इस आन्दोलन को लाया गया आज वह आज भी अपना रूप बदल करके कहीं न कहीं मौजूद हैं इसका एक उदाहरण हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि गोरखपुर जनपद में पूर्वान्चल के क्षेत्र में एक व्यवस्था पिछले साल यह लायी गयी, न जाने ऊपर से यह आदेश गया था या जिला स्तर पर आदेश कर दिया गया कि किसानों के चूंकि ऋण बकाया है, किसान वहां डिफाल्टर हो चुका था ऋण ले नहीं सकता था अन्य जगहों के किसानों के कर्जे माफ हुए थे, सहकारी बैंकों के हो नहीं पाये थे यह सेक्रेटरी ने कहा किसानों से कि हम आपको ऋण नहीं दे सकते हमें आदेश मिला है कि अगर आप हमें नगद पैसा दे दें तो मैं खरीदकर दे दूंगा। इसका परिणाम यह हुआ मा0 अध्यक्ष जी कि जो पैसे वाले लोग थे, दबंग किसान थे, जो पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उन लोगों ने बड़े पैमाने पर लाखों-लाख रुपया सेक्रेटरी को दिया और वह जा कर खाद खरीद कर ले आया। वह जो खाद आयी वह उन्हीं दबंग किसानों को दी गयी जिसका पैसा लगा था और फिर वह दबंग किसान गांव के गरीब किसानों को मनमाने बढ़े हुए रेटों पर खाद उपलब्ध कराया। यानि हमारे पूर्वजों की सहकारिता की जो मंशा थी कि दबंगों, साहूकारों या ब्याजखोरों के चंगुल से किसानों को निकाला जाए कहीं न कहीं चाहे वह आदेश के तहत हुआ या जो हमारी भ्रष्ट व्यवस्था है उसके तहत हुआ, हाल में हुई है कि वो किसान आज भी शोषित है। यह मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इसलिए लाना चाहता था कि सहकारिता की स्थिति क्या है। क्रय-विक्रय समितियां लगभग निर्जीव पड़ी हुई हैं जो हमारी और समितियां हैं वह निर्जीव पड़ी है। जो स्थिति हैं इस समय मा0 अध्यक्ष जी कि जो समितियों की हालत मैंने पहले बताया कि वह ऋण देने लायक बची ही नहीं है खाद, बीज का जहां तक सवाल है गोदाम के बारे में सरकार ने अपने बजट में कहा है कि वह नये गोदाम बनाने जा रही है, इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं। अधिकांशतः समितियों के गोदाम पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, जो खाद उसमें रखी जाती है बरसात में उसकी हालत खराब हो जाती है। मा0 अध्यक्ष जी सरकार ने पिछले साल अपने बजट में कहा था कि किराये पर वह किसानों को कृषि-यंत्र उपलब्ध करायेंगे और उसके लिए बजट की व्यवस्था भी की गयी थी। मैं नहीं जानता कि पश्चिम में उसकी व्यवस्था क्या रही है, माननीय मंत्री जी या वह पश्चिम के मा0 सदस्य बतायेंगे पूर्वान्चल के लिए मैं यह कह सकता हूं कि यह जो योजना आयी थी कि किराये पर किसानों को कृषि यंत्र दिये जायेंगे पूर्वान्चल में यह योजना जमीन पर उतर नहीं पायी। उतरी होगी तो वैसे ही उतरी होगी जैसे पिछली साल दबंगों को खाद की व्यवस्था करायी गयी थी। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने ग्राम्य विकास बैंक के किसानों की ऋण माफी किया, आप बधाई के पात्र हैं मगर हम बार-बार कह रहे हैं कि जिला सहकारी बैंक से जुड़े किसान उससे भी दयनीय स्थिति में आते हैं और हालात यह है कि वह अपनी कर्ज अदायगी नहीं कर सकते जो ऋण लिये थे उसका भुगतान नहीं कर पाये उनकी हालत खस्ता है। तभी तो वह बैंक के डिफाल्टर हुए। आज आप 16 बैंकों के लिए अनुदान लाने की बात इस बजट में कर रहे हैं या भारत सरकार से वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 922 करोड़ रुपये आपको नहीं मिले इस नाते 25 बैंक जो डिफाल्टर हो चुके थे आप उनको जिन्दा करना चाहते हैं यह कारण तो वही रहा है कि वह समितियां कर्ज देने लायक या किसान कर्ज वापस देने लायक रह ही नहीं गये थे। आज हम कहते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय वैद्यनाथन समिति की जो सिफारिशें आई थीं उसको लागू करने

की शुरूआत उसी समय हो चुकी थी। हम सरकार को साधुवाद देते हैं कि जो भुगतान बसपा सरकार में वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कराने की शुरूआत हुई तो आपने उस क्रम को आग बढ़ाया। 25 वह कर चुके थे 25 आपको और बेहतर करना था अभी आप 9 तक पहुंचे हैं पिछली बार तो आपके भारत सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध थे उस रिश्ते की दुहाई देकर अगर वह 16 समितियों के लिए धन आ गया होता तो पूर्वान्चल की जो सहकारी बैंक हैं उनकी दशा यह न होती। हालात यह है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वह तो बड़े-बड़े बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं परन्तु जिन लोगों ने सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा किया हुआ है उन्हें बेटी की शादी करनी है छोटे-छोटे काम करने हैं। किसान तो किसी तरह से सहकारी बैंकों में जमा करता था उन गरीब किसानों का जो 16 बैंकों में पैसा डूबा हुआ हे जो बैंक डिफाल्टर हैं जिनके अधिकारी कहते हैं कि मेरे पास तो अपने वेतन के लिए पैसा नहीं है तो मैं आपको कहां से दे पाऊंगा। निश्चित रूप से उन 16 बैंकों को जीवित करना चाहिए जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बैंक शामिल हैं। यह हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। सहकारिता आन्दोलन की ओर मैं कह सकता हूं कि सरकार का ध्यान ही नहीं है। एक ऐसी गाय के रूप में उसको देखा जा रहा है कि वह दूध दे दे उसके चारे या स्वास्थ्य की व्यवस्था हम लोगों को न करनी पड़े इस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है। जनपद स्तर पर जो सहकारी संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार अपनी पुस्तिका में इस बात को स्वीकार कर रही है कि उसके अभाव में इस आन्दोलन को धक्का लगा है। हम यह जो बात कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कह रहे हैं सरकार स्वयं अपनी बजट पुस्तिका में कह रही है कि इसके न होने से सहकारिता आन्दोलन को धक्का लगा है। वह कौन सी परिस्थितियां रही कि सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करा सकी और इस आन्दोलन को धक्का लगा। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जब वह अपनी नीतियों को बनाएं तो कम से कम उन नीतियों में गांव का निर्धन, शोषित और सबसे गरीब किसान है उसका ध्यान दिया जाये। सरकार ने प्रशिक्षण और शोध संस्थान के लिए अनुदान दिये जाने की बात कही है। आपने पिछले साल भी दिया था उसके पहले भी दिया था। मंत्री जी यह जरूर दिखवा लेंगे कि शोध एवं प्रशिक्षण के लिए सरकार धन देती है उससे सहकारी समितियों के लिए शोध का क्या कार्य हुआ। शोध अगर हो रहे हैं तो यह बैंक डिफाल्टर क्यों हो रहे हैं। न्याय पंचायत स्तर की समितियां डेड क्यों हो रही हैं हमें जो जानकारी मिली है कि यह जो शोध के लिए पैसे दिये जाते हैं, यह जो शोध के कार्य किए जाते हैं कहीं यह गिफ्ट के लेन-देन का तरीका तो नहीं बन गया है। फाइव स्टार होटल में कोई कार्यक्रम करे अधिकारी लोग जाएं एक दूसरे को गिफ्ट का आदान-प्रदान करें और कह दिया कि हमने शोध कर लिया वह शोध का कार्य जमीनी स्तर पर कब पहुंचेगा सहकारिता आन्दोलन हमारे आपके पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से शुरू किया था वह दम तोड़ रहा है पूर्वजों का सपना कब पूरा होगा। सरकार ने सहकारिता आन्दोलन की जो बात कही है मैं सहकारिता के आंकड़ों को ही रखना चाह रहा था। सरकार ने पिछले साल 2012-13 में यह दावा किया था कि हम 7 लाख नए सदस्य बनायेंगे तो 7 लाख नए सदस्यों को बनाने के सापेक्ष में 2012-13 में लगभग पौने तीन लाख नए सदस्य ही बना सके। उसके बाद जब 2013-14 का बजट सरकार लेकर आई तो फिर यह दावा किया कि हम 7 लाख नये सदस्य बनायेंगे जब आंकड़े देखें गए तो पता चला कि पिछले साल से भी कम नए सदस्य बने। नये सदस्यों की संख्या घटकर 2 लाख 27 हजार ही रह गई। सरकार का दिया हुआ आंकड़ा यह साबित करता है सहकारिता

विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है विभाग के अधिकारियों का इस बात में रुचि नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य इससे जुड़ें सरकार लक्ष्य देती है 7 लाख होता है 2 लाख 91 हजार सरकार यह समीक्षा नहीं कर रही है कि जब विधान सभा में यह बात कही गई थी कि हम 7 लाख नए सदस्य बनायेंगे समितियों के लिये तो लक्ष्य से कम क्यों हुआ। पुनः जब नया बजट लाया गया 2013-14 में कहा गया कि हम 7 लाख नये सदस्य बना दिये। मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूं मजेदार बात यह है तीसरी बार इस साल एक बार फिर 7 लाख सदस्यों का लक्ष्य रखा गया। यह बात यह तय करती है कि न पहले लक्ष्य पूरा हुआ न अभी हुआ क्या अनुमान लगाया जाये कि आगे इस तरह से लक्ष्य पूरा करेंगे। मान्यवर, यह जो प्रशिक्षण योजना दी जाती है। यह हास्यास्पद है, इसलिये मैं इसका उद्धरण करना चाहूंगा, इसको माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। सम्भव है कि मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर न गया हो। जो सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण योजना है जिसमें अच्छा खासा धन दिया जाता है इसमें सदस्यों को तो प्रशिक्षण कराने का अनुपात आपका बेहतर है मगर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, पदाधिकारियों की, कि वह अपने सदस्यों को प्रशिक्षण अनुपात बेहतर करायें। वह पदाधिकारी 2012-2013 में 5840 को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, पदाधिकारियों को। सदस्य प्रशिक्षित हो गये, पदाधिकारी प्रशिक्षित नहीं हो रहे हैं। केवल 615 पदाधिकारी प्रशिक्षण लेने पहुंचे। 2013-2014 में 5840 का फिर लक्ष्य रखा गया था केवल 597 लोग प्रशिक्षण लेने पहुंचे थे। जिनको प्रशिक्षण दिलाने की जिम्मेदारी है, उनकी यह हालत है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। आगे ऊर्जा का बजट है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, बीज वितरण के मामले में भी सहकारी समितियों का जो विभाग का रवैया है वह निश्चित रूप से निराशाजनक है। 2013-2014 में सरकार यह कहती है कि हमने किसानों को पर्याप्त बीज दिया, पर्याप्त खाद दिया कहीं लाठी गोली नहीं चली लेकिन आंकड़े और कुछ कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि 2013-2014 में 6.22 लाख क्विंटल बीज आपको सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना था। किसान कैसे पाया वह मैंने पहले बताया कि कुछ प्रमुख किसानों के जरिये पहुंचा करके फिर गरीब किसानों का शोषण किया जाता है। उसके तहत भी 6.22 लाख क्विंटल के सापेक्ष सरकार पिछले सत्र में 4.83 लाख क्विंटल ही बीज उपलब्ध करा पाई। इसी तरह खाद के बारे में लक्ष्य था 2013-2014 में 45.67 मैंट्रिक टन खाद उपलब्ध कराने की। सरकार अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाई हालांकि उसके पहले यह पहुंचे हैं मगर पिछले सत्र की स्थिति इनकी यह है कि 45.67 के सापेक्ष 36.14 मैट्रिक टन ही पहुंच पाया दावे चाहे जो की जाय लेकिन सरकार के आंकड़े तो कह रहे हैं कि किसानों को खाद बीज लक्ष्य तक यह खुद नहीं पहुंच पाये हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, इनका आंकड़ा कह रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य क्षेत्र में तो सब इससे सन्तुष्ट रहे हैं। खाद के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं रही है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं जैसे आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे शान्त रहें। उनको बोलने दें वह कटौती रख रहे हैं। जो मैं जानता था अपने जिले के बारे मे वह बताया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, सिद्धार्थनगर में हुआ हेागा तब ही आप कह रहे हैं। जैसे यह सत्य है कि आपके यहां पहुंचा है एक उदाहरण मैं भी गोरखपुर जनपद का देना चाहता हूं वहां का रहने वाला हूं। गोरखपुर जनपद के माननीय विधायक इधर भी बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। गोरखपुर जनपद में किन परेशानियों में कितनी ब्लैक में खाद लेकर किसानों ने अपनी खेती किया है, यह गोरखपुर का किसान जानता है। यह सच्चाई है कि किसानों को खाद बड़ी मुश्किल से मिली और उन्होंने ब्लैक में खरीदा। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

हम आपके आभारी हैं कि माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये सहकारिता के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी भाई त्रिपाठी जी कटौती के प्रस्ताव में एक ऐसे बजट जिसका उद्देश्य हो कि हम सहकारिता आन्दोलन से किसानों को तरक्की के रास्ते पर ले जायें, जिसमें योजनायें किसानों की खुशहाली के लिए बनी हों, उसके तमाम खामियां निकाल कर चर्चा कर रहे हैं। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 2011-12 में इनकी सरकार थी और यह आखिरी बजट रख रहे थे, मान्यवर, उसकी कापी हमारे पास है, उस पूरे बजट में सहकारिता नाम भी नदारत था। यह सहकारिता की दुहाई दे रहे हैं, किसानों की भलाई की बात बता रहे हैं। हिन्दुस्तान की राजनीति करने वाले लोग जानते हैं कि हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जब भी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां सत्ता के माध्यम से किसानों की, प्रदेश और देश की सेवा करने का अवसर मिला है, उनकी पहचान किसान नेता के रूप में है। उन्होंने हमेशा प्रयास किया है और सहकारी आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है, जो किसान की रीढ़ है, किसानों की तरक्की का एक बड़ा साधन है। मान्यवर, हमारी सरकार के बनते ही वह सारे काम शुरू किये जिससे किसान की किसी तरह से मदद हो जाए। मान्यवर, आपको याद होगा, हम लोग उस कार्यकाल से आते हैं, जिस कार्यकाल की यह बात करते हैं। किसानों पर लाठियां चल रही थीं, खाद-बीज मिल नहीं रही थी और सदन में चर्चा के दौरान हम लोग यह बात कह रहे थे कि मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी की पुरानी सरकार को देखो, हमारी सरकार ने बजट में उर्वरक की खरीद करने के लिए एक्स्ट्रा बजट का प्राविजन किया है। 100 करोड़, 200 करोड़ रुपये इस बात के लिए रखे गए कि किसान को समय पर खाद मिल जाए। किसान को खाद की आवश्यकता एक ऐसे समय में होती है, उस समय अगर खाद न मिले तो भारी नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। मान्यवर, इनकी 5 साल सरकार चली, लेकिन बजट में इसके लिए एक रुपया का प्राविधान नहीं किया। कभी इनको याद नहीं आया कि खाद के बगैर किसानों का क्या हाल

हो रहा होगा। मान्यवर, मैं मानता हूं कि किसानों से इनका रिश्ता ठीक नहीं है। इनकी योजना, इनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, खैर इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य किया है, उनका हश्र उन्हें मिला है। लेकिन मान्यवर, हम आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी द्वारा जब-जब उन्हें मौका मिला है, चाहे पिछले वर्ष के बजट में किसानों का 1600 करोड़ रुपया माफ करने का सवाल हो, यह हिन्दुस्तान के इतिहास का पहला वाकिया है, एक ऐसा काम है, जैसा किसी भी प्रान्त में, किसी भी सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया हो। मान्यवर, इन्हें प्रशंसा करनी चाहिए था, जो आन्दोलन मरा पड़ा था, जिसको इन्होंने 5 साल मारने का प्रयास किया, उसको पुनः जिन्दा किया। सोसाइटीज की स्थिति अच्छी हो, उन बैंक की आर्थिक स्थिति को उभारे, जिन बैंक की आर्थिक स्थिति आपकी नीतियों के कारण, आपके गलत फैसलों के कारण आपके सब्सिडी न देने के कारण जो डिफाल्टर हो गए, बर्बाद हो गए, उनसे जुड़ा किसान बर्बाद हो गया, उसे हम कैसे आबाद करें, उसकी पहल की जा रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जब सहकारिता आन्दोलन मजबूत होगा तब प्रदेश का किसान मजबूत होगा। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, हमारे साथी कह रहे थे कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाये। मान्यवर, सरकार का उद्देश्य बड़ा है, मकसद है कि इस आन्दोलन से छूटे लोगों को जोड़ें जिससे गरीब किसान, जमीदार या अन्य ऐसे लोगों के चंगुल से मुक्ति पा जाये। सहकारी आन्दोलन मजबूत हो। चाहे भण्डारण की व्यवस्था करने का सवाल हो, चाहे भण्डारगृह संख्या बढ़ाने का सवाल हो, हर उस मुद्दे का काम करने का प्रयास मा0 मंत्री जी ने किया है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि मा0 नेता जी के बाद अगर किसी ने चिन्ता की है, किसानों की, उनके लिए किसी ने काम करने का प्रयास किया है तो मा0 मंत्री जी ने किया है। इस बजट के माध्यम से किया है। इस नाते मैं बधाई देना चाहता हूं सारे फैसलों के लिए कि आपने इस बजट के अन्दर किसानों की भलाई का काम करने का प्रयास किया है। यह लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैंने कहा कि जब मौका मिलता है तो किसानों की चिन्ता खत्म कर देते हैं, जब मौके से बाहर हो जाते हैं तब किसानों से हमदर्दी दिखाने के लिए उन बातों का तर्क देते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं होता है। इसलिए मैं और लम्बी बात नहीं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गए इस बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री राम चन्द्र यादव-

अध्यक्ष जी, सहकारिता जो गांव और किसानों से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण विभाग है और मैं समझता हूं कि इसकी स्थापना से ही जिस समय गांव में गांव का गरीब किसान, मजदूर अपनी फसल का उत्पादन करता था और जब उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी तो बाजारों में बड़े-बड़े कस्बों से साहूकारों से कर्ज ले करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उसकी फसल गिरवी रख जाती थी। ऐसे समय में सहकारिता के क्षेत्र में, ऐसे विभाग की जो सोच है, इस विभाग का जो काम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, इस विभाग की जो प्राथमिक समितियां हैं, जिन समितियों को किसानों को खाद-बीज उपलब्ध होता है, फसली ऋण उपलब्ध होता है। वैसे तो इन समितियों को जिस तरह से पिछले दिनों में नष्ट करने का अभियान सा चला था, अब फिर से इन समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए गये। उसमें खासतौर से वह 16 जनपद जिसमें हमारा जनपद फैजाबाद भी आता है। जिस जनपद को उस श्रेणी से बाहर कर

दिया गया था। मैं मा0 सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद को भी उन 16 बैंकों में शामिल करके उन्हें लाइसेंस दिलाने की भारतीय रिजर्व बैंक की जो शर्तें हैं उसके लिये जो प्राविधान किया है उसके लिये मैं मा0 सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही हमारा जनपद और खास तौर से हमारी विधान सभा रूदौली का सहकारिता के क्षेत्र में चाहे वह बैंक हों चाहें समितियां हों उनका पूरा का पूरा संचालन बाराबंकी से हो रहा है। 1997 से लेकर यह पूरा रूदौली विधान सभा का संचालन बाराबंकी से होता है और बाकी जो दूसरे विभाग हैं उनका संचालन फैजाबाद जनपद से होता है। बजट का ऐसा अवसर है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रूदौली विधान सभा क्षेत्र की जो समितियां हैं वहां पर जो संघ है सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले जो संस्थान हैं उन सबका संचालन जनपद फैजाबाद से कराये जाने के आदेश दिये जाने चाहिए। मान्यवर, आज जिस तरह से हमारे क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जिसमें गोदामों के निर्माण की शुरूआत की गयी है सुझाव के तौर मैं कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में अईहार, बाबा बाजार और गणेशपुर। हमारे तीन ऐसे सहकारिता के क्षेत्र में जो नये निर्माणाधीन गोदाम हैं जिन पर इस समय काम चल रहा है। हम स्वयं जिलाधिकारी से और वहां के जो सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हैं उनको जानकारी दी कि वहां जो कार्य चल रहा था, वह कार्य अभी एक महीने पहले बनते समय ही गिर गया। जब सरकार का इतना बजट किसानों के हित में उन्हें उनके उत्पादन का दाम दिलाने के लिए उन्हें सुविधा दिलाने के लिए इतना बड़ा बजट खर्च हो रहा है तो उसके निर्माण पर भी जो बजट लग रहा है उसकी देखरेख का कार्य भी एक कमेटी बनाकर अच्छे ढंग से कराया जाये। साथ ही साथ एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सहकारी समितियों के गोदाम, भवन हैं उन पर दूसरे लोगों का कब्जा है। सहकारी समितियों को संचालन करने के लिए स्टाफ कम है। स्टाफ की कमी के कारण उस पर दूसरे लोग कब्जा किये हुए हैं। खासतौर से रूदौली क्षेत्र में और रूदौली नगर में जो सहकारी संघ का भवन है जिस पर दूसरे लोगों का कब्जा है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि उसको खाली करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सहकारी आन्दोलन बंद होने जा रहा था और कई वर्षों से इसमें बहुत बड़ा ठहराव आ गया था और हमारी सरकार के प्रयास से यह सहकारिता आन्दोलन पुनरूत्थान की ओर चल पड़ा है। और यहीं तक नहीं मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंकें हैं। उनमें से 25 बैंकों की स्थिति ठीक थी और इस समय हमने अपने संसाधनों से 09 बैंकों का रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इस तरीके से 34 बैंकें ठीक हो गयी हैं। और 610 करोड़ रुपया अभी बजट में भी प्राविधान किया गया है। तो जो 11 बैंकें बंद हैं। आप भी बहुत चिंतित हैं अपने सिद्धार्थनगर की जिला सहकारी बैंक के लिए।

श्री अध्यक्ष-

बहुत दिक्कत है, 44 करोड़ रुपया लोगों का जमा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

और उनमें से 05 बैंकों की हालत बहुत खराब है, गोरखपुर की तो शायद बहुत ही स्थिति खराब है, त्रिपाठी जी उनका भी जिक्र किया होता, जिनकी वजह से ये सहकारिता आन्दोलन खराब

हुआ है, इस स्थिति में आया है, इनको अगर आप इसमें चिन्हित करते तो बहुत अच्छा होता, तो मुझे खुशी होती कि आप सहकारिता आन्दोलन के प्रति चिन्तित हैं, लेकिन जब-जब हमारी सरकार बनी, समाजवादियों की सरकार बनी, तब-तब सहकारिता आन्दोलन फला-फूला है, चाहें किसानों के कर्जे हों, एक बार नहीं, कई बार किसानों के कर्जे माफ कर के और धन को सहकारी आन्दोलन में दिला करके सरकार ने सहकारिता आन्दोलन को पुनः उसी स्थिति में लाने का काम किया और हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी जिक्र किया है दीप नारायण जी ने, क्या हालत थी दो साल पहले, किसी भी समिति पर खाद नहीं मिलती थी, खाद मांगने पर किसानों को लाठी मिलती थी और किसान पिछले पांच सालों के अन्दर जेलों में गये हैं किसानों को खाद नहीं मिली, जेल में गये, किसानों पर मुकदमें लिखे गये, किसकी सरकार थी, उस समय मैंने विपक्ष में बैठ कर के कहा था कि कम से कम किसानों के मुकदमें ही वापस हो जाएं। किसानों के मुकदमें भी वापस नहीं किये, खाद भी नहीं मिली, लेकिन अबकी बार पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सोसाइटी पर यहां तक की मैंने 2250 सोसाइटियों पर जहां बन्द पड़ी हुई थीं, 125 करोड़ रुपया दे कर के 5-5 लाख रुपया दे कर के उन सोसाइटियों पर खाद पहुंचाने का काम किया और कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी खाद भरी पड़ी हुई है, त्रिपाठी जी जितनी चाहिए, ले जाइये नगद। किसी भी सोसाइटी पर कमी नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा कि हमारा मित्र देश है, पड़ोसी है नेपाल के लोग हैं, अगर नगद ले जाना चाहते हैं, अगर बिहार के लोग भी नगद ले जाना चाहते हैं अगर किसान हैं, तो उनको भी मैंने छूट दे दी थी खाद की। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हमने तो पूरे देश के किसानों की बात की है, अगर किसान है तो कहीं पर भी किसान के लिए कहीं पर भी खाद की कमी नहीं होने दी है और यही तक नहीं मान्यवर, जो अभी 11 बैंके हैं 610 करोड़ मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयास से उससे जो हमारी 11 बैंके और खतरे में हैं, निश्चित हमारी बैंके और बढ़ें, बढ़ायेंगे हम उन बैंकों को ठीक करेंगे, जिससे किसानों को कहीं पर भी परेशानी न हो और इस प्रकार 2013 और 2014 में 1301 करोड़ रुपया अधिक वितरित किया है, जिसके अन्तर्गत किसानों को ही यह ऋण वितरित किया है और जहां पर यह आन्दोलन बिल्कुल मरा पड़ा हुआ था, किसानों को न तो ऋण मिल रहा था, न खाद मिल रही थी, न बीज मिल रहा था और इस तरीके से हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में जहां 34 बैंकों में सी0बी0एस0 प्रणाली लागू कर दी है, आर0टी0जी0एस0 नेफ्ट की सुविधायें भी हमने बैंकों में उपलब्ध करा दी हैं।

34 जिला सहकारी बैंकों, 2013-14 में जिसका लाभ 195.49 करोड़ है और वार्षिक लाभ 188.10 करोड़ था। विगत वर्ष 3.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, इस प्रकार इस सहकारिता आन्दोलन को गति मिली है, बहुत तेजी के साथ गति मिली है और हम आज सदन में आश्वासन देना चाहते हैं मा0 अध्यक्ष जी, आप बहुत चिंतित थे और सिद्धार्थनगर जिला सहकारी बैंक इस वर्ष चलेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, और भी बैंके चलायेंगे लेकिन हमारी मजबूरी है गोरखपुर की, आपको पता ही होगा उस पर 200 करोड़ रुपया चाहिये लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई बैंक बन्द नहीं होना चाहिये लेकिन अभी संसाधनों को जुटाना पड़ेगा। इसी तरीके से बहराइच है, सीतापुर है, ये चार बैंके

अब भी खतरे में रह जायेंगी। बलिया है, बलिया की भी स्थिति बहुत खराब है, 150 करोड़ रुपये के करीब है, गोरखपुर का 200 करोड़ है। बहराइच और सीतापुर की स्थिति बहुत खराब है लेकिन हमारा प्रयास है कि किसानों को कहीं दिक्कत न हो। खाद बीज के बारे में कहीं दिक्कत न हो, ऋण के बारे में कहीं दिक्कत न हो लेकिन सोचना पड़ेगा कि किन लोगों ने किया, एल0डी0बी0 में कितना बड़ा घोटाला था। एक व्यक्ति ने उसको किसका संरक्षण था, कम से कम 1000 करोड़ रुपये का घोटाला किया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जिसका एशिया में नम्बर आता था और आज उसकी क्या स्थिति है। ताले लगने जा रहे थे, चालू करने जा रहे हैं, 1650 करोड़ रुपये देकर उन बैंकों को चलाया है। किसानों को ऋण मिलेगा, बहुत सी सुविधायें मिलेंगी। अब आज लाभ में आ गयी हैं, एक साल के अन्दर हमारी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक जिसमें 323 शाखाओं के माध्यम से कृषि आधारित क्रियाकलापों पर विभिन्न योजनाओं में मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध करा करके 2013-14 में 406.56 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है और लगभग 2.88 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है एक साल के अन्दर और कहां बन्द होने जा रही थी और जिस व्यक्ति की वजह से बन्द होने जा रही थी और इतना बहादुर अधिकारी दो बार जेल जा चुका है। यहां तक कि अदालतों को भी खरीद लेता है उसी पैसे से। उसी पैसे से अदालतों को भी खरीद लेता है। ये तो हालत हैं कहां तक लड़ा जाये। मान्यवर, ऐसे डकैतों से कहां तक लड़ा जाये।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें से यह अदालतों को खरीदने वाली बात कार्यवाही से निकाल दी जाये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

क्यों जो हो रहा है, यही हो रहा है, आपको क्या परेशानी है, जो किसानों का पैसा था, किसानों को लाभ मिलना चाहिये था। 1000 करोड़ का जिसने गबन किया हो, वह क्या नहीं कर सकता है। आपको बड़ी चिन्ता हो गयी, आपको बड़ी चिन्ता हो गयी। जहां घोटाले हो गये और घोटाले होने के बाद वह कहीं पर भी उस पैसे से लाभ उठाना चाहता है उसे तो दण्ड मिलना चाहिये था, उसे तो दण्ड मिलना चाहिये था। पैसे के बल पर अगर उसे दण्ड नहीं मिलता है तो बताइये यहां विधान सभा में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर यहां चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। मैंने तो दो बार तक जेल भेज दिया और फिर तीसरी बार जेल जायेगा। फिर जांच होगी, दोषी लोग जेल जायेंगे।

जेल जायेंगे, तो मै इसलिए बताना चाहता हूं मान्यवर, हमारी उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग कार्य करता है, जिसमें सी0बी0एस0 के माध्यम तथा ग्राहकों हेतु आर0टी0जी0एस0 एवं एन0ई0एफ0टी0 की सुविधाओं के माध्यम से बैंक ने वर्ष 2013-14 में 11444.88 करोड़ का व्यवसाय किया और 40.24 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ने अपनी 323 शाखाओं के माध्यम से कृषि एवं कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं अकृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में कृषकों को मध्य कालीन और दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा वर्ष 2013-14 में 406.56 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर 288.55 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश विधायन और सहकारी संघ उत्तर प्रदेश, लखनऊ संघ द्वारा

शासकीय तथा उपक्रमों से प्राप्त निर्माण कार्यों को सम्पादित किया जाता है। संस्था द्वारा 28 विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित 600 करोड़ रु0 के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 में 375.15 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य कराकर 35.00 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ अर्जित किया गया और इसी तरीके से उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम कृषि उपज, बीज उर्वरक के वैज्ञानिक भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय भण्डारण निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में 247.52 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर 30.47 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन पी0सी0एफ0 द्वारा 27.21 लाख मै0 टन यूरिया एवं 15.97 लाख मै0 टन फास्फेटिक उपलब्ध करायी, जबकि विगत वर्ष 24.39 लाख मै0 टन यूरिया एवं 14.84 लाख मै0 टन फास्फेटिक उपलब्ध करायी गयी थी। कृषकों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम भण्डारण का कार्य किया जा रहा है और अग्रिम भण्डारण हेतु आवश्यक ऋण पर ब्याज एवं भण्डारण शुल्क पर होने वाला व्यय-भार शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2014-15 में राज्य साकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का आय-व्ययक का प्राविधान किया गया है। पी0सी0एफ0 द्वारा वर्ष 2013-14 में 4554.80 करोड़ रुपये का व्यवसाय कर 2.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश की समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और वे निरन्तर लाभ की ओर अग्रसर हैं। सरकार इन संस्थाओं के व्यवसाय में बढ़ोत्तरी के लिए और सार्थक कदम ले जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप सहकारिता आन्दोलन से जो जनमानस दूर जा रहा थ, उसका विश्वासन पुनः सहकारिता की तरफ स्थापित हो रहा है। इसलिए मान्यवर, यह बजट जो हमने आज प्रस्तुत किया है इससे दिनों-दिन सहकारिता आंदोलन में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और समय से खाद, बीज और सभी जो भी किसान की जरूरतें हैं और खासकर जो किसान साहूकारों के चंगुल में फंसता जा रहा था, उसको उबारने के लिए यह जो सहकारिता आंदोलन पुनः शुरू किया है, उसमें हमें सफलता मिलेगी और निश्चित हमारा किसान सहकारिता के माध्यम से खुशहाली की ओर जायेगा और हम भरोसा दिलाते हैं कि कहीं पर भी और जहां पर भी, अगर कोई बेईमानी करेगा। अगर इस संस्था में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ और वसूली भी होगी, अब उल्टे वसूली उनसे भी की जायेगी, जिन्होंने घोटाला किया है। जांच होगी। अधिकारियों से किसानों को फिर सहूलियतें मिलें। (एक सदस्य द्वारा कहा गया कि मा0 मंत्री जी, गोरखपुर में और महराजगंज में समितियां मर चुकी हैं)

अब उस पर विचार हो रहा है। फिलहाल मैंने कहा है कि कहीं पर भी किसानों को कोई दिक्कत न हो। कहीं पर भी किसानों को दिक्कत न हो और इन समितियों के माध्यम से वैसे तो समितियों पर हमने 5-5 लाख रुपये देकर के 125 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की थी, उससे खाद, बीज उनको मिला है और भी जहां दिक्कतों आएंगी संसाधन जुटा करके किसानों को कहीं दिक्कत न हो ऐसा बजट हम लाये हैं इसलिए इस बजट को राजेश त्रिपाठी जी सर्वसम्मति से इस बजट को पास करायें।

मान्यवर, मैं माननीय श्री राजेश त्रिपाठी जी को भरोसा दिलाता हूं कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, अभी उधर से माननीय दीप नारायण जी बोल रहे थे। मैं उनका पिछला कटौती का प्रस्ताव पढ़ रहा था जो आपने आज लक्ष्य को लेकर बात कही है तब आप कह रहे थे कि पांच लाख के सापेक्ष हमारी सरकार ने ढाई लाख ही सदस्य क्यों बनाये। आज आप दो लाख-ढाई लाख सदस्यता प्राप्ति का लक्ष्य ही प्राप्त कर सके, जबकि आपका लक्ष्य सात लाख का था। तो आप हमारे कार्य-काल पर अंगुली कैसे उठा रहे थे कि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये और काम-काज खराब रहा। आप दो साल से वहां हैं और लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाये। हमारे काम-काज को आप खराब बता रहे हैं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी बिहार और नेपाल की बात कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की बजट की बात कह रहे हैं कि वे भी ले जा सकते हैं। हमारी खाद बिहार और नैपाल क्यों जा रही हैं और यहां के किसानों को परेशानी हो रही है। हमारे यहां किसानों को खाद मिल नहीं रही है और मंत्री जी कह रहें है कि खाद बिहार, नेपाल भी कोई ले जाये, ये क्या बात हुई ? मान्यवर अगर सरकार कहती है कि वह पांच लाख रुपये देकर किसानों को नगद खाद लेने की व्यवस्था बनाये तो मान्यवर, अगर रुपये से गरीब किसान खाद खरीदने की स्थिति में होता तो फिर यह सहकारिता से नगद कर्ज क्यों लेता ? हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता यही तो कहते रहे कि सहकारिता का मतलब ही यही है कि जो गरीब किसान है वह कर्ज ले सकें और अपनी फसल बो सकें, और उसे बेंचकर अपना कर्जा चुका सकें। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आप गोदाम बनाये जा रहे हैं। लेकिन यह गोदाम वहीं बनाये जायें जहां भवन जर्जर है, वहां न बनाये जायें बेहतर है, जैसे कि हमारे जनपद गोरखपुर गोला तहसील में एक न्याय पंचायत है धुबौली उसका गोदाम मकरन्दपुर में बना है जो ठीक-ठाक है फिर भी वहां गोदाम बनाया जा रहा है। मगर इसकी जगह जब मकरन्दपुर में गोदाम है तो इसी ग्राम पंचायत में इसी जगह क्यों बनवा रहे हैं। मेरा कहना है कि जहां गोदाम नहीं हैं या जर्जर हैं वहां बनवाये जायें। मान्यवर, सोसाइटियों के भवन जर्जर हैं। सचिव वहां बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर स्थिति खराब है और उन्हें दूसरे के मकानों में खाद और बीज रखना पड़ता है। समितियों के भवन की स्थिति खराब होने के कारण वह खाद बीज खराब हो जाता है। मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सन्तराम कुशवाहा-

मान्यवर, मेरे जालौन जनपद में माधौगढ़ विधान सभा की तहसील कोंच में साधन सहकारी समिति अन्डा में गोदाम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर गोदाम बनाया जाय, ताकि खाद और बीज रखा जा सके और किसानों को मिल सके।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने से पहले यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सहकारिता विभाग में गबन किया है और घोटाला किया है आप उनके विरुद्ध बिल्कुल ही कठोर से कठोर कार्यवाही करें। हम लोग उस बात में आपका साथ देंगे। मान्यवर, लेकिन जिस तरीके से आपने पिछली बार एम0डी0 को बिठाया और उन्होंने गड़बड़ियां कीं वैसा ही दुबारा एम0डी0 न बिठा दीजिएगा वरना वह तो वही करेगा जो पहले वाले अधिकारी ने किया। अच्छा होगा। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,86,84,52,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[03.45] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्यय में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-9 ऊर्जा विभाग

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,79,97,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज ऊर्जा विभाग का वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करते हुये अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। हर्ष का मुख्य कारण यह है कि हमने अपने पिछले कार्यकाल में जिन परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ कराया था वह सभी परियोजनायें पूर्ण हो गयी हैं तथा उनसे प्रदेश को विद्युत उत्पादन मिल रहा है। इस सन्दर्भ में 1200 मेगावाट क्षमता की रोजा तापीय परियोजना, 1200 मेगावाट क्षमता की लैन्कों की अनपरा ''सी'' तापीय परियोजना, 400 मेगावाट क्षमता की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना तथा राज्य सेक्टर की हरदुआगंज विस्तार 500 मेगावाट एवं परीक्षा विस्तार 500 मेगावाट उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त 330 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी पूर्ण हो गयी है तथा पारेषण लाइन का कार्य अगले एक माह में पूर्ण हो जाने पर इस परियोजना से भी उत्तर प्रदेश को 290 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। अतः यह स्पष्ट है कि हमने पिछले कार्यकाल में बिजली उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयास किये थे उससे 3800 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिल रही है।

हमने वर्ष 2016-17 तक लगभग 7500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदेश को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है-

राज्य सेक्टर में स्थापित की जा रही है अनपरा ''डी'' तापीय परियोजना जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, वर्ष 2014 में पूर्ण हो जायेगी तथा इससे विद्युत प्राप्त होने लगेगी। जे0पी0 समूह द्वारा बारा, जनपद इलाहाबाद में स्थापित की जा रही 1980 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना भी लगभग पूर्ण है। इस परियोजना की प्रथम इकाई से नवम्बर, 2014 तक तथा शेष 2 इकाइयों से जून 2015 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को 1782 मेगावाट

बिजली मिलेगी। बजाज ग्रुप द्वारा जनपद ललितपुर में स्थापित की जा रही 1980 मेगावाट क्षमता की तापीय परियोजना का कार्य भी मार्च, 2015 तक पूर्ण हो जायेगा। परियोजना की प्रथम इकाई से दिसम्बर, 2014 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जा रही 1320 मेगावाट क्षमता की मेजा तापीय परियोजना से वर्ष 2016 में 916 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिलने लगेगी। केस-1 बिडिंग के माध्यम से 2175 मेगावाट बिजली प्राप्त करने के लिये ऊर्जा क्रय अनुबन्ध किये गये हैं। बिजली में इस बढ़ोत्तरी के बाद वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ हमने विद्युत वितरण क्षेत्र को घाटे की स्थिति से बाहर निकालने के लिये वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वितरण कम्पनियों पर दिनांक 31-3-2012 को बकाया दायित्वों में से 50 प्रतिशत दायित्व अर्थात रु0 15810 करोड़ के दायित्व अपने ऊपर ले लिये हैं। इन दायित्वों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियां बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में तीन वर्षों में जारी की जायेंगी। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी तथा अगले 15 वर्षों में इन प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वितरण कम्पनियों को अन्तरिम अवधि में बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये लगभग रु0 49000 करोड़ की शासकीय गारण्टी देने पर भी सहमति दी है। राज्य सरकार के वितरण कम्पनियों पर बकाया रु0 422 करोड़ के ऋण को अंशपूंजी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष वितरण हानियां 5 प्रतिशत की दर से कम करने की भी कार्य योजना बनायी गयी हैं। इस योजना के सार्थक परिणाम आने शुरू हो गये हैं। वर्ष 2013-14 में वितरण कम्पनियों के राजस्व में लगभग रु0 5000 करोड़ की वृद्धि हुई है।

पारेषण तंत्र के विस्तार के लिये रु0 1020 करोड़ तथा वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिये रु0 1621 करोड़ का बजट प्राविधान वर्ष 2014-15 में किया गया है। प्रदेश में गैर विद्युतीकृत लगभग 134000 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा इसके लिये रु0 7282 करोड़ की योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं। यह कार्य अगले 2 वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये रु0 68000 प्रति कनेक्शन की दर से अनुदान उपलब्ध कराती है। इस योजना में प्रतिवर्ष लगभग रु0 200 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये किसानों को एक वर्ष से अधिक इंतजार करना पड़ता है। योजना बनाई जा रही है कि पूर्व से लम्बित सभी नलकूपों का ऊर्जीकरण तत्काल कर दिया जाय एवं भविष्य में भी किसानों द्वारा आवेदन करने पर नलकूपों का ऊर्जीकरण बिना किसी विलम्ब हो सके।

क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को शहरी क्षेत्रों में तत्काल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 72 घण्टे में बदलने के लिये परिवर्तकों की मरम्मत हेतु विभागीय कार्यशालाओं की क्षमता वृद्धि की गयी है। क्षतिग्रस्त परिवर्तक को स्थल से कार्यशाला तक लाने एवं नये परिवर्तक को ले जाने के लिये विभाग द्वारा किराये के वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को समय से बदलने में सफलता मिली है तथा उपभोक्ताओं ने भी इस योजना की सराहना की है।

तहसीलों में ग्रामीण क्षेत्र से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 201 तहसीलों में नये 33/11 केवी उपकेन्द्र एवं संबन्धित लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष अधिकांश कार्य भी अक्टूबर, 2014 तक पूर्ण हो जायेंगे।

वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिये आयोजनागत मद में रु0 6715.74 करोड़ का प्रावधान किया है जो गत वर्ष के सापेक्ष रु0 1486 करोड़ अधिक है। आयोजनेत्तर मद में रु0 9011 करोड़ की वृद्धि की गयी है। आयोजनेत्तर मद में वृद्धि का प्रमुख कारण वितरण कम्पनियों के पुराने दायित्वों को ग्रहण करना तथा हानियों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान की अतिरिक्त व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिये विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तीनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं जिससे अगले 3 वर्षों में आपूर्ति में अपेक्षित सुधार होगा। विद्युत आपूर्ति में सुधार राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है अतः ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिये यथाआवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाये जायेंगे। इसलिये मैंने जो यह ऊर्जा विभाग का बजट रखा है यह बहुत ही सराहनीय है, इससे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इसलिये इसको कटौती मुक्त रखा जाय, जिससे सभी को लाभ होगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देशय विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने ऊर्जा विभाग का लम्बा चौड़ा बजट प्रस्तुत किया है 181 अरब 79 करोड़ 97 लाख 62 हजार रुपये का। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करने के ठीक बाद यह भी अपना प्रस्ताव रखा कि इसे कटौती मुक्त रखा जाय। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी के बिना कहे इसे कटौती मुक्त रखता लेकिन मान्यवर, पैसे का सदुपयोग होता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। वर्ष 2013-14 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सरकार ने इसी सदन में बजट प्रस्तुत करते वक्त राज्य सरकार की हिस्सेदारी का पैसा प्रावधानित किया था। क्योंकि इस योजना में 75 पैसा धन केन्द्र का आता है और 25 पैसा धन प्रदेश सरकार का लगता है लेकिन मान्यवर, प्रावधानित बजट होने के बावजूद भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में इस सरकार ने पैसा निर्गत नहीं किया जिसके नाते इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण का कार्य है वह प्रभावित हुआ। मान्यवर, यही नहीं विगत वर्षों में विशेष रूप से जब यहां बसपा की सरकार थी तो बड़े पैमाने पर बिजनेस प्लान के अन्तर्गत धन भी स्वीकृत कराया गया था, धन आवंटित भी किया गया था, कार्य शुरू भी हो गया था। प्रदेश के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, कुछ-कुछ गांवों का विद्युतीकरण हो भी गया था, किन्ही-किन्हीं गांवों में पोल खड़े हो गये थे। गांव मांगे जायेंगे तो हम दे देंगे लेकिन मान्यवर, जैसे ही सरकार आई, सारी की सारी योजना ठप, पैसा कहां गया, अगर उसके एवज में अपने ही चुनिन्दा क्षेत्रों में विकास कार्य कराते, या विद्युतीकरण कराते तो उसका भी हम

स्वागत करते और आज कटौतीमुक्त इस बजट को पारित करने में हम सहयोग देते। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हो सका, मा0 मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है, मा0 मंत्री जी को बलि का बकरा बनाकर इस विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिए इंगित कर दिया है और मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी कहते हैं। कि वर्ष 2016-17 में हम शहरों में 24 घण्टे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, जो बजट की किताब है उसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 ही है। 2016-17 में 24 घण्टे शहरी क्षेत्रों में और 18 घण्टे ग्रामीण में बिजली देंगे। मतलब यह कि इस बजट में वर्तमान की बात नहीं हो रही बल्कि वर्ष 2016-17 की बात हो रही है। मान्यवर, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, हमारी जब सरकार थी तो हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2016-17 में 24 घण्टे शहरी क्षेत्रों में और 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने की योजना को ध्यान में रखते हुए ही तमाम परियोजनाओं का एम0ओ0यू0 किया था, शुभारम्भ किया था और कुछ प्रारम्भ भी हो गये थे। मान्यवर, सरकारें लगातार निरन्तरता में चलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन व्यवस्थाएं हम जो बनाते हैं वह प्रदेश के लिए स्थाई होती है। बल्कि वह यथावत रहती हैं परियोजना आपकी सरकार शुरू करें या हमारी सरकार शुरू करे या किसी हमारे अन्य साथी की सरकार शुरू करे। यह सरकार तो केवल माध्यम है लेकिन सबके सामने लक्ष्य प्रदेश की जनता होती है और प्रदेश की जनता का हित होता है। मान्यवर, आज हम यहां पर कटौती का प्रस्ताव नहीं लाते, जब आज पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होती। आज बड़े पैमाने पर कटौती की शिकार पूरा प्रदेश हो रहा है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। हम यह नहीं कहते कि आप इतने घण्टे बिजली दीजिए लेकिन जो आप समय सारिणी निश्चित करते हैं अपने ही निश्चित किये गये समय सारिणी के मुताबिक बिजली की आपूर्ति यदि आप सुनिश्चित करते तो हम यहां पर स्वागत करने के लिए खड़े होते लेकिन इस बजट में इस बात की न कोई चाहत है न संकल्प है न सरकार इसके प्रति कहीं दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी दिखायी पड़ती है। इसीलिए आज रामपुर को पर्याप्त बिजली मिलती है, अगर रामपुरिया चाकू का डर नहीं होता तो शायद रामपुर को भी बिजली नहीं मिलती, यह तो रामपुरिया चाकू का कमाल है कि सरकार को 24 घण्टे बिजली देनी पड़ी। मान्यवर, बिजली हमारी आवश्यकता बन गयी है यह विकास का प्रमुख आधार बन गयी है। औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं उनका उत्पादन इसी बिजली पर निर्भर करता है। अगर हम बिजली की आपूर्ति घोषित समय-सारिणी के मुताबिक पूरे समय देना सुनिश्चित करेंगे तो अवाध गति से फैक्ट्रियां चलेंगी, अवाध गति से उनकी मशीनें काम करेंगी, अवाध गति से उनका उत्पादन होगा और स्वाभाविक रूप से जब बड़े पैमाने पर बिना बिजली कटौती के प्रभावित हुए फैक्ट्रियां या उद्योग चलेंगे तो तरक्की होगी। यह तरक्की केवल औद्योगिक घरानों की ही नहीं बल्कि प्रदेश की भी तरक्की होगी। आज पूरे प्रदेश में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं अगर एक-एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। चाहे ताला उद्योग हो, पीतल उद्योग हो, चाकू उद्योग, चूड़ी उद्योग या अन्य छोटे उद्योग जो भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं जिनकी बिजली कटौती के नाते कार्य बाधित होती है। मान्यवर, जैसे लोहे की फैक्ट्रियां होती हैं लोहे को अपने शून्य तक गर्माने के लिए कम से कम 4 से 5 घण्टे बिजली चाहिए। शुरू हुआ, दो घण्टे बिजली आयी उसके बाद कटौती हो गयी तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी, जितना समय दो घण्टें का लगा था फिर उतना समय लगेगा और उसकी भरपाई हम बाद में नहीं कर सकते। इस प्रकार से बिजली कटौती से कारखाने प्रभावित हो रहे हैं....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ) (अपने आसन पर बैठे हुए)-

मौर्या जी का करंट लगातार चल रहा है उसमें कटौती नहीं होती है, इसमें किस पावर हाउस से करंट आ रहा है ? (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर इसकी आपूर्ति सरकार के हाथ में होती तो यहां पर भी कटौती हो जाती। (हंसी) तो इसके आपूर्ति का केन्द्र उधर से न हो करके इधर से है इसलिए कटौती मुक्त यहां पर सब कुछ होता रहता है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ (अपने आसन पर बैठे हुए)-

मैं तो शार्ट-सर्किट का इंतजार कर रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय मंत्री जी ने अभी तमाम परियोजनाओं का उल्लेख किया। मान्यवर, बजट पुस्तिका मैंने देखी है, ऊर्जा विभाग की बजट सामग्री हमने देखी हैं, इसमें जितनी भी परियोजनाओं का उल्लेख है.... इसमें जितनी भी परियोजनाओं का उल्लेख है यह सारी की सारी परियोजनाएं हमारी सरकार में प्रारम्भ कर दी गयी थीं। जैसा कि कुछ सदस्य जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं बारा परियोजना इलाहाबाद में 1980 मेगावाट की हमारी सरकार के समय में ही इसका एम0ओ0यू0 हुआ था कार्य प्रारम्भ हुआ था करछना इलाहाबाद का एम0ओ0यू0 हमारी सरकार में हुआ था मा0 सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश के नाते विवाद हुआ रुका हुआ है शायद उसे आग बढ़ाने का काम यह सरकार कर रही है। मेजा इलाहाबाद में 2640 मेगावाट का कार्य हमारी सरकार के समय में ही प्रारम्भ हो गया था जिसको इस सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। अनपरा सी लैंको द्वारा प्रारम्भ किया गया था 2011 में हमने 1200 मेगावाट का उत्पादन प्रारम्भ किया था हरदुआगंज में 500 मेगावाट में 250 मेगावाट का उत्पादन हमने 2011 में प्रारम्भ किया था और ढाई सौ मेगावाट का उत्पादन हमने 2012 में किया। सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है। जैसे हरदुआगंज का टेंडर पिछली सपा सरकार में हुआ था लेकिन काम हमने प्रारम्भ किया था बिजली उत्पादन मैंने शुरू किया। जो हमने प्रारम्भ किया है उसको अगर तेजी से आगे बढ़ायेंगे तो 2016 में बिजली आप दे देंगे अन्यथा 2016 में विदाई का समय आ जायेगा और इनको देने का मौका नहीं मिलेगा। फिर हमारे माथे आ जायेगा और फिर हमको देना पड़ेगा। हम रहें या न रहें लेकिन हमारे बगल वाले नहीं रहेंगे क्योंकि एक महीने के अन्दर इनकी पोल पट्टी खुल गई।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, हरदुआगंज के बारे में मैं बताना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

बीच में न बोलें पहले नेता विरोधी दल को भाषण पूरा करने दें। जब आपका नम्बर आये तब बताइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पारीक्षा का टेंडर पिछली सपा सरकार में हुआ था लेकिन कार्य का प्रारम्भ हमारी सरकार ने किया इसी प्रकार से ओबरा में 200 मेगावाट का प्लांट कई वर्षों से बन्द पड़ा था जिसको प्रयास करके

200 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हमारी सरकार में की गई। रोजा थर्मल प्लांट पिछली सपा सरकार में टेंडर हुआ लेकिन काम हमारी सरकार के समय शुरू हुआ जिसमें 300 मेगावाट की तीन इकाइयां जिसका उत्पादन बसपा सरकार के समय शुरू हुआ। 300 मेगावाट का उत्पादन अभी प्रारम्भ हुआ जो आपके रिजीम में आया। इसी प्रकार हमने चीनी मिलों को कोयले से बिजली उत्पादन की अनुमति देकर 450 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन अपनी सरकार में किया। इस प्रकार से हमने 2007 में जो बिजली की उपलब्धता थी। उसमें हमने अपने 5 साल के कार्य-काल में 3 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन की बढ़ोत्तरी की थी शेष जो एम0ओ0यू0 को कान्टीन्यू करके काम को आग बढ़ाया। जैसे मान्यवर, एन0टी0पी0सी0 तथा इसके अतिरिक्त नैरोली लिंगनइ लिंको के प्रोजेक्ट पर कार्य 24-8-2011 को हमारे समय में एम0ओ0यू0 30-11-2010 में हमारी बसपा की सरकार में हुआ था। मान्यवर, यह सरकारें जैसा कि मैंने कहा सरकार किसी भी पार्टी की होगी यह जो प्रदेश की मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन की आवश्यकता है इसकी आपूर्ति की जवाबदेही सरकारों की है। सरकार किसकी होगी यह मान्यवर, बहुत मायने नहीं रखता। मायने प्रदेश की जनता, उसके लिये बिजली की आपूर्ति मायने रखती है। यह सरकारें जो भी आती हैं अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये यह कार्य करती हैं। मान्यवर, विद्युत, इसके बावजूद भी आपूर्ति के मुताबिक जब हम बिजली नहीं दे पर रहे थे तो हमने 2700 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लगातार यहां क्रय किया। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस अनुबन्ध को आगे बढ़ा दिये होते तो आज जो प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली का संकट है। कटौती से प्रदेश के लोगों को जूझना पड़ता है तो शायद उस स्थिति से हम मुक्ति पाये होते। मान्यवर, इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो देनदारियां हैं, यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आप छोड़ के जाते हैं तो जो सरकार आयेगी वो करेगी। हम छोड़कर जायेंगे, आप करेंगे। आप छोड़कर जायेंगे जो आयेगी वो करेगी। हम आयेंगे, हम करेंगे। 2007 मे आप छोड़कर गये थे उसके बाद हमने उसकी भरपाई करी। जो हम छोड़कर गये उसकी भरपाई आप करेंगे। यह सरकार की जवाबदेही है, हम जनता पर कोई एहसान नहीं करते। यह निरन्तर प्रक्रिया के तहत हम इस काम को करते रहते हैं क्योंकि पावर कारपोरेशन, परियोजनाएं एक निरन्तर क्रम में चलते रहते हैं। समय-समय पर देनदारियां लम्बित रहती हैं। जो भी सरकारें आती और जाती हैं इन देनदारियों की जवाबदेही उन पर होती है। चाहे हम हों चाहें आप हों या कोई और हो। यह जवाबदेही उसको देना ही पड़ता है। मान्यवर, इसी प्रकार से माननीय हमारे मंत्री जी ने इस बजट पुस्तिका में जो भी नाम दिये हैं वह सारी की सारी योजनाएं हमारी सरकार में ही प्रारम्भ की गईं। अभी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2007 में जब आपकी पिछली सरकार थी। हम अंतिम चार-पांच महीने का हवाला देंगें और जब हम सरकार छोड़ रहे थे उसके अंतिम चार-पांच महीने का हवाला देंगें। मई 2006-2007 में 121.9 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति थी और 2011-2012 मई में हमने 200 दिया। इसी प्रकार से जून, 2006-2007 में 134 के सापेक्ष हमने 200.9 मिलियन यूनिट दिया। (व्यवधान) हां इलेक्शन ईयर था दोनों के लिये था। उस समय आपका इलेक्शन ईयर था और 2012 में हमारा इलेक्शन ईयर था। इसी प्रकार से अगस्त, 2006-2007 में 139.7 मिलियन यूनिट के अगेन्स्ट हमने 2011-2012 अगस्त में 209.5 मिलियन युनिट दिया। सितम्बर, 2006-2007 में 151 के सापेक्ष हमने 2011-2012 में 213.2 मिलियन यूनिट दिया। अक्टूबर, 2006-2007 में 147.1 मिलियन यूनिट के सापेक्ष हमने 193 मिलियन यूनिट दिया। नवम्बर, 2006-2007 में 137.8 मिलियन यूनिट के सापेक्ष हमने 2011-2012 में 184.7 मिलियन यूनिट दिया। दिसम्बर, 2006-07 में 139 के सापेक्ष 2011-12 में

हमने 189.7 मिलियन यूनिट दिया। 2006-07 जनवरी, में 145.7 मिलियन यूनिट के सापेक्ष हमें 194.6 मिलियन यूनिट दिया। फरवरी, 2006-07 में 129.3 मिलियन यूनिट के सापेक्ष हमने फरवरी, 2011-12 में 205.1 मिलियन यूनिट दिया और अन्त में मार्च 2006-7 में 131.7 मलियन यूनिट के सापेक्ष हमने मार्च, 2011-12 में 199.6 मिलियन यूनिट दिया। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि हमने कम दिया या ज्यादा दिया, स्वाभाविक रूप से आवश्यकता से अनुसार 2011-12 में हमने दिया तो ज्यादा दिया, स्वाभाविक है कि 2016-17 तक आते-आते आप आपसे ज्यादा देंगे क्योंकि वह प्रदेश के उपभोक्ताओं की आवश्यकता है, उसकी भरपाई करने की जवाबदेही सरकार की है और इसलिए सरकारें निरन्तर रूप से अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए गतिमान रहती हैं, कार्य करती रहती हैं और इनका अगर औसत लिया जाये तो जो विगत सपा सरकार में बिजली का औसत था, उससे हमने 50 प्रतिशत अधिक देने का काम किया। मान्यवर, यहां अभी आप कह रहे थे, 2006-07 में कुल वसूली की आपने बात की कि कब क्या वसूली थी, वह भी मैं बता देता हूं। वर्ष 2006-07 में कुल वसूली थी 9516 करोड़, वहीं पर वर्ष 2012 में हमने वसूली बढ़ाई 17000 करोड़, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से 2016 तक इस 17000 करोड़ को 22000 या 24000 करोड़ ले जाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया है, यह नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा तीर मार लिए, यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत् हम चलते रहते हैं लेकिन जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, हम बिजली खरीद कर दे रहे हैं या उत्पादन करके दे रहे हैं, जनता को इससे मतलब नहीं है। सरकार की यह जवाबदेही है, चाहे हमको खरीद करके बिजली देना पड़े, चाहें हमें उत्पादन के माध्यम से देना पड़े, हमें जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो शिड्यूल तय किया है, उस शिड्यूल के मुताबिक बिजली की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकारों की है और यदि कटौती के विषय में सरकार को संज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है, कहीं न कहीं अधिकारी सरकार को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश में विद्युत कटौती संकट का संज्ञान सरकार ले और आपने खुद जो अपना आपका विद्युत कारपोरेशन है जिसने विद्युत आपूर्ति का समय सुनिश्चित किया है, उसके मुताबिक बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम करें और हमें जब एहसास हो जायेगा कि कटौती अब नहीं हो रही है तो मैं कटौती प्रस्ताव आगे रखूंगा भी नहीं। मान्यवर, यह कटौती प्रस्ताव इसीलिए रख रहा हूं कि इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर सकूं और इस गंभीर मामले पर जो आज प्रदेश की जनता इससे प्रभावित हो रही है, उसको इस संकट से उबारा जा सके। मान्यवर, इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार को जनता के प्रति बहुत ही जवाबदेह होना पड़ेगा। हम कुछ बिजली उत्पादकों को खुश करने के लिए अगर तय किये गये रेट पर हम बिजली लेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका भार जनता पर जायेगा। इसलिए जैसे कि आज कई प्रदेशों से हम मंहगी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, बिहार, इनसे हम मंहगी बिजली अपने उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। मान्यवर, इसलिये हम प्रायः कभी-कभी देखते हैं, जब सदन में चर्चा चलती है, सरकार पक्ष से जवाब आ जाता है, चाहे हमारे कोई मंत्री जी हों या संसदीय कार्य मंत्री जी हों, सीधे भार झोंक देते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए, हमारे साथियों पर कि केन्द्र बिजली उधार दे। केवल यहां कह देने से उधार दे, वह उधार देने वाली नहीं हैं अगर वाकई में उधार लेना है या क्रय करना है या अतिरिक्त बिजली लेनी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर बैठना होगा। आपस में बीच का कोई रास्ता तय करना होगा, रास्ता निकाल करके मान्यवर। प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध कराने

का प्रयास करना होगा। होता क्या है कि हमारी सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार हमें बिजली उधार दो और केन्द्र के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अतिरिक्त बिजली खरीदे। देखिये कितनी अच्छी नूराकुश्ती हैं मतलब एक-दूसरे पर वजन डालकर यह अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं। केन्द्र सरकार के पास उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय कोटे का 15 प्रतिशत बिजली केन्द्र के विवेकाधीन रहती है। लिहाजा मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर से यदि इस पर बात की जाये तो हमें 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्तर प्रदेश के लिए मिल सकती है। दूसरा सुझाव, केन्द्रीय कोटे से बिजली की निजी कम्पनियों को जरूरत से ज्यादा बिजली न देकर इसे यू0पी0 में ट्रांसफर किया जाये, यह भी मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर से वार्ता करने से सम्भव होगा। अगर बात सफल होती है तो 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली इसके माध्यम से मिल जायेगी। तीसरी चीज, रिलांयस कम्पनी, शासन स्थित अल्ट्रा पावर मेगा प्रोजेक्ट आधी क्षमता पर चल रही है। उस पर हम दबाव बनायें उसे पूरी क्षमता से चलावें। वह पूरी क्षमता से इसे इसलिए नहीं चला रहा है क्योंकि इसकी बिजली हम लेते हैं 1.1 रुपये प्रति यूनिट। लेकिन रोजा प्लांट को पूरी क्षमता से चलाता है दोनों उसी की हैं। क्योंकि वहां की पैदा हुयी बिजली को हम 6 रुपये 6 पैसे में लेते हैं। इसलिए उसे पूरी क्षमता पर चलाता है और हमारे अनुबन्ध के मुताबिक रिलायंस कम्पनी शासन स्थित अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट आधी क्षमता पर चलाता है क्योंकि इस बिजली का हम एक रुपये एक पैसे में। इसलिए जब वह अपने रोजा प्लांट को पूरी क्षमता से चलाता है तो शासन स्थित अल्ट्रा मेगावाट कम्पनी को भी पूरी क्षमता पर चलाना चाहिए यह सरकार को उसकी तरफ से दबाव पड़ना चाहिए। मान्यवर, अगर यह हम दबाव बना ले जाते हैं या आपसी बातचीत से हम तैयार कर लेते हैं तो काफी भरपाई बिजली आपूर्ति की इसी तरीके से हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी कितना समय और लेंगे। क्योंकि बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हम तो अब सुझाव दे रहे हैं अब तो हम बात भी नहीं रख रहे हैं। मान्यवर, सुझाव मैं इसलिए दे रहा हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी अपने अधिकारियों को निर्देशित करके अगर इस पर कुछ पहल करेंगे तो कुछ रास्ता आसान हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, अनपरा सी में लैंको जान-बूझकर कम बिजली उत्पादन कर रहा है। अगर वह नियमानुसार कोयला आयात नहीं कर रहा है तो इस मामले में कार्यवाही की जाये और अगर वह पर्याप्त कोयला आयात करके भरपूर उत्पादन करे तो 600 मेगावाट बिजली हमें वहां से मिल सकती हैं इसलिये मान्यवर, विद्युत उत्पादन निगम के बिजली घरों को सही मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का कोयला दिलाने के लिए भी प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के साथ बैठक करनी होगी और साथ ही साथ जो फिजूलखर्ची है उसको रोकना होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम सुझाव। मान्यवर, प्रदेश में लगभग 700 मेगावाट की तापीय मशीनें बंद चल रही हैं। जैसे ओबरा की मशीन संख्या-02, क्षमता 50 मेगावाट, मशीन संख्या-13, क्षमता 200 मेगावाट। अनपरा मशीन संख्या-03, क्षमता 210 मेगावाट। हरदुआगंज मशीन संख्या-02, क्षमता 250 मेगावाट, बंद हैं अगर मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर अपने अधिकारियों को दौड़ा दें और बात करके इन सारे बंद परियोजनाओं को संचालित करा दें तो हम समझते हैं कि सारा का सारा बिजली संकट खत्म हो

जायेगा। और इतना भारी भरकम जो मा0 मंत्री जी ने आज बजट प्रस्तुत किया है, हम समझते हैं कि इससे कम में भी काम चल जायेगा और मान्यवर यही नहीं अभी हमने पिछले दिनों आगाह भी किया था कि बजाज हिन्दुस्तान और रोजा प्रोजेक्ट ये फिर से महंगी बिजली देने की फिराक में है और हमारे यहां का प्रस्ताव भी गया है। मान्यवर, जिस दिन यह लागू हो जायेगा कहीं न कहीं सरकार की शाख गिरेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण बातें लाने का प्रयास किया हूं, साथ ही साथ चूंकि आज बड़े पैमाने पर प्रदेश की जनता बिजली कटौती से परेशान हैं, प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जो बिजली कटौती से मुक्त हो, तीन-चार जिले छोड़ कर के। तीन-चार जिले हैं उसमें हमारे चाकू-छूरी वाला भी जिला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमारे जिले को तो आपने ऐसी नजर लगाई कि पूरे बजट में एक पैसा भी नहीं आया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी हम लोगों को बहुत जवाब देते हैं तो इतनी सिफारिश मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कर ही दूंगा कि रामपुर का ध्यान अवश्य रखें तो इसलिए मान्यवर चूंकि इन सारी बातों को इस बजट में नजर अन्दाज किया गया है, कटौती से निपटने के लिए कोई कारगर योजना नहीं तैयार की गई है, साथ ही साथ पर्याप्त बिजली वर्तमान में दिलाने का इसमें कोई संकल्प नहीं है और जब पिछले ही प्राविधानित बजट के पैसे का यह सदुपयोग नहीं कर पाये हैं तो इतने बड़े बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मान्यवर मैं कटौती प्रस्ताव रखता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

सत्ताधारी दल की तरफ से कोई बोलेगाा ? नहीं। मा0 उपेन्द्र तिवारी जी आप बोलें, लेकिन 3-3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, ध्यान रखियेगा।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिजली के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अभी मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाय, हम मा0 ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से बिजली की कटौती खत्म कर दी जाय, हम विपक्ष के लोग कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हैं । मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग बलिया जनपद से चुन कर के आते हैं, चूंकि तीन ही मिनट का समय है, कहना तो बहुत-कुछ था, लेकिन बलिया पर ही हम बात करना चाहेंगे और इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 सदन का और मा0 ऊर्जा मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि आबादी बढ़ गई और बिजली की व्यवस्था वही जस की तस रह गई, इसलिए बलिया जनपद में 132 के0वी0ए0/33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन से पोषित 33/11 सिविल लाइन्स बलिया पर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाय जिससे रोस्टर के अनुसार बारी-बारी से फीडरों को विद्युत व्यवस्था दी जाय, क्योंकि अभी जो रोस्टिंग का सिस्टम है, उसके अनुसार रात में 12 बजे से 02 बजे तक की कटौती शहर के अन्दर हो रही है, जिससे पूरे बलिया शहर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राम

को रोस्टिंग हटाया जाय। उसी तरीके से मा0 अध्यक्ष जी 132/33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बलिया पर स्थापित ट्रान्सफार्मर की क्षमता 40 प्लस 40 एम0वी0ए0 है, जिसमें एक की क्षमता वृद्धि कर 60 एम0वी0ए0 कर दिया जाय ताकि वहां के लोगों को बिजली सुचारु रूप से मिल सके। तीसरा है मा0 अध्यक्ष जी, 132/33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन बलिया द्वारा स्थापित 33/11 के0वी0ए0 की क्षमता बढ़ा कर 05 एम0वी0ए0 की क्षमता वृद्धि की जगह पर 10 एम0वी0ए0 कर दिया जाय ताकि बलिया शहर और देहाती इलाकों को भी बिजली ठीक ढंग से मिल सके। विद्युत सब स्टेशन रतसर की क्षमता 5 एम0वी0ए0 की है उसको बढ़ाकर 10 एम0वी0ए0 की कर दी जाये, ये हमारी फेफना विधान सभा की समस्या है और जनहित में आवश्यक है। इसी तरीके से चितवड़ा गांव नगर एक ऐसा है वहां की आबादी 35000 से ऊपर की है और वहां जो पिछले समय की बिजली व्यवस्था है वही चली आ रही है इसलिये मा0 ऊर्जा मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि 400 के0वी0ए0 का एक ट्रांसफार्मर वहां पर भी दे दिया जाये। रतसर ग्राम सभा बड़ी ग्राम सभा है वहां की आबादी 25000 से ऊपर है वहां भी एक 400 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर दे दिया जाये। कोटबा नरायणपुर जो एक बड़ा गांव है वहां 16-17 हजार की आबादी है, वहां पर 250 के0वी0ए0 का एक ट्रांसफार्मर दे दिया जाये और फेफना बाजार में 100 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर दे दिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, इसी तरीके से, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मा0 ऊर्जा मंत्री जी मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट के दौरान कहा था कि और एक व्यवस्था उन्होंने लागू किया है जो ट्रांसफार्मर जल जाते थे उनको लगवाने के लिये यह अच्छी व्यवस्था है। किसानों के लिये उन्होंने लागू किया क्योंकि किसानों का ट्रांसफार्मर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने, ले आने में काफी पैसा लगता है और बहुत कठिनाईयां होती हैं। लेकिन इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से कराया जाये निचले स्तर पर दमदारीपूर्वक, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और ट्रांसफार्मर जले तो तुरन्त बदला जा सके।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री के विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे केवल दो-तीन सुझाव हैं। जो सुझाव मा0 नेता विरोधी दल को अपने कटौती प्रस्ताव में लाने चाहिये थे। जनता की समस्या को इनको रखना चाहिये था। इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताने में ही समय लगा दिया। मान्यवर, मैं मा0 ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो 11000 की लाइनें गांव के अंदर निकलती हैं और जो टूट जाती हैं जिससे कई दुर्घटनायें हो जाती हैं। परसों मेरे विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्दर कुशैला गांव में एक तार टूट गया जिससे एक बच्चा खत्म हो गया। इसको देखने की जरूरत हैं। इसके साथ-साथ में जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है उसमें जो 16 के0वी0ए0 के और 10 के0वी0ए0 के ट्रासफार्मर लगाये जाते हैं और जिससे कि पूरी लाइट गांव को नहीं मिल पाती है तो अब भविष्य में जो भी गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित किये जायें, उनमें 25 के0वी0ए0 और 63 के0वी0ए0 से कम के ट्रासफार्मर फुंक जाते हैं, उनको लाने और ले जाने के लिये वहां पर हमने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है कि विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लाये जायेंगे लेकिन ये अभी पूरी तरीके से कामियाब नहीं हो पर रहा हैं कि वहां पर जो लोग ट्रांसफार्मर लायें और गांव की जनता के द्वारा ट्रांसफार्मर लाये जाते हैं लगाकर दे जायें। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र महोली के

अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हमारे वहां 132 के0वी0ए0 का पावर हाउस मंजूर किया और 3, 33/11 के हमारे पावर हाउस स्वीकृत किये लेकिन अभी उनका स्थलीय कार्य शुरू नहीं हो पाया है इसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अपने मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनका कार्य शुरू करा दें और जो भी जर्जर तार हैं हमारी विधान सभा के अन्दर वह सब सही करा दिये जायें। साथ ही मान्यवर, कई गांव ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहां पर केवल 10-12 खंभे लगे हैं और गांव आगे बढ़ते चले गये हैं, उनको किसी योजना के अन्तर्गत लेते हुये सभी गांवों में विद्युतीकरण कराया जाये, ये मेरा अनुरोध है। आपने बोलने का अवसर दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विजय कुमार दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, आज के समय में सबको पता है कि रोशनी विकास का मुख्य स्रोत है क्योंकि जहां रोशनी है वहीं शिक्षा है और जहां शिक्षा है वहीं विकास है। इसके बाद भी हमारे विधान सभा क्षेत्र खड्डा, जहां की जनता समय पर बिल अदा करती है और बिल न अदा करने पर, उनको जेल की हवा खिलायी जाती है और सुविधा के नाम पर आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर 11 हजार की लाइन से विद्युत आपूर्ति लकड़ी के जर्जर पोल पर और लोहे के तार पर किया जाता है। मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे ऐसे विधान सभा क्षेत्र के गांव में आर0सी0सी0 पोल कन्डक्टर की व्यवस्था की जाये ताकि हर साल जो दर्जनों ग्रामीण दुर्घटना के शिकार होते हैं और उसके बावजूद उनको सुविधा के नाम पर, बिजली की सुविधा के नाम पर बिल लेने के बाद भी लकड़ी के जर्जर पोल, लोहे के तार पर विद्युत आपूर्ति किया जाता है। ट्रांसफार्मर जलने पर जो प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है कि वह अपने वाहन से पहुचाने का गांव में कार्य करेंगे वह आज भी कहीं क्रियान्वित नहीं है। आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि वह क्रियान्वयन करने की आवश्यता है और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मा0 मंत्री जी के द्वारा ऊर्जा विभाग का जो बजट रखा गया है, उसके समर्थन में मुझे अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मा0 नेता विरोधी दल अभी आज जो मा0 मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, उसका कटौती का प्रस्ताव लाने का काम किये थे और मान्यवर, उन्होंने शुरूआत की थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से और विगत वर्ष का हवाला देने का काम किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को 25 प्रतिशत धन उपलब्ध कराना था, वह धन न उपलब्ध कराने के कारण, गांवों में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि मा0 नेता विरोधी दल हो सकता हैं अभी कोई सवाल पूछें, मैं उनसे एक जवाब चाहता हूं कि 2007 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मा0 नेता जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय इस योजना राजीव गांधी विद्युतीकरण की शुरूआत प्रथम फेज के अन्तर्गत हुई थी। वर्ष 2007 से पहले जितने गांव विद्युतीकृत हो गए, या जो गांव अधूरे रह गये थे लगातार 2007 से लेकर के वर्ष 2012 तक उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही। आपने एक भी गांव के काम को पूरा कराने का काम नहीं किया था। जितने भी गांव की शुरूआत उस समय हुई थी वे सारे-के-सारे गांव लगातार 5 साल अधूरे पड़े रहे,

उन गांवों के काम को पूरा कराने का काम नहीं किया। गांव में जब कोई ट्रान्सफार्मर जलता था, ट्यूबवेल का जब कोई ट्रान्सफार्मर जलता था, तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर 72 घण्टे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदलने का काम किया गया, केवल निर्देश देने का काम नहीं किया गया, बल्कि टेलीफोन पर जब किसान अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो 72 घण्टे के अन्दर उस गांव का ट्रान्सफार्मर बदलने का काम विभाग के द्वारा किया जाता है। आपकी सरकार थी, 72 घण्टे नहीं, 72 दिन बीत जाते थे और हो सकता है कि 72 महीने बीत जायें, ट्रान्सफार्मर बदलने का काम आपके द्वारा नहीं किया जाता था। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के काम के लिए जो एम0ओ0यू0 हमारी सरकार में किया गया था, आखिर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं पांच साल तक इस प्रदेश में सरकार चलाने का काम आपने किया था, कोई ऐसा प्लांट था कि जो एम0ओ0यू0 आपने किया हो, 5 साल में उस प्रोजेक्ट को पूरा करके विद्युत उत्पादन बढ़ाने का काम आपने किया हो। मा0 अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कटौती का सवाल उठता है, हम लोग जब आप भी वहां बैठते थे। हम लोग विद्युत समस्या को उठाने का काम करते थे। मैं तो यह भी कह सकता हूं दो-चार घटनायें हुई हो पूरे प्रदेश के अंदर कि बिजली कटौती के अंतर्गत कहीं आंदोलन हुआ हो लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी इस समय आंदोलन हुआ है, शायद वहां के नागरिकों के ऊपर, वहां के किसानों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने का काम नहीं किया गया होगा। आपकी जब इस प्रदेश में सरकार थी, अगर किसान निकलता था, अगर मजदूर निकलता था, अगर व्यापारी निकलता था कि विद्युत समस्या को हल करने का काम किया जाए तो मा0 अध्यक्ष जी उनके ऊपर लाठियां चलती थीं। मान्यवर, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है और भावी योजनाओं का जिक्र किया है वह सराहनीय कदम है और प्रदेश के किसानों के हित में है। उन्होंने जो खराब ट्रान्सफार्मरों को समयबद्ध ढंग से ठीक करने का आदेश दिया है, उससे आशा है कि बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से चल सकेगी। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है कि आज हमारे माननीय नेता सदन मुख्य मंत्री जी का जन्म दिन है। यह बहुत बड़ा दिवस है। मान्यवर, हमारे यहां अलीगढ़ में हरदुआगंज विद्युतगृह लगाने की बात हुई। मान्यवर, उसमें दो यूनिट लगीं। यह पूर्व में समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा प्रस्तावित की गयी थी और ब0स0पा0 सरकार के समय में उस पर कुछ काम हुआ। मान्यवर, उस समय बाइस सौ करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे जो बढ़कर 29 सौ करोड़ रुपये हो गये। लेकिन अभी तक वह नहीं चली। मान्यवर, उसमें एक पचास मेगावाट यूनिट की लगनी थी, उसके बाद वह 100 मेगावाट की हुई और उसमें 90 करोड़ रुपये खर्च हो गये। मान्यवर, उसमें चार प्रदूषण रहित यूनिट लगाने के लिए सत्रह-सत्रह करोड़ रुपये का पूरा का पूरा कमीशन खा लिया गया। वह संयंत्र अभी तक नहीं चले है। ऐसे ही पड़े हैं। मान्यवर, बिजली की अव्यवस्था को लेकर, आज पूरा प्रदेश बरबाद हो गया है। आप के सब अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सबसे बड़ी इकाई है 660 यूनिट की अगर यह चल जाती है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजली समस्या का निदान हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी आज आपका जन्म दिन है बहुत शुभ दिन है। इस शुभ दिन में घोषणा आप जरूर करें जिससे कि सारा सदन आपको धन्यवाद दे सके। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, आप खुले दिल से घोषणा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप माननीय नेता सदन से उम्र में बड़े हैं यह शोभा नहीं देता कि आप छोटे से तोहफा मांगें। पहले यह हो जाय कि सभी माननीय सदस्य कन्ट्रीब्यूट करके माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई तोहफा दें, फिर उसके बाद आप कुछ मांगें।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, मैं पैसठ साल उम्र का हूं जब बहुत ज्यादा किसी की उम्र हो जाती है तो छोटे की सहारे की आवश्यकता होती है और वह सहायता करने में सहायक होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं में सक्षम है और वह हमारी सहायता कर सकते हैं। मेंजों की थपथपाहट। आप कुछ जरूर घोषणा करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो मैंने उसे ध्यान से सुना। ऐसा लगा कि वह हमारी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को अपने खाते में डालना चाह रहे हैं। तो मान्यवर, यह बात किसी से सीखनी है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से अच्छे कोई अन्य माननीय नेता नहीं हो सकते हैं।

चाहे अनपरा सी रही हो, रोजा रही हो कोई भी प्लांट रहा हो यह सारा का सारा पिछली सरकारों में लगाया था और उसी का नतीजा था कि जब हम लोगों की पिछली सरकार थी 2007 के पहले उस समय उत्तर प्रदेश के गांवों को भी 22-22 घण्टे बिजली मिली और आपने स्वयं भी स्वीकार किया अपने भाषण में कि तमाम एमओयू और यहां तक कि टेण्डर की जो प्रक्रिया थी वह भी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी हुई थी जिसे आपने आगे आने पर जारी किया। हम लोगों ने तो विकास के लिए कार्य किया था।

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र के बारे में बोलें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, बस मैं एक बात को कहकर अपनी बात को खत्म कर रही हूं आप बता दें कि आपने कौन सा एमओयू साइन किया था कितने हजार करोड़ का किया था ? हां, यह जरूर हुआ था कि वह उत्तर प्रदेश, जहां पर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में 22-22 घण्टे बिजली थी और उधार के रूप में आपके ऊपर कोई देनदारी नहीं छोड़कर गये थे जब आप आये तो वह प्रदेश अंधेरे में डूबा था क्योंकि लोगों ने यह देखा कि वह आये बज्म में इतना तो मीर ने देखा आपकी सरकार का हाल बिजली के बारे में यह था कि -

वह आये बज्म में इतना तो मीर ने देखा
बस उसके बाद चरागों में रोशनी न रही।
बस उसके बाद चरागों में रोशनी न रही।।

कोई भी आपने नई इकाई लगाने का कार्य नहीं किया था। मैं एक बात कहती हूं कि जो इकाइयां स्थापित की गयी थीं पुरानी सरकार में उनका रख-रखाव भी आपने नहीं किया और यही कारण था कि चाहे वह अनपरा सी रही हो चाहे हरदुआगंज रही हो वह भी अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप नहीं चली। क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने अपनी सरकार में इन सबके ऊपर कितने हजार करोड़ रुपये खर्च किये थे। मान्यवर, वह अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाईं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें, नीरज कुशवाहा जी बोल रहे हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय नेता विरोधी दल से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, इस बिजली संकट को कम करने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, जो जर्जर लाइनों की बात आई है हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी जर्जर लाइनें हैं जहां लकड़ी के खम्भे लगाकर काम चलाया जा रहा है। ऐसी जर्जर लाइनों को ठीक करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान इस प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जर्जर लाइनों को ठीक करने का प्रयास किया जाय ताकि जो लाइन लासेस हो रहे हैं उसमें भी कमी हा सके, कटौती हो सके। मान्यवर, हमारा जलालाबाद क्षेत्र है, मैं शाहजहांपुर जनपद से आता हूं। वहां 11000 की लाइन में जो बिजली आती है उसको जब नापा जाता है तो वह 7000 का आता है इससे तो तमाम विद्युत उपकरण हैं वह चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस लाइन में जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी सरकार उसमें सुनिश्चित कराये। मान्यवर, बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया गया तमाम ऐसे गरीब परिवार जो यह समझ नहीं पाये कि यह कनेक्शन हमें मुफ्त में मिल रहा है हमको आगे इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा और उन्होंने कनेक्शन ले लिया। आज उनके पास बिजली के बिल आ रहे है वह ऐसे कमजोर लोग हैं जिनको एक बल्ब के लिए सप्लाई दी गयी थी, उनकी यह हैसियम नहीं है उनके पास ऐसी आमदनी नहीं है कि वह बिल जमा कर सकें। तमाम लोगों के पास सरकारी नोटिसें पहुंच गयीं रिकवरी आर0सी0 जारी हो गयी है मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और गरीबों के साथ जो इस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि उनको जब कनेक्शन दिया गया तो शायद उनको पूरी तरह से बताया नहीं गया कि उनको बिजली के बिल भी देने पड़ेंगे। ऐसे तमाम लोग आज परेशान हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजादी के 67 सालों में, आजादी के 67 साल बीत रहे हैं और इन 67 सालों में हमारे प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकता है हर आदमी की बिजली, वह सही नहीं मिल पा रही है। जो सुदूर क्षेत्र के गांव हैं जहां पर आज तक लाइन पहुंची नहीं है और तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर आबादी बढ़ रही है और जो विद्युत व्यवस्था पहले की गयी थी वह वही की वही है जिससे तमाम गांव ऐसे हैं जहां आधे गांव में बिजली है आधे गांव में नहीं है।

यह सारे जो जमीनी हकीकत के काम हैं, इन पर सरकार अमल करे, सरकार इन पर ध्यान दे, तभी सही मायने में बिजली की व्यवस्था को सुधारने में सरकार काम कर पायेगी। अंत में एक बात

रखते हुये मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मान्यवर, जो रोस्टर लागू किया गया है, उस रोस्टर के टाइमटेबिल के अनुसार जब बिजली की सप्लाई होती है तो अधिकतर फाल्ट हो जाता है और हमारे यहां जलालाबाद तहसील में, जो नगरपालिका भी है, 30-30 घन्टे बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब भी जानकारी करो तो मालूम होता है कि फाल्ट है। ऐसे में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जो रोस्टर है, उस रोस्टर के मुताबिक बिजली अवश्य मिले अगर यह सुनिश्चित सरकार करा देगी तो मैं समझता हूं कि हम इसके लिये सरकार को धन्यवाद देंगे। मान्यवर, अंत में, चूंकि आज माननीय मुख्य मंत्री जी का जन्मदिन है तो मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और आज जैसा कि नेता लोकदल जी ने अपेक्षा की है, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत दिनों से गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, कुछ गांवों की यहां सारे सदस्यों के लिये घोषणा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय मंत्री शिवपाल जी ने जो ऊर्जा विभाग का बजट रखा है, आपने मुझे उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

3 मिनट का समय है, अपने क्षेत्र का बोलना। व्यापक बोलने के लिये माननीय मंत्री जी हैं। आप मौर्य जी का जवाब मत दीजियेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे विपक्षी दल के नेता कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे थे मैं बहुत ज्यादा उस पर समय न लेते हुये, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इससे पिछली सरकार में जब माननीय नेता जी मुख्य मंत्री थे तो जितनी भी योजनायें शुरू कीं, वह माननीय नेता जी ने की और उसका श्रेय आज सदन में किस तरह नेता प्रतिपक्ष ने अपने सदस्य को और अपनी पार्टी को देने की कोशिश की, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि.....

श्री अध्यक्ष-

फिर आप उन्हीं की बात का जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी उनकी बात का जवाब देने में सक्षम हैं। आप अपने क्षेत्र की बात रखिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

अभी-अभी आपने कहा था कि हम लोग 2016-2017 तक पूरे प्रदेश को 24 घन्टे बिजली देने का काम करेंगे तो माननीय नेताजी ने जो कहा था वह उन्होंने करके दिखाने की कोशिश की। उन्होंने जो रिलायंस प्रोजेक्ट लगाने की बात की थी अगर गैस उस समय मिल गयी होती तो आज उत्तर प्रदेश को 24 घन्टे बिजली मिल रही होती। हमारी सरकार में जितनी योजनायें शुरू की गयी हैं जैसे गांव देहात के लिये अलग फीडर, शहर के लिये अलग फीडर जिससे कि सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत मिल सके, अत्यन्त सराहनीय है। एक सुझाव मैं अपने क्षेत्र के लिये भी देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में गांव के ऊपर से बहुत सारी विद्युत लाइनें गुजरती हैं जिससे आये दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, इन लाइनों को ठीक कराया जाय।

(श्रीमती सीमा का नाम पुकारे जाने एवं माननीय सदस्य श्री जाहिद बेग द्वारा बीच में ही अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठो न। न आपका कुछ सुना जा रहा है, न आपका समझ में आ रहा है, पता नहीं आप क्या बोल रहे है। आप क्या बोल रहे है ? इनका कोई लिखा नहीं जायेगा। आप बैठिये न। आप का कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप बैठिये। सीमा जी, आप अपनी बात रखिये।

श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आज उस विषय का बजट है जो आती कम है जाती ज्यादा है। अध्यक्ष जी, आज पूरा प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी यह कहती थी कि हम 2012-13 में बिजली देंगे और आज समाजवादी पार्टी की सरकार है तो यह कहती है कि हम 2015-16 में 24 घण्टे लाइट देंगे। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि जब आपका कार्यकाल होता है तब आप क्यों नहीं देते आगे की बात क्यों करते हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि हम 2012-13 में लाइट देंगे। मान्यवर, ये तो वापस नहीं आये लेकिन मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि अगर आप अभी लाइट की व्यवस्था कर देते हैं तो कम से कम पब्लिक यह नहीं कहेगी कि आपने चुनाव के मद्देनजर आपने लाइन देने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी आप तीन मिनट में हमारी समय-सीमा समाप्त कर देंगे इसलिए हम दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने 72 घण्टे में ट्रान्सफार्मर बदलने का काम किया और सरकारी खर्चे पर बदलने का काम किया। लेकिन मैं मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि इसकी मॉनीटरिंग करना बहुत जरूरी है। आप कोई वेबसाइट बना दीजिए आप इसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर दीजिए वह देखे कि सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है उसका अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बजट भाषण को पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे पैसे आये हैं नये पॉवर प्रोजेक्ट के लिए। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में उकनी में, मुगराबादशाहपुर में एक पॉवरहाउस बन रहा है वह 75 प्रतिशत बनकर तैयार है खाली 25 प्रतिशत न बनने के कारण वह पॉवरहाउस चल नहीं रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप नये पॉवरहाउस दें लेकिन मेरा सुझाव है कि जो आपके पुराने काम हैं जो आपके पुराने अधूरे काम हैं उनको प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी मा0 मुख्य मंत्री जी से कि हमारे विधान सभा मुगराबादशाहपुर में, आपको याद होगा मैं चार दिन पहले आपके कार्यालय में गई थी, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे आप 12 घण्टे ही लाइट दें लेकिन दो शिड्यूल में दें और उसका टाइम निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती सीमा-

मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें। हमारे यहां लाइट रात में ढ़ाई बजे आती है और सवेरे 8 बजे चली जाती है, भोर में चार बजे लाइट आती है और प्रातः आठ बजे लाइट चली जाती है। मा0 मुख्य मंत्री जी, मैं चाहती हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लाइट दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त।

(सदस्या श्रीमती सीमा के बोलते रहने और सदस्य श्री जमीर उल्लाह खां के द्वारा भाषण प्रारम्भ करने पर)

श्री जमीर उल्लाह खां-

मान्यवर, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सुझाव है क्योंकि कटिया जो करते हैं वह गरीब लोग होते हैं मालदार तो करते नहीं हैं। इसलिए छोटा सा काम कर दें कि या तो समन शुल्क ले लें या जुर्माना कर दें, दो में से एक कर दें। मा0 मुख्य मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है कि कटिया बहुत गरीब लोग करते हैं और यह गरीबों की सरकार है इसलिए या तो समन शुल्क ले लें या जुर्माना कर दें, दो में से एक कर दें।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य नहीं बोल पा रहे हैं वह लिख करके दे दें, मैं प्रोसीडिंग्स में लिखवा दूंगा।

श्री सत्यदेव पचौरी-

मा0 अध्यक्ष जी, अनुदान सं0-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर बोलिये, क्या आप कटौती रख रहे हैं।

श्री सत्यदेव पचौरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 6143 मेगावाट की इंस्टाल कैपेसिटी है और उत्पादन हो रहा है 2911 मेगावाट। यानी कि लोड फैक्टर 50 परसेंट है वहीं जो एन0टी0पी0पी0 से मिले हैं उनका लोड फैक्टर है 85 से 90 परसेंट। अभी माननीय मौर्या जी ने बताया एक इकाई जो प्राईवेट सेक्टर में है उसका लोड फैक्टर 95 प्रतिशत है। यानि उत्तर प्रदेश घाटे में है, क्यों घाटे में है ? विद्युत उत्पादन निगम फायदे में है, उत्तर प्रदेश जल उत्पादन निगम फायदे में है लेकिन उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन घाटे में है, इस उ0प्र0 उत्पादन निगम का उ0प्र0 पावर कारपोरेशन यह उ0प्र0 उत्पादन निगम का 5500 करोड़ बकाया है दे नहीं रहे हैं। मशीनों की मरम्मत नहीं हो रही है उसके कारण उत्पादन 50 प्रतिशत है। आप बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, अपनी बिजली दे रहे हैं 3.53 पैसे में और बाहर से 6.87 पैसे में खरीद रहे हैं। आपको घाटा हो रहा है, घाटा होगा जब आप मंहगी बिजली खरीदेंगे, सस्ती बेचेंगे तो घाटा होगा ही। लाइन-लॉसेस भी एक कारण है आपके घाटे का, 37 से 42 प्रतिशत लाइन लॉसेस हैं उसमें बिजली चोरी भी है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री सत्यदेव पचौरी-

मान्यवर, सुन लीजिए। जब वर्ष 2000 में आपने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का विघटन किया था और उसके तीन भाग किये थे तो आपने कहा था कि 12 प्रतिशत लाइन-लॉस होगा लेकिन

12 प्रतिशत की जगह लाइन-लॉस आज 42 प्रतिशत है, इस पर विचार करना चाहिए। आज अधिकारी बेलगाम हैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कई विभागों का भार है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, आपकी बात आ गयी।

श्री सत्यदेव पचौरी-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो परियोजनायें बतायी हैं उनमें आधे से अधिक ऐसी परियोजनायें हैं जो अभी निकट भविष्य में चालू नहीं होने वाली हैं। आपकी बेवसाइट पर मैंने कल ही देखा है आपकी बैलेन्स शीट वर्ष 2010 के बाद की नहीं लगी हुई है। अगर विद्युत उत्पादन निगम फायदे में है तो यह पॉवर कारपोरेशन क्यों घाटे में है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका टाइम खत्म हो गया, अब बैठ जाइये। अब लिखा नहीं जायेगा।

श्री सत्यदेव पचौरी-

[x x x x x]

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग लिखकर दे दीजिए उसको कार्यवाही में जुड़वा दिया जायेगा। सत्यवीर मुन्ना जी, बैठिये आप कई बार बोल चुके हो। डा0 साहब ये 80 में से दो लोग बोले हैं और कितना बोलोगे। मैं कल से सदस्य संख्या के हिसाब से जैसे पार्लियामेण्ट में है समय निर्धारित कर दूंगा उसमें चाहे 04 बोलो, चाहे 05 बोलो और बवाल खत्म हो जायेगा।

डा0 अयूब साहब अकेले पड़ गये हैं उनको भी सुन लेते हैं। डा0 अयूब साहब आप बोलिये लेकिन केवल तीन मिनट का समय है।

डा0 मो0 अयूब-

अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सामाजिक न्याय और साम्प्रदाचिक न्याय के प्रति अपनी मंशा जाहिर की है इसका फायदा जनता को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बिजली पर बोलो।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए बिजली उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी आबादी दस्तकारों की और बुनकरों की है और इनकी पूरी रोजी-रोटी इसी बिजली पर निर्भर है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनको अलग फीडर से जब तक बिजली नहीं

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दी जायेगी, 6 घण्टे, 8 घण्टे बिजली रूरल एरिया में मिलती है तो उनकी रोजी-रोटी नहीं चलती, वह भुखमरी के शिकार हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनको अलग से फीडर दिया जाए और जिन बुनकरों का रेट फिक्स हो गया है माहवारी हो गया है अगर उन्हें पूरे 24 घण्टे बिजली नहीं मिलती है तो उन्हें जितनी बिजली मिलती है उसके आधार पर उनको जो फिक्स रेट है उसको कम कर दिया जाय चूंकि वह सबसे गरीब हैं इसलिए उनको किसानों की तरह बिजली दर की जाय। दूसरा मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं हमने 2012 में अपने विधायक निधि से एक करोड़ 18 लाख हमने विधायक निधि से 77 गांवों को ट्रांसफार्मर, पोल और तार लगाने के लिए दिया है 6 से 8 महीने बाद ट्रांसफार्मर और पोल लगाना खलीलाबाद विधान सभा में शुरू हुआ है आज करीब-करीब दो साल हो गए अभी तक पूरे ट्रांसफार्मर और पोल नहीं लग पाए हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह लग जाएं तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं वह ट्रांसफार्मर कम क्षमता के होने के कारण फुंक रहे हैं जब वह ट्रांसफार्मर फुंक रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो वह ट्रांसफार्मर लगाए नहीं जा रहे हैं उनमें कम से कम एक महीने का एवरेज समय लगता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका समय हो गया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अध्यक्ष जी, अभी एक कांग्रेस के सदस्य को और बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने मंत्री जो को बुला लिया है।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मुझे दो मिनट का अवसर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य नहीं बोल पाए हैं वह लिखकर दे दें हम उसे कार्यवाही में लिखवा देंगे। शेरू भैय्या आप बाद में स्पष्टीकरण पूछ लेना। विश्नोई जी बैठ जाएं आप इसके पहले किसी बजट पर बोले हैं। आपके कई सदस्य बोले कई और बजट है प्रदीप चौधरी जी बैठ जाएं। मंत्री जी आप अपनी बात रखें अन्य सदस्य जो बोल रहे हैं उनकी बात लिखी नहीं जाएगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने कटौती प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें कही थीं जिनका कोई आधार नहीं था। इनकी सरकार ने एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया था। अम्बेडकर गांवों के अलावा एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया था। हमारी सरकार ने पिछली बार 27 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 22 जनपदों की योजना भेजी गई है। उनकी कार्यों की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त 20 जनपदों में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 34 हजार

गैर विद्युतीकृत मजरे थे उनमें विद्युतीकरण के लिए लगभग 7,282 करोड़ की योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दी गई है। यह 1 लाख 34 हजार मजरों का विद्युतीकरण मौर्या जी शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा। आपकी सरकार ने तो एक भी गांव में विद्युतीकरण नहीं किया था। इतने जो विधायक हैं एक भी विधायक को आपने 5 साल के अन्दर एक भी गांव विद्युतीकरण नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया और 2013-2014 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध नहीं हुई। वास्तविकता यह है 1,182 करोड अमुक्त हुए थे और जहां तक उद्योगों में जहां सतत् फीडर है कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही है। वहां 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। यह व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित कर दी है और सही बात तो यह है कि हम लोगों की सरकार में जो एम0ओ0यू0 हुए थे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का 12-1-2006 में हुआ था और यह तैयार हो जाना चाहिए था 2008-2009 में और इसके जुलाई, 2014 तक तैयार होने की सम्भावना है। इसमें आपने काम ही नहीं किया। काम करना चाहिए था, नहीं किया। किया होता तो बिजली का संकट नहीं होता। विष्णु प्रयाग में जो एम0ओ0यू0 हुआ था 22-3-2003 में। यह भी तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन इस पर भी बहुत धीरे काम किया। कहीं-कहीं कभी काम किया भी नहीं। रोज़ा ताप विद्युत परियोजना में भी बहुत धीमा काम किया था। आपकी सरकार में एक तो चिमनी काम करते ही गिर गई थी पारीक्षा में। बड़ी वाली जो चिमनी थी, वह कैसे गिरी थी बताइये। गिरना नहीं चाहिए था। यह कारण हैं जिसकी वजह से बिजली में दिक्कत है। बहुत स्लो काम किया जबकि बहुत तेजी से बिजली पर काम करना चाहिए था। हमारी सरकार तो बहुत तेजी से काम कर रही है। हरदुआगंज का जेनरेटर खराब। इसका जब हमने एम0ओ0यू0 किया था दिसम्बर, 2005 में तब यह 1800 करोड़ रुपये का था फिर 2200 का हुआ फिर 2900 करोड़ का हुआ। इसमें काम भी नहीं हुआ और जेनरेटर भी खराब कर दिया। इसकी वजह से दिक्कत हो गई। इसी तरीके से पारीक्षा में भी दिसम्बर, 2005 में स्वीकृत हो गई थी और बताइये अब तैयार हुआ 2013 में। तैयार होना चाहिए था 2008-2009 में। थोड़ा सा काम बचा था लेकिन नहीं किया गया। तो यह सब कारण रहे, इसकी वजह से दिक्कतें रहीं विद्युत में। हम तो बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री जी ने तय किया है कि 2016-2017 में गांव 18 और शहरों को 24 घण्टे बिजली दी जायेगी। (मेजें थपथपाई गई) बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब तो आपको कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए। अगर कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे तो और तेजी से काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तो यह सब काम बिजली का है जो बताया महंगी बिजली और यह वास्तविकता यह है कि 450 मेगावाट बिजली क्रय दर अधिकतम है। इसलिए नेता विरोधी दल, कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और हम लोग बहुत तेजी के साथ काम करेंगे। हमारी सरकार बिजली के प्रति बहुत संवेदनशील है। बहुत तेजी के साथ मुख्य मंत्री जी काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती के लिए जो पूरी जनता पेरशान है, आप लोग भी परेशान हैं, उसे बहुत जल्दी दूर करेंगे। इसलिए आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और बजट को पास करायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कटौती प्रस्ताव वापस लेने के लिए बात की, लेकिन मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि हमारी सरकार में

विधायकों को एक भी बिजली के लिए गांव नहीं दिये गये तो हमने नहीं दिया तो आपने कहां दिया ? आप दे दें, एक चीज। दूसरी चीज मा0 मंत्री जी के संज्ञान लाना चाहता हूं, चूंकि विभाग मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है, अभी तक विधायक निधि से विद्युतीकरण कराये जाने के लिए कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता था लेकिन बिजली विभाग ने विधायक निधि से भी 01 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए सरचार्ज लगा दिया तो मैं चाहूंगा कि आप इसका संज्ञान ले लें और इस प्रकार की जो पहली शुरुआत हुई है, इस पर विराम लगना चाहिए। तीसरी बात, मैं मा0 मंत्री जी की बात हूबहू मान लेता, लेकिन मान्यवर, विभाग मुख्य मंत्री जी के पास, बजट मा0 मंत्री जी के पास, अब अगर पूरा विभाग आपके पास आ जाता तो मैं कटौती अभी वापस ले लेता। लेकिन यह मामला उधार का है, आप कहें कुछ और मुख्य मंत्री जी करें कुछ, तो हम तो रहे न इधर के, न रहे उधर के। इसलिए जवाबदेही हमारी खत्म। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से अब भी कह रहा हूं, पूरे प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त कर दें, हम भी इस बजट को कटौती मुक्त कर देंगे। लेकिन ये बिजली कटौती मुक्त प्रदेश को नहीं का पर रहे हैं इसलिए मैं भी इस बजट को कटौती मुक्त नहीं करूंगा और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नेता विरोधी दल, हम लोगों में कुछ बंटा नहीं है। इसलिए आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,79,97,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[05.16] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान की मागों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-60-वन विभाग

आबकारी मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,55,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी वन विभाग का बजट भी रख दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,47,91,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। यह मादक वस्तुओं अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति है। तद्नुसार विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। यह कार्य शीरा एवं अल्कोहल के उत्पादन एवं उपयुक्त वितरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की दुकानों का व्यवस्थापन एवं मादक पदार्थों की अवैध बिक्री/मद्य-निष्कर्षण की रोकथाम करना विभाग का प्रमुख कार्य है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 12500 करोड़ निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष मार्च, 2014 तक 11644.05 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आबकारी शुल्क से रुपया 14 हजार 500 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो मान्यवर, यह विभाग महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करता है और इसमें केवल 166 करोड़ 21 लाख 55 हजार केवल इसमें रखा गया है। बजट मांगा गया है और इसका लक्ष्य 14 हजार 500 करोड़ अर्जित करने का है। तो मान्यवर, यह राजस्व देने वाला विभाग है। जिससे प्रदेश के विकास में बहुत तेजी से जहां पर पूरे प्रदेश में विकास करना है तो यह बहुत महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है।

श्री अध्यक्ष-

वन पर भी कुछ कह दीजिए तो दोनों का एक साथ प्रस्ताव पेश कर देंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वन विभाग में राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित वृक्षारोपण की मुख्य योजना है। प्रदेश के समस्त जनपदों में विभिन्न प्रकार की सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 812.71 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 812.71 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि में शोभाकार व छायादार वृक्षों का रोपण इस योजना में किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में रु0 150.00 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 150.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। हरित पट्टी विकास योजना में मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता में हरित पट्टी विकास योजना है। इस येजना के अन्तर्गत 8 से 12 फीट के पौधों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2013-14 में रु0 1068.61 लाख व्यय किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश में यह

योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 913.14 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। जनपद मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज तथा बदायूं को पूर्ण रूप से हराभरा करने के लिए टोटल फारेस्ट कवर योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की जा रही है जिसमें दो हजार लाख आय-व्ययक प्रस्तावित है, वनावरण संवर्द्धन परियोजना में वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपद आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बांदा, कानपुर नगर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ में नाबार्ड के सहयोग से वृक्षा रोपण की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 200.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। नेशनल प्लान फॉर कन्जरवेशन ऑफ एक्वेटिक ईको सिस्टम इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्रकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेण्ट, शोध स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना है। वर्ष 2013-14 में रु0 220.05 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 09.00 लाख आय-व्यय प्रस्तावित है। चिड़िया घर की स्थापना-वन्य जीवों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 500.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2014-15 के लिए रु0 500.00 लाख का प्रस्ताव है। ईको पर्यटन विकास योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जहां प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वन एवं वन्य जीव उपलब्ध हैं, परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 2013-14 में रु0 438.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 200 लाख का आय-व्यय प्रस्तावित है। दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में रु0 400.00 लाख रुपये व्यय किया गया है, वर्ष 2014-15 हेतु रु0 154. 88 लाख आय-व्यय प्रस्तावित है। लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज एवं नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में ईको पर्यटन विकास की योजना के अन्तर्गत लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज एवं नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में पर्यटकों को उच्चीकृत ईको-फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षित होगा और पर्यटन अनुभव अच्छा होगा। वर्ष 2013-14 में लखनऊ प्राणि उद्यान में पुरानी बाल रेल के स्थान पर नयी बाल रेल की स्थापना तथा लखनऊ प्राणि उद्यान का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा पुरानी बाल रेल के स्थान पर नई बाल रेल की स्थापना की गई है। वर्ष 2013-14 में रु0 2015.97 लाख व्यय किया गया है, वर्ष 2014-15 हेतु रु0 341.77 लाख का आय-व्यय प्रस्तावित है। संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन, उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवों की अधिकता है, के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास का समुचित विकास करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से मानव, वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में रु0 40.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 में रु0 40.00 लाख आय-व्यय प्रस्तावित है। जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर, रघुपुर में वन्य जीव संरक्षण हेतु आवश्यक कार्य कराने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 12.51 लाख का आय-व्यय प्रस्तावित है। सारनाथ-वाराणसी में सिंचाई विभाग की भूमि, वन विभाग को

हस्तांतरित करने हेतु नई योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए 2014-15 में रु0 2530.40 लाख का आय-व्यय प्रस्तावित है। समान पक्षी विहार में भूमि का प्रतिकर, समान पक्षी विहार में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान करने के लिये वर्ष 2014-15 में रु0 124.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। वर्ष 2013-14 में 2002.70 लाख व्यय किया गया है। इस योजना में रु0 1979.35 लाख आय-व्ययक प्रस्तावित है। वन सम्बन्धी शोध कार्य एवं प्रसार में विभागीय वृक्षारोपण, अन्य एजेंसियों अथवा निजी भूमि पर कृषकों द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिये आवश्यक है कि उच्च गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध हो। उच्च गुणवत्तायुक्त पौध तैयार करने के लिये चयनित बीज स्रोतों से ही बीज आपूर्ति का विशेष महत्व है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में रु0 46.00 लाख व्यय किया जाता है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 46.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। वीर अब्दुल हमीद वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना में वृक्षारोपण बढ़ाने, अन्य जीवों तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशंसनीय कार्य करने वाले व्यक्ति/संगठन को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2014-15 हेतु 4.40 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। वन महोत्सव का आयोजन, वन तथा वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 20.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2014-15 हेतु रु0 20.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है। ताजगंज वन विश्राम गृह, आगरा एवं उसके परिसर का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण की योजना, ताजगंज वन विश्राम गृह के जीर्णोद्धार हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2013-14 में रु0 9.21 लाख व्यय किया गया है, वर्ष 2014-15 हेतु रु0 0.02 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, ये तो जो आपने परफार्मेन्स बजट दिया होगा, किताबों का उसमें तो यह सब होगा ही। कोई नयी योजना अगर आप चला रहे हैं तो उसके बारे में बता दीजिये। ये सब तो उस किताब में होगा ही।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में कभी इतना जितना एरिया था लाखों एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण हुआ है आगे भी होना है। इतना कभी नहीं हुआ और सभी जितने भी पेड़ थे, इतने पेड़ कभी नहीं लगाये गये और आगे भी लगाना है जिससे पर्यावरण और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश हरा-भरा दिखाई दे और वातावरण भी अच्छा हो, पर्यावरण भी अच्छा हो और इसलिये पूरे उत्तर प्रदेश में 2013-14 में इतने पेड़ लगे हैं, लाखों एकड़ जमीन पर कभी इतना पेड़ नहीं लगा है। आगे भी इसी तरह से जितनी भी खाली जमीन पड़ी है, चाहे नहरें हों, चाहे खाली जमीन हो उस पर पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों पेड़ लगाये गये हैं इसलिये ये जो बजट हमने प्रस्तुत किये हैं। आबकारी विभाग और यह जो वन विभाग का बजट उसे सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आबकारी विभाग और दूसरा है मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध विभाग कहता है, बसों पर स्लोगन्स लिखे गये हैं इस पीढ़ी को नशे से बचाओ, अगली पीढ़ी को सुरक्षित बनाओ। मगर मान्यवर, ये नारा कहीं जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आबकारी विभाग प्रदेश को सबसे ज्यादा आय देने वाला विभाग है दूसरे नम्बर पर और इसमें खर्चा भी बहुत कम है। देखा जाता है कि जब कोई ऐसी आवश्यक वस्तु चाहे वह बिजली हो या अन्य हो जब उसके दाम बढ़ते हैं तो बहुत शोर-शराबा होता है और शराब के दाम कब बढ़ते हैं पता ही नहीं चल पाता मेरा आपके माध्यम से इस कटौती के प्रस्ताव पर सरकार को सुझाव है कि हमारे यहां मदिरा को, सिगरेट को, तम्बाकू को, गांजा को, भांग को सामाजिक तौर पर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जाता है, जब यह आमदनी वाला विभाग है और मेरे पास जो आंकड़े आए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004-05 और वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत जो विदेशी शराब की बिक्री हुई है उसमें वृद्धि हुई है 129.16 परसेन्ट, देशी शराब की बिक्री की जो बोतलें हैं, उनकी बिक्री में 299.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बियर की बिक्री में 328.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है रुपये में, उसकी वृद्धि मात्र 45.68 की हुई है और जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन है, उसकी जो वृद्धि है वह 70.55 की है। मान्यवर, इससे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में अगर शराब के दामों को और बढ़ा दिया जाये, तो उसमें शायद कहीं कोई विरोध नहीं होगा और हमारे क्षेत्र में अक्सर यह सुनने में आता है कि कच्ची शराब बनाने में कमजोरों को पकड़ लिया गया और तमाम ऐसे ठेकेदार भी हैं, जो आबकारी विभाग से मिलकर, पुलिस विभाग से मिलकर, शराब की भट्टियां चलवा के अपनी पैकिंग कराकर उसको बाजार में बेचते हैं, उन पर कभी हाथ नहीं डालता आबकारी विभाग तो मान्यवर, चूंकि कच्ची शराब में कोई रोक लगा नहीं पायी सरकार आज तक और गांव के जो कमजोर लोग हैं। एक गांव में गया था, वहां की महिलायें भी शराब के कारोबार में सम्मिलित थीं, मैंने उन लोगों को बुलाकर बात की कि आज नरेगा चल रही है, मजदूरी है आप इसमें आइये क्योंकि जब आप पकड़े जाते हैं तो मेरे पास दौड़े आते हैं, मुझे फोन करते है, लेकिन मान्यवर, चूंकि उसमें तमाम ऐसे लोग थे, जो असहाय ऐसे थे कि अब हम लोगों ने जिन्दगी भर से यही काम किया है दूसरा कोई काम कर नहीं पायेंगे। मान्यवर, यह बड़ा दुःखद है, लेकिन अगर सरकार की कोई ऐसी नीति बने, जिसमें वहां पर जो गांवों में इस तरह का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको भी कोई लाइसेंस अगर निर्गत कर दिया जाये तो शायद उन लोगों को भी अपना जीवन-यापन करने का कभी मौका मिलेगा और उनके साथ जो ज्यादती होती है वह नहीं हो पायेगी। मान्यवर, वर्ष 2012-13 का जो बजट प्राविधान किया गया था, वह वर्ष 2013-14 में किन्हीं कारणों से पता नहीं सरकार ने किन कारणों से कम कर दिया है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है। मान्यवर, चूंकि यह एक ऐसा विभाग है जिससे प्रदेश की सरकार को बड़े पैमाने पर आय हो रही है, लेकिन जो तमाम हमारे लगे हुए प्रदेश है, वहां पर कीमतों का कम-ज्यादा होना यहां से उसकी वजह से तस्करी का काम भी बहुत होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार को जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके साथ तालमेल करके ऐसी स्थिति लाए कि दोनों का रेट बराबर हो, जिससे कि जो तस्करी हो रही है, वह हमारे प्रदेश में न आने पाये। ये सरकार अगर प्रयास करेगी तो तभी संभव होगा, क्योंकि मैं यहां कई वर्षों से देख रहा हूं कि जब भी आबकारी का विभाग आता है तो उसको, मैंने पिछले कई रिकार्ड भी देखे।

मान्यवर, जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं कैसे इस विभाग के माध्यम से प्रदेश के राजस्व आमदनी को बढ़ाया जाय। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले मैं लन्दन गया था। वहां मंत्री जी से भी मुलाकात हो गयी थी। मैंने कुछ लोगों से जो मेरे मिलने-जुलने वाले थे, उनसे मैंने पूछा कि लन्दन की इतनी आमदनी कैसे होती है तो वहां पता चला कि सिगरेट जो है सबसे बड़ा आय का साधन है। उस पर तीन सौ, चार सौ प्रतिशत टैक्स लगता है। तो मान्यवर, इसी तरीके से जो हमारे यहां सिगरेट, गांजा, तम्बाकू है इसमें वैट आदि लगाकर टैक्स बढ़ाया जाय और सरकार की आमदनी को बढ़ाया जाय। मान्यवर, जो यह आंकड़े हैं इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यह प्रदेश के विकास में काम नहीं आयेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या 11 (9) पर कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए श्री महावीर सिंह राणा जी को बुला रहा हूं।

श्री महावीर सिंह राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, जो प्रदेश में दो करोड़ चालीस लाख नौ सो अठाइस वर्ग किलोमीटर वन-क्षेत्र है। यह हमारे कुल वन-क्षेत्रफल का 9.1 प्रतिशत है। मान्यवर, जो आज बजट आया है। उसमें सभी जगह धन का आवंटन अच्छा किया गया है ताकि प्रदेश में वन बढ़े। मान्यवर, जब हरियाणा अलग हुआ था तो वहां 3.1 वन क्षेत्र था, उन्होंने किसान फारेस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया। किसानों को पेड़ लगाने के लिए उन्होंने लोन दिया, छूट दी और उससे कृषि की फारेस्ट्री बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गयी। मान्यवर, आज टोटल 21 प्रतिशत वन हरियाणा में है। मान्यवर, किसान अपने खेतों में पेड़ लगाना चाहता है। इमारती पेड़ लगाता है उसको काटने की वन विभाग द्वारा परमीशन मुक्त कर दी जाय ताकि किसान जो अपने खेत में पेड़ लगाये उसको परमशीन की जरूरत न हो। जो 300 रुपये प्रति पेड़ किसान से परमीशन के रूप में लिया जाता है वह न हो। जो ट्रांजक्शन फीस है 36 रुपया टन वह भी माननीय मंत्री जी को किसानों के लिए फ्री कर देना चाहिए। पिछले वर्ष विधान सभा सत्र में भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था और उन्होंने इसका वादा किया था कि यह हटा दिया जायेगा, उस पर अमल हो। बागवान की फारेस्ट्री किसानों को अनुसंधान केन्द्र उस पर बजट बहुत कम रखा गया है। जो वन विभाग की सड़कें हैं पुरानी बनी हुई उनके रख-रखाव के लिए भी बजट कम है। यह बजट का प्राविधान हो जाय, अनुसंधान वन विभाग में बढ़ जाय। उसका जो बजट है वह 2012-13 के बराबर ही है। इसको और भी आज बढ़ाने की जरूरत है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सफेदा, सागौन, जामुन, जमोया, अमरूद, आंवला, खैर और फलदार इमारती लकड़ियां जो किसान अपने खेतों में पैदा करता है उसका चालीस प्रतिशत पैसा दूसरे विभागों में रिश्वत के रूप में चला जाता है। पुलिस विभाग दूसरे काम छोड़ देते हैं दूसरे अपराधियों को छोड़ देते है और वह किसान की ट्रालियों के पीछे लग जाते है। किसान समझदार है किस समय उसको अपना पेड़ काटना चाहिए, वह

लड़की की शादी में, कर्ज में मकान बनाने के लिए, बच्चे को रोजगार देने के लिए उस समय अपने वन खेत को बेंचता है, उसका आधा पैसा बरबाद हो जाता है। मान्यवर, किसान के ऊपर जो परमीशन का बोझ है वह हटा दिया जाय। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बजट का बहुत कम पैसा गया है। सहारनपुर जनपद में मुख्य मेरी विधान सभा क्षेत्र बेहट में तीन तरफ से हरियाणा, हिमांचल और उत्तरांचल लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी भी स्वयं गये है। जब हम उत्तरांचल में पहुंचते है तो वहां के पेड़ों का रख-रखाव, रोड का रख-रखाव बहुत अच्छा है। यदि हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते है तीन प्रदेशों के लोग तो उसी तरह के हमारे पेड़, हमारे रोडें और उसी तरह की व्यवस्था हमारे सहारनपुर जनपद में भी हों। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पापुलर एक किसान की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे सहारनपुर मण्डल में 86 हजार सात सौ तिरसठ ट्राली इस बार यमुना नगर गयी। वहां पर लगभग साढ़े तीन हजार फैक्ट्रियां प्लाईवुड की चल रही है जिस पर हमारे प्रदेश में रोक है। यदि यह फैक्ट्रियां लग जायें, हमारी परमीशन हट जाये, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर केस चल है उसमें प्रभावी पैरवी करके उस केस को समाप्त कराया जाये और हमारे यहां प्लाईवुड की फैक्ट्रियां लगवायी जायें तो उससे लाखों लोगों को रोजगार सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। जिस पर हमारे प्रदेश में रोक है यदि वह फैक्ट्रियां लग जायें, हमारी परमीशन हट जायें जो सुप्रीमकोर्ट के अन्दर केस चल रहा है तो उससे लाखों लोगों को रोजगार सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस बजट प्रस्ताव में इन सब बातों को प्लस कर लिया जाय। जब सहारनपुर जनपद में देहरादून तहसील होता था 1938 से पहले हरिद्वार रुड़की होता था, सहारनपुर जनपद में आज सारा पर्यटन और सब सहारनपुर के लोग वहां जाते हैं। सहारनपुर में कहीं एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति अपने बच्चों को ले जाये। माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी योजनायें 38 योजनाओं को पैसा दिया है, उद्यान केन्द्र को दिया है तो शकुम्भरी क्षेत्र के पास एक बड़ा मैदान है वन विभाग का, जो 37 कि0मी0 लम्बी पट्टी है। मैं चाहता हूं कि वहां प्राणि उद्यान चिड़ियाघर बन जाय ताकि आस-पास के लोग वहां आ जायं। मैं इसी के साथ अपने कटौती प्रस्ताव को रखता हूं कि इसमें सुधार हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समस्त अधिकार प्राप्त हो।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आबकारी विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आबकारी विभाग में आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा आबकारी विभाग के मंत्री और सरकार के द्वारा जिस तरह से लूट-खसोट होती थी उस लूट-खसोट को खत्म करने के लिए जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने जो ठेकेदारी चली थी, जो एक ही व्यक्ति पूरे प्रदेश में शासन-प्रशासन चलाकर पैसा लूटता था उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो इसके माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी थे उन्होंने जनता के हक में और लोगों को रोजगार देने के हक में काम किया और उन्होंने एक लाटरी के सिस्टम से पूरे प्रदेश में प्रति व्यक्ति एक लाटरी में नाम हो और उसका एक ऐसा आकार दे दिया जिससे लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिलती रहे लेकिन जब तक यह सरकार रही बहुत ठीक चलता रहा इसके बाद समाजवादी की सरकार आई तब भी बहुत ठीक चल रहा था लेकिन जैसे ही बसपा सरकार

आई मान्यवर, उस समय एक ऐसा व्यक्ति आया जो आज दुनिया में नहीं है ऊपर चला गया वह [x x x] नाम था उस व्यक्ति का उसने इस सरकार के मंत्री और सरकार को खरीद लिया और आबकारी विभाग में इतना किया कि उसने प्रति व्यक्ति प्रति बोतल पर.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए यह नाम कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

ठीक है, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जो इस सदन का मेम्बर नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाता। वह निकाल दिया जायेगा। आप बोलिये।

(बसपा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको रोक लीजिए नहीं तो मैं व्यवधान मचा दूंगा किसी को बोलने नहीं दूंगा। यह जितने हैं अकेले सबको समाप्त कर दूंगा। यह चोर बेइमान तबके के व्यक्ति हैं और उस सरकार से आये हैं चूंकि इनकी बात खरी-खोटी बताने जा रहा हूं, सुन लें, नहीं तो अभी 80 रह गये हो 8 रह जाओगो। अभी वहां सूपड़ा साफ हो गया है कल यहां भी सूपड़ा साफ हो जायेगा इस लायक नहीं रहोगे। अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित कीजिए। जब मैं बोलता हूं तो यह व्यवधान करते हैं।

(टोका-टाकी होने पर)

देख लीजिए अध्यक्ष जी, यही तो बात है न अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित करिये अध्यक्ष जी।

(शोर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी विभाग में जिस तरह से लूट हुई है आबकारी विभाग में प्रति पौआ, अद्धा, बोतल में ऐसा लूटा गया, ऐसा लूटा गया कि रुपयों की खान निकाली गयी और उस व्यक्ति ने आबकारी विभाग के साथ-साथ पूरे विभागों पर कब्जा कर लिया और खनन पर कब्जा कर लिया। वह सरकार चली गयी, इसके बाद समाजवादी सरकार आई, इसने पहले तो बड़ा अच्छा काम किया जैसे भाजपा ने किया था, उसी प्रकार काम किया। इसके बाद जो पीछे वाले करते गये, वही आगे वाले करते गये। यानि इस सरकार ने जैसा किया था वैसा ही आज भी हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन बढ़े हुये दामों का पैसा कहां जाता है, कौन ले रहा है, कहां जा रहा

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है। आपने देशी तो पिलाने की जगह बना दी, बियर और अंग्रेजी पियो और लेकर जाओ तो रास्ते में पुलिस वाला पकड़ ले। घर में मेहरिया पीने नहीं दे रही, रास्ते में पियो तो पुलिस वाले पकड़ कर बंद कर दें, अध्यक्ष जी, हमको तो लोगों को छुड़ाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इसकी भी व्यवस्था कर दी जाय, इससे सरकार को लाभ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और सरकार चाहती भी है कि माल खूब आवे और आबकारी विभाग से ज्यादा ही चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कर दें, कि हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर केवल शराब की दुकान कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपको इसका शौक है ?

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे कानपुर में तो इसे ठीक करा दें, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

जन्तु, उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वन विभाग के बजट पर समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तम प्रदेश बनाना है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, भदौरिया जी को धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सम्पूर्ण दृष्टिकोण आबकारी के मामले में और उसकी रुचि रख दी है, इसके लिये उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरी बीजेपी का रुख यहां रख दिया है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मैंने इस बात को इस उद्देश्य से नहीं कहा है बल्कि मैंने इस उद्देश्य से कहा कि जो ज्यादा बेइमानी हो रही है यदि वह ऐसा कर देगी तो इस सरकार को और लाभ मिल जायेगा। ऐसे इस सरकार को देखना चाहिये और यह बेइमानी नहीं होनी चाहिये और दुकान समय से खुले, समय से बंद हो और लोगों को लाभ मिले। सड़क पर पीकर जो व्यक्ति बदतमीजी करते हैं, महिलाओं और जनता के साथ, उनकी सुरक्षा हो, यह मेरी मंशा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप बैठिये।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तम प्रदेश हमारे मुख्य मंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनेगा, जब यह हरित प्रदेश होगा। इसलिये यहां जो आबादी बढ़ रही है और ग्रीन हाउस गैसेज का वायुमंडल में प्रतिशत बढ़ रहा है, पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका केवल यही निदान है और पर्यावरण तब शुद्ध हो सकता है जब हम पौधों को लगावें। इसीलिये जब हमारी सरकार बनी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने विभाग की जो पहली मीटिंग की तो उसमें निर्णय लिया जैसे कि पिछली बार जब हमारी सरकार बनी थी और माननीय नेता

जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जो पौधे लगेंगे वह आठ फिट लम्बाई से कम नहीं लगेंगे। वही निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने लिया और दो साल में 2012-13 में लगभग 4 करोड़ पौधों का रोपण हुआ और 2013-14 में भी पांच करोड़ पौधों का रोपण हुआ और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिलों में हरित पट्टियों का 50 एकड़, 100 एकड़ निर्माण हुआ। इसीलिये एक तरफ हरित पट्टियां बनाई गयीं और दूसरी तरफ ईको टूरिज्म में जितने भी पुराने वन विश्राम गृह थे, सबका उच्चीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। चाहे दुधवा हो, चाहे कतर्नियाघाट हो यहां तक कि सोहेलवा वन प्रभाग में भी, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी कभी-कभी वहां जाते है। उसका भी आधुनिकीकरण कराया गया।

श्री अध्यक्ष-

वन रेंज का क्या हुआ, उसको कराया कि नहीं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

इसके अलावा मान्यवर, जितने भी पक्षी विहार हैं चाहे अरगा पार्वती हो, चाहे लाखबहोसी पक्षी विहार हो चाहे हमारे यहां श्रावस्ती जनपद में सीताद्वार जो उपेक्षित था, जहां बौद्ध तीर्थस्थली है उसके 4-5 किमी0 दूरी पर, उसका भी सौन्दर्यीकरण किया गया है और यही नहीं मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम है कि लायन सफारी का निर्माण इटावा में हो गया है। परमीशन मिलने के बाद में एक पेयर जो गुजरात के लायन थे उनको तो पिंजड़े में रख दिया गया है दो पेयर और भी जाने वाले हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहां पर कुकरैल वन है जहां पर करीब 6 सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है, उस पर अवैध कब्जा हो रहा था। इसको आक्सीजन का खजाना कहा जा सकता है, लखनऊ में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है अट्टालिकाएं बन रही हैं ऐसी स्थिति में अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है, लोगों को बीमारियों से निजात दिलाना है तो इसके लिये हमारी सरकार ने सहमति दिया और कुकरैल की पैमाइश कर दी गई और बाउन्ड्रीवाल बन रही है। मान्यवर, पूर्वांचल में आज भी लखनऊ से बिहार तक चले जाइये, कोई भी चिड़ियाघर नहीं है, हमारी सरकार ने गोरखपुर में एक चिड़ियाघर के लिये बजट एलाट किया। जो लखनऊ और कानपुर का चिड़ियाघर है उसका उच्चीकरण हो रहा है। मान्यवर, देश की आजादी के बाद में आज तक वन विभाग में इतना काम अभी नहीं हुआ जो हमारी सरकार में हुआ है और इसका प्रतिफल यह है कि आज वन विभाग के लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मान्यवर, मानवीय दृष्टिकोण से भी वन विभाग को देखा गया है अगर वन विभाग के लोगों के साथ कोई घटना हो जाती थी जैसे कि किसी वन माफिया ने मार दिया या जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो उनके परिवार के लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी केवल उन्हें जो अनुमन्य होता था जी0पी0एफ0 इत्यादि का पैसा मिलता था लेकिन हमारी सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी ने वन विभाग के ऐसे आश्रितों के लिये 10 लाख रुपये का प्रावधान किया है और इससे वन विभाग के कर्मचारियों में दक्षता बढ़ी है और वह रात दिन मेहनत करके कटान को रोक रहे हैं। इनकी जब सरकार थी तब क्या हुआ, खजूर के पेड़ लगा दिये गये, पौधे की जगह पर टहनियां लगा दी गईं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। विभाग थोड़े लगा रहा था वह तो पार्क में लगा रहे थे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छा बजट है इससे पर्यावरण शुद्ध होगा, जिससे इकोटूरिज्म बढ़ेगा और इससे सुन्दरीकरण होगा। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि बसपा के जिन माननीय नेता ने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप वन्य जीव के भी मंत्री हैं दो हथिनी आपकी जो 12 फिट लम्बी हैं और उसके साथ एक है ये हमेशा जंगल से निकलकर हमारे यहां आ जाती है और पेड़ों को तोड़ती है इतना है कि यह लोगों पर हमला नहीं करती है। ये रात में आती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। क्या आप इन्हें जंगल में रुकवाने का काम करेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव-

क्योंकि इन्होंने पूरे प्रदेश में पत्थर के हाथी बना दिये हैं तो उसी के चक्कर में देखने वह भी आ जाती हैं कि शायद यह मेरे परिवार का है। मान्यवर, उसके लिये व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, वन्य जीव अधिनियम में वन विभाग कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है जिससे वन्य प्राणी को कोई नुकसान हो लेकिन वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है उसे किया जाता है इसीलिये कोई जानमाल का नुकसान नहीं हो रहा है। हाथियों को वन विभाग के लोग अपने तकनीकी स्तर पर कार्यवाही करके वापस कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

50 किलोमीटर दूर है और वह जब आ जाती है तो पूरा 4-6 किलोमीटर तक जाती है।

डा0 शिव प्रताप यादव-

मान्यवर, हाथियों का नेचर है कि अगर वह चली जाती हैं और गुड़ कहीं मिल गया तो चाहे दो-चार साल बीत गये हों वह वहां पहुंच जायेंगी, यह नेचर है हाथियों का। इसलिये मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कुंवर कौशल सिंह-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये हम आपके आभारी हैं। हमारा जिला महराजगंज लगभग एक तिहाई वनों से आच्छादित है और हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां 28 नर्सरियां हैं और उस नर्सरी के अन्दर रहने वाले लोग आदिवासियों का जीवन-यापन कर रहे हैं न उनके लिये पानी है और न उनके लिये छत है। हालत यह है कि वह जब घर बना लेते हैं तो टीन शेड डालते हैं, लिन्टर नहीं डलवा पाते हैं। हमारी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उन वन गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाए और राजस्व गांव घोषित करके हमारे देश की आजादी के बाद उनको भी इस माहौल में जीने की व्यवस्था प्रदान की जाए। दूसरा यह कहना है कि उसी वन सेंचुरी के अन्दर सोहगीबरवा वन सेंचुरी आता है जहां पक्षी विहार है और हालात यह है कि जब आदरणीय नेता मा0 मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और श्री भगौती सिंह जी वन मंत्री थे तो वहां पर सोलिंग की रोड़ें बनवायी गयी थी और उससे गांव के लोग, गांव के अन्दर जाते थे। आज हालात यह है कि वह सारी रोड़ें उखड़ गयी हैं बनवाने की कोई व्यवस्था नहीं

है। सरकार यही व्यवस्था कर दे कि विधायक विधायक निधि से उसको बना सकता है तब भी हम बनवाने में सक्षम हैं और जब से वन सेंचुरी हुई है तब से जानवरों की तादाद इतनी अधिक हो गयी है कि आपको तो हाथी ने परेशान कर दी और पार्टी में भी कभी हाथी परेशान करती है। लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों की फसल वन के जानवर एक साथ आते हैं और साफ करके चले जाते हैं। किसान रात-दिन बैठ करके रोते हैं उनकी फसलें घर नहीं जा पा रही हैं। हम यह भी चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप नहरों पर और सड़कों पर पेड़ लगा रहे हैं वहीं गोरखपुर के जंगल में इतनी भीषण कटान पिछली सरकार में हुई कि अगर कैम्पियरगंज जंगल से पांच मीटर आप आगे जायें तो जंगल के अन्दर आपको पेड़ नहीं मिलेगा। अगर उनके बूटों की गिनती करा ली जाए तो अन्दर ही अन्दर पांच-पांच कि0मी0 तक खाली पड़े हुए हैं। ऐसी दशा में हम चाहेंगे कि जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकार चला रही है, पुराने जंगलों को सुसज्जित करे और जंगलों के रख-रखाव के लिये बाड़ लगाने का प्राविधान किया जा सके जिससे जंगल की कटाई भी रुकेगी और जंगल के जानवर हमारे खेतों को भी नहीं चरेंगे। मैं यह भी वायदा कर रहा हूं कि अगर किसी कीमत पर सरकार यह व्यवस्था नहीं करती है तो मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं और सरकार यह व्यवस्था कर दे कि विधायक निधि से जंगल घेरवा सकता है तो किसानों के आंसुओं को देखते हुए मैं विधायक निधि से भी जंगल को घेरवाने के लिये तैयार हूं। दूसरी चीज यह कह रहा हूं कि जहां एक तरफ सरकार यह जान ले रही है कि जहां हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो फारेस्ट फोर की जमीन निचलौल के कटका में 45 एकड़ अभी एक महारथी ने कब्जा कर ली। सरकार अपनी ही जमीन को नहीं बचा पा रही है तो ऐसी दशा में हम यह चाहेंगे कि सरकार अगर जंगल को कटीले तारों से सुसज्जित करेगी तो यह जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो अभी तक लकड़ी काटते थे, अब जंगल कब्जा कर रहे हैं, इनसे कम से कम निजात मिलेगी। धन्यवाद।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

अध्यक्ष जी, मेरा दुद्धी विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहती हूं क्योंकि वहां पर पुरुष और महिला दोनों ही महुवा का शराब अवैध रूप से बनाते हैं, बार-बार पुलिस भी उनको परेशान करती है, इसकी वजह से चोरी-छिपे वह धन्धा करते हैं, इसको रोकने के लिये चूंकि महुवा स्वास्थ्य की दृष्टि से पुष्टिकारक होता है यदि सरकार गम्भीरतापूर्वक इसको संज्ञान में लेकर उनको लाइसेन्स जारी करे तो जो बेरोजगार युवक-युवती है उनको रोजगार भी मिलेगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरे, आपने मुझे वन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। हमारा उत्तर प्रदेश जो अनेक प्रकार के वन्यजीवों, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों का प्राकृतिक वास है। प्रदेश में मृदा एवं जलवायु के अनुकूल यहां पर बहुत सारे पेड़ शीशम, नीम, अमलताश, गुलमोहर, जैकरण्डा, शीरस, कंजी, आम, छितवन, बरगद, पीपल, पाकुर, मौलश्री, कचनार, इमली, बेल, महुवा सहित विभिन्न प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। समाजवादी सरकार बड़े एवं परम्परागत वृक्षों को लगवाने पर विशेष ध्यान दे रही है वन क्षेत्रों और आस-पास रहने वाले समुदायों का आर्थिक स्तर उन्नत करने एवं उन्हें वनों के विकास हेतु प्रबन्धन में शामिल करने हेतु 2223 संयुक्त वन समिति का गठन किया गया है। ताकि वनों का रख-रखाव अच्छी तरह

से हो सके हमारा जनपद सोनभद्र जिसमें 53 प्रतिशत वन आच्छादित जिला है हम जानते हैं कि जनपद सोनभद्र सोनांचल, वनांचल, ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र में बहुत पहले किसी समय रोज उड ब्लैक शीशम यह सब पाये जाते थे पर अभी के समय में यह कहीं भी देखने को नहीं मिलता और बड़े पैमाने पर वनों का कटान हो रहा है। मैं सरकार के संज्ञान में सुझाव के तौर पर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिला सोनभद्र जिसको सोनांचल, वनांचल कहा जाता था वहां पेड़ों के कटान पर रोक लगायें वहां पर भी बहुत कीमती पेड़ सागौन, खैर जिससे कत्था बनता है वह भी भारी मात्रा में पाये जाते थे पर अब देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात 2006 में वनाधिकार कानून भारत सरकार ने लागू किया था हमारा जनपद सोनभद्र गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी जो वनों की जमीन को वर्षों से जोतते-खोदते आ रहे थे बड़े अफसोश के साथ कहना पड़ता है कि आज भी उनको वह अधिकार जिस जमीन को 50 सालों से जोतते-खोदते आ रहे हैं उनको पट्टा नहीं मिला इसलिये हम सरकार से आशा और विश्वास करेंगे कि उन आदिवासियों को उनका हक दिया जाय ताकि आने वाले समय में...

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

उनको मालिकाना हक प्राप्त हो। हम लोगों का यह मानना है कि एक पेड़ सौ बेटों के बराबर होता है। यदि हम सब मिलकर पेड़ों को लगायेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण जो असंतुलित हो रहा है आप देखें कि जून का महीना बीत रहा है और बरसात कहीं भी दिखाई नहीं देती पर्यावरण बुरी तरह से असंतुलित हो चुका है। इस असंतुलन को रोकने का हम सबका दायित्व है। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने श्री नीरज कुशवाहा जी के द्वारा आबकारी विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो देशी शराब है इसको मध्यम लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग इसको खासतौर से पीते हैं और कच्ची खराब जो बड़े पैमाने पर निकाली जाती है। कच्ची शराब हमारे गरीब और मध्यम लोगों की मजबूरी है क्योंकि वह सुबह से शाम तक काम करते हैं मात्र 150 रुपये उनको मजदूरी के मिलते हैं। उसी डेढ़ सौ रुपये में उनको अपने परिवार की रोजी-रोटी और उसके साथ में उन्हें पीना भी पड़ता है। मैं सरकार से यह चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि न पिएं।

श्री रोशन लाल वर्मा-

जो अंग्रेजी शराब है उसके रेट बढ़ा दिये जाएं, देशी शराब उसके रेट घटा दिये जाएं इससे वह ज्यादा बिकेगी जिससे राजस्व भी ज्यादा प्राप्त होगा कच्ची शराब भी बन्द होगी अध्यक्ष जी इन्होंने अंग्रेजी शराब के रेट इसलिये नहीं बढ़ाये हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शराब कौन लोग पीते हैं। उसके ऊपर मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं।

यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो पहचाने नहीं जाते।
मंगाकर रोज पीते हैं लेकिन मयखाने नहीं जाते।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नीरज मौर्या जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए उसका समर्थन करता हूं और जो उन्होंने कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संत प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश और देश का भविष्य बच्चे और नौजवान हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो ईंट के भट्ठे लगे हुए हैं उन पर ईंट का काम कम शराब और खास करके स्वदेशी शराब का काम बड़े जोरों पर चल रहा है और उनका सीधा सम्बन्ध थाने के सिपाही और दरोगा से है मान्यवर। उनका महीना बंधा हुआ है। बच्चे कब नौजवान हुए और कब वृद्ध हो गये पता ही नहीं चल रहा है। वह इन भट्ठों पर जाते हैं और शराब पीकर अपनी जवानी को बर्बाद कर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ताड़ी भी आबकारी विभाग का एक मुख्य अंग है। जिसे मजदूर चुआते हैं और ताड़ी कहीं किसी स्थानीय स्थायी स्थान पर नहीं चुआई जाती मान्यवर। वह जंगल में, वनों में, पेड़ों में, खेतों में होते हैं और वहां पर मजदूर उसकी चुआई करते हैं मजदूर 50, 60, 70 फिट ऊपर चढ़ते हैं और यह थाने के सिपाही इन भट्ठे मालिकों के प्रभाव से आ करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनसे अवैध वसूली करना चाहते हैं। क्योंकि जब ताड़ी चूती है, ताड़ी निकलती है तो उस समय शराब के भट्ठों की बिक्री कम हो जाती है। इस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। विशेषकर गोरखपुर जनपद के बेलघाट खजुनी उरुवा सिकरीगंज थाना में एक बहुत तेजी से इसका प्रभाव रहता है। सीजन में अप्रैल, मार्च से लेकर जुलाई तक उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। एक तो मजदूर गरीब होते हैं, उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन वही ताड़ी उतारना होता है। उन्हें डंडे से पीटा जाता है जबकि उन्हें लाइसेन्स मिला रहता है। वह कहते हैं कि ताड़ी ले जा करके दुकान में बेचो। मान्यवर, ताड़ी किसी रास्ते से लेकर ही दुकान पर जायेंगे। रास्ते में उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पर डंडा बरसाया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये।

श्री संत प्रसाद-

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाई जाय। भट्ठे पर शराब पर नियंत्रण लगाया जाय जो ताड़ी उतारने का काम करते हैं पेड़ से गिरकर मर जाते हैं उन्हें कृषि बीमा योजना का लाभ दिलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकुट बिहारी जी, दो मिनट में अपनी बात कहें। जल्दी खत्म करना है। आफ्तारी का समय हो रहा है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, राणा साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मान्यवर, कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजीगरी दिखाई गई है वह भी कमाल की है। जो कहा गया लक्ष्य रखा गया था 41 हजार हेक्टेयर में और उसकी पूर्ति किया 74182 हेक्टेयर। टोटल 3 साल में 237502 हेक्टेयर में पेड़ लगा दिये गये। मान्यवर, जो पेड़ लगाये जाते हैं उसमें कितने प्रतिशत बचते हैं यदि इसके साथ आंकलन हो तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कितना बचता है कितना फर्जी है। कागजों में बहुत सारे पेड़ लगाये जाते हैं लेकिन बचे कितने हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह देखना अति आवश्यक है। दूसरा एक बिन्दु है बन्दोबस्त का। हमारे जनपद में 1952 में लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट आने के बाद बाहर से आकर बहुत सारे लोग बसे और बसने के बाद जंगल और उनके बीच का जो विवाद है वह तब से लेकर अब तक लगातार रेवेन्यू बोर्ड में, हाईकोर्ट में, लोवर कोर्ट से हजारों मुकदमें पेन्डिंग हैं। जबकि केवल बन्दोबस्त की व्यवस्था यदि सुनिश्चित कर दें तो बन्दोबस्त करने के बाद यह विवाद समाप्त हो जायेंगे। आज हजारों मुकदमें नीचे से ऊपर तक पेन्डिंग हैं लेकिन वन विभाग उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। ऐसे ही मान्यवर, वन ग्राम की समस्या है। हमारे यहां प्रतिवर्ष मान्यवर, आन्दोलन होता है वन ग्राम के लोगों का। क्योंकि उनको न तो मनरेगा की सुविधा मिलती है, न खाद्यान्न की सुविधा मिलती है। रेवेन्यू विलेज की तहत मिलने वाली सुविधाओं में से कोई सुविधा नहीं मिलती है या तो उनको रेवेन्यू विलेज की तरह सुविधा देने की घोषणा कर दी जाय अन्यथा वन मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपा करके उन्हें जो सुविधा मिलती है वन ग्रामों को भी यह सुविधा मिले।

अध्यक्ष जी, ठीक इसी प्रकार से एक और समस्या है। मान्यवर, जंगल के अन्दर जो गांव हैं, वहां के रहने वालों की आज जो सबसे बड़ी दुर्गति है, हमारा जिला 848 वर्ग किलोमीटर जंगल से घिरा हुआ है, कोई महीना नहीं बीतता कि एक या दो बच्चे शेर से मारे न जाते हों, कोई न कोई शिकार होता है, हाथी रौंदते हैं। लेकिन उसके बारे में कोई सक्षम कार्यवाही, कोई सक्षम रीति-नीति सरकार की सुनिश्चित नहीं है। हर महीनें कोई न कोई बच्चा मरता है। इसलिये सरकार से अपेक्षा है कि वहां के निवासियों की सुरक्षा की कोई प्रभावी योजना बनाये ताकि वहां के निवासियों के जीवन की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिये।

मंत्री जी अब आप जवाब दे दीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, उपभोक्ताओं को मानक के अनुसार और गुणवत्ता मादक उचित मूल्य पर दी जायेगी।

श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो वन है, उसमें बहुत तेजी से कटान हो रहा है, इस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, यह दोनों बजट बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैंने आबकारी के बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखा था। सरकार से केवल यही अपेक्षा करते हुये कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, नौजवान है, वह न बहकने पायें और उनके हाथ में जो बियर का डिब्बा दिखायी पड़ता है उसकी जगह कलम और किताब हो, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,55,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,47,91,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[06.16] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष जी, इस संशोधन विधेयक में बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। व्यापारियों की एक लम्बे समय से चली आ रही मांग थी।

उनको समेटने का प्रयास किया गया है लेकिन वाणिज्य कर आयुक्त महोदय ने वाणिज्य कर विभाग की जो जमीनी समस्यायें है जिन्हें केवल नियमों और नियमावलियों में परिवर्तन करके ही ठीक किया जा सकता है उनकी ओर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया है। इसलिये नहीं किया है कि यह उनके विभाग के अधिकारियों के लिये आर्थिक लाभ का विषय है। यह मैं बहुत साफ-साफ कह रहा हूं। जैसे मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर चीजों को रख दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। जैसे जब विभाग रेट में परिवर्तन करता है तो यह रेट में परिवर्तन अचानक कर देता है और साथ ही जिस दिन करता है उसी दिन से लागू कर देता है। जैसे अगर किसी व्यापारी को यह पता नहीं है कि रेट में परिवर्तन हुआ तो वह पुराने दर से वह अपने बिल को लेता रहता है। और अचानक परिवर्तन किसी दिन लागू कर दिया गया तो रेट में जो परिवर्तन का अंतर आया तो व्यापारी उसको वसूल नहीं पाता है तो स्वाभाविक रुप से यह पैसा व्यापारी को अपने जेब से देना पड़ता है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि यह व्यवस्था की जाय कि रेट में परिर्वन का जो नोटीफिकेशन हो उसका एक निश्चित समय दिया जाये कि कितने दिनों के बाद यह लागू होगा जिससे कि व्यापारियों का यह नुकसान न हो। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, जब व्यापारी अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनका केस फाइल खुलता है तो उसकी नोटिस आज के ई फाइलिंग के जमाने में या तो ई नोटिस होनी चाहिए या कम से कम डाक से होनी चाहिए यह नोटिस आज भी मैनुअली भेजी जाती है। और मैनुअली भेजने के नाम पर जो खेल चल रहा है वह यह है कि कह दिया जाता है कि गये थे देने कोई मिला नहीं। और नोटिस नहीं मिली और एक्स पार्टी डिसीजन हो गया। और एक्स पार्टी डिसिजन होने के बाद व्यापारी को अपना केस रिओपेन कराना पड़ता है। आज के इस युग में किसी चिट्ठी की मैनुअल डिलीवरी हो इसका कोई लाजिक नहीं है। और यह व्यवहारिक जीवन की बहुत आसान-आसान सी चीजें हैं जिसे ठीक किया जाये तो हम लोग विभाग के बहुत से भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं। इसी तरह हम दावा तो इस बात का करते हैं कि हम व्यापारियों से ई फाइलिंग करायेंगे लेकिन आप अगर विभाग के रिकार्ड खुलवाकर दिखवा लें तो चूंकि विभाग को सही तरीके से ट्रेंड नहीं किया गया है, व्यापारी तो ई फाइलिंग कर देता है लेकिन अधिकारियों की समझ में वह ई फाइलिंग आती नहीं है। और अधिकांशतः व्यापारियों से यह कहा जाता है कि ठीक है तुमने ई फाइल कर दिया, अब तुम इसका मैनुअल फाइल करो। यानी वह बेचारा ई फाइलिंग भी करता है और मैनुअल फाइलिंग

भी करता है। तो अध्यक्ष जी, यह प्राविधान किया जा सकता है कि जिन व्यापारियों ने ई फाइलिंग कर दी अगर वह अधिकारी उनसे मैनुअल फाइलिंग मांगते हैं तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी तरह से अध्यक्ष जी, 2008 में यह अधिनियम लागू हुआ। उस समय यह कहा गया कि जिनका टर्नओवर 50 लाख तक होगा उनका समाधान एक बार में हो जाएगा। 2008 से लेकर आज 2014 आ गया। 06 साल गुजर गये। यह जो टर्नओवर 50 लाख का है अब यह काफी कम हो गया। इस टर्नओवर एमाउंट को बढ़ाना चाहिए और यह प्राविधान होना चाहिए कि जिन व्यापारियों के बिजनेस का टर्नओवर एक करोड़ के आसपास है उन्हें लेखा कहीं खाता ऐसा रखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, जो असिस्मेंट आर्डर होता है उसको देने का एक लिमिटेशन पीरियड तो है कि एक बार केस खुल गया तो इसमें आपको 6 महीने में फैसला देना हैं अधिकांशतः हो क्या रहा है। अधिकारी समय से फैसला नहीं देते, बैक डेट में फैसला देते हैं और बैक डेट में फैसला देने के बाद उनको फिर से रिवाइज करना पड़ता है। आप रिकार्ड खुलवाकर दिखवा लें तो आपको पता चलेगा कि विभाग में बड़ी संख्या में केसेज हैं जिनको व्यापारियों को इसी आधार पर पुनः खुलवाना पड़ता है। मा0 अध्यक्ष जी, जो फाइलें व्यापारी जमा करते हैं जब उनका केस ओपेन होता है तो उनको फाइलें नहीं मिलती हैं।

क्योंकि रिकार्ड कीपिंग विभाग ही बहुत पुअर है, ई-फाईलिंग के जमाने में और जब फाईल नहीं मिलती तो अधिकारी कहता है कि ठीक है हम कुतवा कर दे रहे हैं और एक एसेस्मेण्ट हो जाता है। बाद में वही फाईल मिल जाती है और उसका फिर से रि-एसेस्मेण्ट होता है, यानी एक बार वह पैसा देकर फंसता है और दोबारा फिर उसको पैसा देना पड़ता है। इसी तरह से अध्यक्ष जी कभी-कभी जब ये अधिकारी आर्डर निकालते हैं, तो उसमें कुछ एपरेन्ट गलतियां होती है, जैसे दो-दूनी चार, अब उन्होंने जोड़ दिया दो-दूनी पांच, दिखती है कि यह गलत है, इन्कमटैक्स विभाग में अगर कोई एपरेन्ट गलती है तो उसको रिवाइज करने का प्राविधान है, हमारे इस विभाग में अगर कोई एपरेन्ट गलती हो गई, तो व्यापारी इसको भी रिवाईज नहीं करा पाता है। एक अन्य चीज जो टी0डी0एस0 के मामले में है, जैसे इन्कमटैक्स में टी0डी0एस0 कटती है, वैसे ही सेलटैक्स में टी0डी0एस0 कटती है, अगर इन्कमटैक्स की टी0डी0एस0 हमने जमा कर दिया, बैंक ने टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट नहीं दिया और हमने इन्कमटैक्स डिपार्टमेण्ट में शिकायत कर दी, तो इन्कमटैक्स डिपार्टमेण्ट 100 रुपया प्रतिदिन उस बैंक से पेनाल्टी चार्ज करता है, इस विभाग में यह प्राविधान नहीं है और इस नाते जो लोग टी0डी0एस0 जमा भी कर देते हैं, चूंकि वह टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो नुकसान व्यापारी का होता है। जो प्राविधान इन्कमटैक्स के अन्दर है कि टी0डी0एस0 सर्टिफिकेट न देने पर इन्कमटैक्स विभाग, उस विभाग को 100 रुपया पेनाल्टी लगा देता है, व्यापारी का नुकसान नहीं होता है, वही प्राविधान यहां भी करना चाहिए कि अगर हमने टी0डी0एस0 जमा किया और डिपार्टमेण्ट ने टी0डी0एस0 टैक्स नहीं दिया तो व्यापारी की कोई जिम्मेदारी है नहीं, इसलिए इन्कमटैक्स की तरह वहां पर भी पेनाल्टी लगा दी जाय। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय एक इसमें धारा-25 है, जिसके अन्तर्गत प्रोवीजनल एसेस्मेण्ट होता है। अब यह अध्यक्ष महोदय प्रोवीजनल एसेस्मेण्ट अधिकारी के विवेक पर है कि जिसका चाहे प्रोवीजनल कर दे। यह प्रोवीजनल्टी का विवेकाधिकार खत्म होना चाहिए। सरकार को यह नियम बता देना चाहिए कि किन व्यापारियों का किस आधार पर प्रोवीजन एसेस्मेण्ट होगा, जिससे

कि व्यापारियो का शोषण न होने पाये। मा0 अध्यक्ष महोदय, यदि किसी व्यापारी ने अपना रिटर्न फाईल किया, इन्कमटैक्स में यह प्राविधान है, उसे लगा कि उसने ज्यादा इन्कमटैक्स दिखा दिया, तो उसको अपना इन्कमटैक्स रिवाईज करने का अधिकार है, सेल्स टैक्स में यह है कि एक महीने के अन्दर रिवाईज करो। एक महीने का समय इतना कम होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है। जब आप उसका एसेसमेण्ट एनुवल करते हैं, तो कम से कम उसको एक साल का अन्तर दीजिए कि वह अपने रिटर्न को एक साल के अन्दर रिवाईज कर सके और अन्तिम चीज अध्यक्ष जी, किसी भी विभाग में आज के युग में माना जाता है कि एक शिकायत निवारण सेल होनी चाहिए, कहीं कोई शिकायत करे तो उस पर कार्रवाई हो। आप पता करियेगा, इस विभाग में कहीं कोई शिकायत कार्रवाई होती ही नहीं है। एक अजीबोगरीब विभाग है, लोकतंत्र में आज यह कैसे चल रहा है, यह समझ में नहीं आता है, इसलिए एक शिकायत निवारण सेल वहां बनाया जाना चाहिए और उसकी मानीटरिंग होनी चाहिए। मैं अपनी बातें समाप्त करुंगा इन सुझावों के साथ, इस अधिनियम का एक मुद्दे पर कड़ा विरोध करता हूं और वह मुद्दा है उपकर का लगाया जाना। इस सरकार ने इस अधिनियम की धारा-3 में एक प्राविधान किया है कि प्रत्येक व्यवहारी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन संदेयकर के अतिरिक्त पेट्रोल या डीजल या दोनों की बिक्री पर 05 रुपये प्रति लीटर अनधिक की दर से तथा बिक्री के ऐसे बिन्दु पर जिसे राज्य सरकार गजट के द्वारा अधिसूचित करे, उपकर के भुगतान का अधिकारी होगा। अध्यक्ष महोदय हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर वैट की। यह अधिनियम एक सेस की बात कर रहा है, 05 रुपये प्रति लीटर अधिक से अधिक और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अधिनियम बनाने वालों को जानना चाहिए कि वह क्या बना रहे हैं। सेस एक ऐसा शब्द है मा0 अध्यक्ष जी, जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है।

आप किसी से भी राय लीजियेगा, बतायेंगे। एजुकेशनल सेस, एक्साइज सेस, इरीगेशन सेस, यह सेस हमेशा टैक्स पर लगाया जाता है और परसेण्टेज में होता है। जैसे इन्कम टैक्स अगर 10 परसेण्ट है और एजुकेशनल सेस अगर डेढ़ परसेण्ट है तो 10 लाख पर 1 लाख इन्कम टैक्स और 1500 रुपये सेस है। यह मैंने पहला सेस पढ़ा है जो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है, जो परसेण्टेज में नहीं है। सेस का एक नियम है, सेस जब भी लगाया जाता है तो यह बताया जाता है कि यह सेस क्यों लगाया जा रहा है। सेस के पहले लिखना होता है एजुकेशनल सेस, इरीगेशन सेस। यह पहला सेस है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सेस तो हम लेंगे लेकिन क्यों ले रहे हैं, यह बाद में बतायेंगे तो न तो ये सेस है, न ये नियमों के अन्तर्गत है। यह टैक्स है जो सरकार सेस के बहाने बता रही है कि 5 रुपये प्रति लीटर का मतलब होता है डीजल के लिये 14 परसेण्ट और पेट्रोल के लिये तकरीबन कम से कम 10 परसेण्ट। सरकार इस अधिनियम के द्वारा टैक्स में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। मैं इसका गंभीर विरोध कर रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी का कि उन्होंने यद्यपि अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है और उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का, सदस्यों के नाम बाद में दिये जाने का प्रस्ताव इसमे रखा है लेकिन उन्होंने अलावा अपने अन्तिम आज के इस संशोधन प्रस्ताव पर बोलते हुये आपने आखिरी पैरा के अलावा जो भी संशोधन प्रस्तावित है इस विधेयक में,

उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है और कोई संशोधन रखा नहीं है। इसके लिये उनको मैं धन्यवाद दूंगा और मैं ऐसा समझता हूं कि वह बहुत प्रमुख सदस्य हैं और वे समझते हैं इस बात को कि यह संशोधन कितना आवश्यक था। यह कितना अच्छा संशोधन है जिस पर आगे किसी चर्चा की, किसी संशोधन की गुंजाइश नहीं है। चूंकि इसके किसी प्राविधान पर उन्होंने टिप्पणी की नहीं है। मान्यवर, अगर मैं इस पर सदन का समय जाया करुं कि ये कितना अच्छा है और क्यों हमने किया है तो मैं समझता हूं कि बहुत उपयोगी नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि 2008 में जब ये वैट का कानून लागू हुआ इस प्रदेश में, राजनैतिक परिस्थितियां कुछ भी रही हों जिनमें ये वैट लागू हुआ हो, अब हम पीछे पलट कर उसमें नहीं जाना चाहते लेकिन तब जब ये लागू हुआ था तो एक बात से मैं आपकी पूर्णतया सहमत हूं कि न इसकी पूरी ट्रेनिंग, न इसकी पूरी समझदारी। बदलाव तो हो गया वैट आ गया। व्यापारी से हम इसकी बात की अपेक्षा करें कि वह कानून पूरी तरह से जाने लेकिन अधिकारी पूरी तरह से जाने कि नहीं जाने, इसके बारे में भी मान्यवर गारण्टी किया जाना मजबूती से संभव नहीं है। मैं अपनी ओर से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा कि नहीं, नहीं सब बहुत काबिल है, बिल्कुल ठीक जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कारण क्या है। यह कानून ऐसा आया जिसका एक माडल एक्ट गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया से आया, सभी स्टेट्स ने लागू किया। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मा0 मुलायम सिंह यादव जी, हमारे नेता जी जब मुख्यमंत्री थे तो वैट का स्वीकार किया जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि ये व्यापारियों के हित में प्रतिकूल है। हम वैट स्वीकार नहीं करेंगे और इसका प्रतिवाद करके उन्होंने वैट को स्वीकार नहीं किया। बाद में जो सरकार आयी उस सरकार ने वैट अपने यहां लागू किया, वैट चलने लगा लेकिन कई व्यतिक्रम इसमें ऐसे रह गये जो मान्यवर, उस समय अधिनियम के चलते भी व्यतिक्रम था और अधिकारियों की भी समय-समय पर जितनी समझदारी जिन बिन्दुओं पर जितनी साफ होनी चाहिये थी, स्वीकार करने में मुझे कोई कठिनाई है कि असेस्मेण्ट अफसर से लेकर के उसके ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथारिटी तक पूरी तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित होने से बचाने का कोई प्रयास प्रशासनिक स्तर पर नहीं किया जा सका, जो निश्चित रुप से किया जाना चाहिये था। व्यापारी से हम टैक्स ले सकते हैं, कर हम व्यापारी से लेते हैं लेकिन उसको उत्पीड़ित करने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिये जो हमारे कर के अधिनियम है उसमें। जो कर की चोरी करे उस पर होना चाहिये। इसलिये मान्यवर, यह सारा संशोधन आया है और इसमें प्रत्येक स्तर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें पूरा प्रयास किया गया है कि अगर डिफिनिशल के क्लाज में कोई गड़बड़ी रह गयी थी तो उसको कैसे ठीक किया जाये। जैसे किसी सवाल पर ये वैट का ऐक्ट अगर खामोश है और उसका दुरुपयोग ये होता था कि फर्स्ट अपील के अगेन्स्ट भी आप ट्रिब्यूनल में चले जा रहे हैं और ज्वाइण्ट कमिश्नर के खिलाफ भी आप ट्रिब्यूनल में चले आ रहे हैं तो उसके विभिन्न चरणों में यह तय किया गया कि हर स्टेज पर आप नहीं जायेंगे। आपकी कोई स्टेज होगी उसी स्टेज पर आप जायेंगे।

मान्यवर, इसी प्रकार एक और बड़ी गड़बड़ी होती थी जैसे कोई कारोबार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया और सामान रह गया घर में अब कल की तारीख में वह करें क्या, तो बाद में उसको बेचता था वह, तो वह कारोबार की परिभाषा में नहीं आता था, उस समय कहता था कि हम तो कारोबार नहीं कर रहे और दण्ड उसको देना पड़ता था, कई बार पकड़ जाता था, दूसरी बातें होती थी, तो उसे भी परिभाषा में रखा। एक और स्थिति आई मान्यवर, एक व्यापारी जो सिंगल

प्रोपराइटरशिप वाला जो कारोबार है, जिसमें अकेले एक आदमी प्रोपराइटर है और अपना काम कर रहा है, व्यापारी उसकी मृत्यु हो गयी, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के साथ ही उसका पंजीकरण, उसका सारा रजिस्ट्रेशन, उसका टिन, उसका डीन सब खत्म। अब उसके बच्चे उस सामान का क्या करें, उस व्यापार का क्या करें तो वे नये पंजीकरण के लिये जाते थे और नये पंजीकरण के लिए जायें तो पुराना स्टाक का क्या हो इसलिए मान्यवर, इस बार यह प्राविधान कर दिया गया है कि उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, अब उसको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, उसी के रजिस्ट्रेशन पर वह अपना उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और उस कारोबार को वह यथानुसार ठीक अगली स्टेज से उसको चालू रख सकेगा। इसी प्रकार मान्यवर, इसमें जो तमाम व्यक्ति थे, कई चीजें ऐसी थी, जो उस सूची में होनी चाहिए थी, इस सूची में आ गई, कई चीजें ऐसी थी मान्यवर, जो कामन कोड मैं अभी उसका टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रहा हूं था, उसका तमिलनाडु में कोई दूसरा नाम है, और उसका उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नाम है, कहीं और तीसरा नाम है। उसके लिए हमने अपनी व्यवस्था बनायी कि अब हम अपना कोड बनायेंगे और अपने ही कोड के हिसाब से लोगों को चीजें दी जायेंगी और ली जायेंगी। एक जो बात आपने आखिर में सेस वाली कही है, उसी पर मैं आता हूं, एक ही प्राविजन आपने प्रश्न किया, बाकी कोई प्राविजन प्रश्न नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उद्देश्य बताना चाहिए तो पहली बार बताते हैं आपको आप पढ़ लीजिए उसमें, उसमें बाकायदा संशोधन में है, जानबूझ करके नहीं पढ़ा होगा, मैं समझता हूं। जानबूझकर इस सदन को नहीं बताया होगा, हम उस पर कोई सेस लगाने नहीं जा रहे हैं पहली बात, हम एक प्राविजन कर रहे हैं, इनएबिलिंग प्राविजन ताकि हम आज अमेण्डमेंट करके सरकार को ये अधिकार देने जा रहे हैं इस विधेयक के इस प्राविधान की मदद से कि सरकार को जब सेस लगाने की आवश्यकता हो, तो उद्देश्य भी नोटिफाई करे और प्रतिशत भी नोटिफाई करे और जितना परसेन्ट हमको मान्यवर, जिस सीमा तक लिया जाना है। पांच रुपया नहीं है, पांच पैसा भी हो सकता है, वह अधिकतम सीमा पांच रुपया है। पांच रुपया नहीं है आप फिर से पढ़ लीजिए, यह इनएबिलिंग एक्ट है। सिर्फ यह कि सरकार को सक्षम बनाया जाए कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि इतना सेस अमुक उद्देश्य से इस पर लिया जायेगा और यह इसमें है, डाक्टर साहब आप देखिएगा सेक्शन-3 में देखिएगा 3(2) उपधारा के अधीन उपकर का उद्ग्रहण एवं भुगतान केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जिस राज्य सरकार के द्वारा उद्ग्रहित किया जाये या ऐसी रीति से किया जाये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। तो जो आपकी शंका थी, उस शंका का निवारण हो गया है, न हमने कोई अंधाधुन्ध सेस लगाया है, न पांच रुपया बढ़ाया है, बढ़ाया जिसने उसका अगर जिक्र करते कि कल की रात 89 पैसा डीजल पर बढ़ाया, 1 रुपया 69 पैसा पेट्रोल पर बढ़ाया अगर इसका जिक्र करते और कहते कि हम प्रभु नाश हो उसका, जिसने रात-रात में बढ़ाया, सवेरे-सवेर बढ़ाया, दोपहर बढ़ाया तो मुझे अच्छा लगता कि भाई आपको मंहगाई बुरी लग रही है। सच यह है मान्यवर, जिसने बढ़ाया है उसका तो जिक्र नहीं है, हम ये सिर्फ जो संशोधन लेकर मान्यवर, आए हैं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 इसके माध्यम से जो ये सारे प्राविधान करना चाहते हैं और इसमें ऐसा कोई भी प्राविधान हमने ऐसा नहीं किया है, जो समस्याओं को जटिल करने वाला हो या कठिनाई बढ़ाने वाला हो। एक प्रकार से यह कठिनाई निवारण का संशोधन अधिनियम है, मैं समझता हूं आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेकर सर्वसम्मति से इसको पारित करना चाहिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी मंशा है कि जिसने रातो-रात टैक्स बढ़ाया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करुं कि उसका नाश हो। मेरी तो यह प्रवृत्ति और सोच भी नहीं है। मैं इसको अपने ऊपर क्या अपने मित्रों के ऊपर भी लागू नहीं कर सकता क्योंकि अगर करुंगा तो तीन जून, 2014 को जब इस सरकार ने 13 पैसा डीजल पर और साढ़े पन्द्रह पैसा पेट्रोल पर अचानक सरचार्ज बढ़ा दिया था रातों रात तो यह तो उनके ऊपर भी लागू हो जायेगा। इसलिए अध्यक्ष जी, यह सब मैं नहीं करुंगा। इनका काम है, ये करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-20 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) धारा-2 के खण्ड (ग) का उपखण्ड (एक), धारा-7 एवं धारा-10 दिनांक 01 जनवरी, 2008 से प्रभावी मानी जायेगी एवं अवशेष उपबन्ध दिनांक 26 मई, 2014 से प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा-2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(चार) कारबार बन्द होने के पश्चात् किया गया संव्यवहार, यदि ऐसे माल के विक्रय से संबंधित है, जिन्हें उस अवधि में अर्जित किया गया हो जबकि कारबार चल रहा था।''

(ख) खण्ड (ज) के उपखण्ड (नौ) के स्थान पर निम्न उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(नौ) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गो आपरेटर), कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।''

(ग) खण्ड (कछ) में,-

(एक) उप खण्ड (एक) में शब्द ''विक्रय आवर्त'' के स्थान पर शब्द ''विक्रय या क्रय या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त'' रख दिए जायेंगे।

(दो) उप खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(चार) धारा 3-ख के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की धनराशि।''

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,-

(क) सारिणी में, क्रमांक 8 में स्तम्भ-2 में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाइडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टनीय न पाया जाए या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, या धारा 52 के अधीन यथा उपबन्धित दस्तावेज रखने में और यथाविहित प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफल रहता है।''

(ख) स्पष्टीकरण (1) में शब्द और अंक ''उपधारा (5)'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उपधारा (4)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 3-क संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-क में,-

(क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (5) को निकाल दिया जायेगा।

नई धारा-ख का बढ़ाया जाना

5--धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

''3-ख (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त पेट्रोल या डीजल या दोनों की बिक्री पर पांच रुपये प्रति लीटर से अनधिक दर पर तथा बिक्री के ऐसे बिन्दु पर जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट मे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, उपकर के भुगतान का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपकर का उद्ग्रहण एवं भुगतान केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए या ऐसी रीति से किया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।''

धारा 4 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक हटा दिया जायेगा।

धारा 6 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः-

''(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर के बदले में जो व्यवहारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के संबंध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, इस अधिनियम के अधीन देय हो सकती है, या तो एक मुश्त या विक्रय या क्रय या दोनों जैसी भी स्थिति हो, के आवर्त पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा का निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने के पश्चात राज्य के भीतर माल के पुनः विक्रय का एकमात्र कारबार करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ है, तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं :

प्रतिबन्ध यह और भी है कि कर की दर में कोई परिवर्तन, जो ऐसी सहमति के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो सकता है, एकमुश्त या कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में, जबकि परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, सहमत दर से समानुपाती परिवर्तन करने के परिणाम स्वरुप होगा।''

नई धारा 8-क का बढ़ाया जाना

8--मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः-

8-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और धारा 54 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या नियमों या उसके अधीन निर्गत अधिसूचना के अधीन निर्धारित मिथ्या या गलत प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दूसरे व्यक्ति को जारी करता है जिसके कारण इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति, क्रय या विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर उद्ग्रहणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर उद्ग्रहणीय रह जाता है, उस धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय पर कर के रुप में देय होती, यदि ऐसा प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी नहीं किया गया होता :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन देय धनराशि के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जायेगा और न ही अनुमन्य होगा।

स्पष्टीकरण : जहां प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र जारी करने वाला व्यक्ति क्रय किए गए माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए कोई कर देय न होगा या रियायती दर से देय होगा, से भिन्न प्रयोजन के लिए करे तो प्रमाण-पत्र या घोषणा पत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिए गलत समझा जाएगा।

धारा 13 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(1) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''(11) जहां कर निर्धारक अधिकारी को यह प्रतीत हो कि इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि असत्य है या विश्वास के योग्य नहीं है, वहां ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् और ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् वह लिखित रुप से आदेश करके यथास्थिति, इनपुट टैक्स की धनराशि या इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का अवधारण कर सकता है।''

(ख) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

''(12) जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के कारण या कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण संबंधी सर्वोत्तम न्याय की दशा में खरीद के बढ़ाये गये आवर्त पर उद्ग्रहीत कर के जमा किए जाने से या अन्यथा, इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि परिवर्तित हो जाती है, वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब को तद्नुसार संशोधित कर दिया जायेगा।''

धारा 17 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (दो) में,-

(क) उपखण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''(च) कारबार का स्वामी है और ऐसा कारबार ऐसे स्वामी के अक्षम होने या मृत्यु हो जाने के कारण उसके मालिकों के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है।''

(ख) शब्द ''ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार'' के स्थान पर शब्द ऐसे साझेदारी कारबार के भागीदार या उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारीगण, जैसी भी स्थिति हो रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 28 में उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का सकल आवर्त पच्चीस लाख रुपये से या ऐसी अधिक धनराशि जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, से अधिक नहीं है, वहां कमिश्नर ऐसे व्यापारियों की लेखाबहियों या अभिलेखों का परीक्षण करके वार्षिक कर निर्धारण के लिए व्यापारियों को चयनित करने के लिए मानक एवं रुपात्मकता अवधारित करेंगे:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 26 में निहित किसी बात के होते हुए भी प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन चयनित न किए गए व्यापारी कर निर्धारण वर्ष, जिसमें समेकित विवरणों के अनुलग्नक को दाखिल करने का निर्धारित दिनांक पड़ता है, के उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिनांक को कर निर्धारित किये गये माने जायेंगे।''

धारा 29 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (12) में, शब्द एवं अंक ''धारा 28 में यथाविहित'' के स्थान पर शब्द ''इस धारा में यथा उपबन्धित'' रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 33 में उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात्:-

''स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, किसी कर अवधि या कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वीकृत रुप से देय कर की गणना धारा 15 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसमें धारा 8-क के अधीन देय धनराशि सम्मिलित होगी।''

धारा 42 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 42 में, उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

''(15) (क) कमिश्नर हकदारी प्रमाण-पत्र को आदेश द्वारा, करमुक्ति या कर की दर की कमी की अवधि के समाप्त होने के पूर्व अथवा पश्चात्, संशोधित या निरस्त कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि-

(1) कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के स्थान पर वापसी की सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किया गया है जिसके फलस्वरुप गलत धनराशि की वापसी हो गयी हो;

(2) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर की छूट अथवा कर की दर में कमी के परिप्रेक्ष्य जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा रद्द अथवा संशोधित कर दिया गया हो;

(3) हकदारी प्रमाण पत्र को दुर्व्यपदेशन के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि हकदारी प्रमाण-पत्र को व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन पारित आदेश इसमें विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पारित कोई आदेश उन घटनाओं के घटित होने के पूर्व के दिनांक से प्रभावी नहीं होगा जिनके कारण हकदारी प्रमाण-पत्र को संशोधित या निरस्त किया गया है।

(ग) धारा 57 एवं धारा 58 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (क) में पारित आदेश अन्तिम होगा।''

धारा 48 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (5) में शब्द ''ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक'' के स्थान पर ''ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक अथवा ऐसे माल के मूल्य पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, जो भी अधिक हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(क) उपधारा (2) में,-

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''ऐसे घोषणा पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जाय, अपने साथ रखेगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे सम्यक रुप से भरे हुए घोषणा-पत्र या दस्तावेज, जैसे विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा'' रख दिये जायेंगे

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द ''ऐसे प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे सम्यक रुप से भरे हुए प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाय, को इसी तरह अपने साथ रखेगा'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द ''रोकने'' के स्थान पर शब्द ''अभिग्रहण'' रख दिया जायेगा।

धारा 54 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 5 एवं 6 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्र0 सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
5	जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार- (एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी में विफल हो गया हो या जानबूझकर जारी न किया गया हो; या (दो) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल का क्रय करते समय जानबूझकर कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से प्राप्त नहीं किया गया हो; (तीन) क्रय बीजक जारी नहीं किया है;	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत,जो भी अधिक हो।
6	व्यवहारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार माल के सम्प्रेक्षण या परिदान के संबंध में चालान, अन्तरण बीजक या परिवहन मेमों जारी करने में विफल हो गया हो;	माल के मूल्य पर संदय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(ख) क्रम संख्या 14 एवं 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थातः-

क्रम सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
14	जहां, यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति- (एक) (क) ऐसा माल; या (ख) ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित प्रसंस्कृत या पैक किये गये माल; के विक्रय पर कर संदाय के अपवंचन की दृष्टि से धारा 50 या धारा 51 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का आयात करता है या आयात करने का प्रयास करता है या उसके आयात का दुष्प्रेरण करता है; या	(क) पंजीकृत व्यवहारी के मामले में- (एक) माल के मूल्य का 15 प्रतिशत यदि माल अनुसूची-दो अथवा अनुसूची-तीन में वर्णित प्रकार का है; (दो) माल पर उद्ग्रहणीय कर की दर का दोगुना, यदि माल अनुसूची-पांच में वर्णित प्रकार का है;

(1)	(2)	(3)
	(दो) इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कराधेय माल का परिवहन करता है, परिवहन करने का प्रयास करता है;	(तीन) माल के मूल्य पर संदेय कर के बराबर की धनराशि, यदि माल पर कर की दर 40 प्रतिशत से अधिक है; (चार) किसी अन्य मामले में माल के मूल्य का 40 पंजीकृत। (ख) पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति के मामले में, माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।
15	जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति- (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है, या (तीन) ऐसा व्यक्ति होत हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य के बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है, या (4) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो :	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

(ग) क्रमांक-21-ख की प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टयां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :-

क्र0सं0	त्रुटि	शास्ति की धनराशि
(1)	(2)	(3)
21-ख	जहां यथास्थिति, व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां संव्यवहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति, कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल मूल्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो।	माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

धारा 57 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 57 में,-

(क) उपधारा (4) में शब्द और अंक ''धारा 42'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 42 की उपधारा 3 और उपधारा 15'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) में खण्ड (घ) में, शब्द और अंक ''धारा 42 के अधीन पारित आदेश'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 42 के अधीन कमिश्नर द्वारा पारित आदेश'' रख दिये जायेंगे।

धारा 70 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :-

''70-राज्य सरकार इस अधिनियम की किसी अनुसूची की किसी प्रविष्टि में वर्णित वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी या अनुसूची-पांच में समाहित वस्तुओं के लिए वस्तु कोड समनुदेशित कर सकती है।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2014

20--(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इनको हमारा 13 पैसा तो याद रहा और अपना एक रुपया उनहत्तर पैसा याद नहीं रहा है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[06.41] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 01 जुलाई, 2014 की बैठक में सिफारिश की है कि दिनांक 02 जुलाई, 2014 को निर्धारित अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) की मांगों पर विचार एवं मतदान से सम्बन्धित मद अब दिनांक 07 जुलाई, 2014 को ली जाय।

शेष कार्यक्रम यथावत रखा जाय।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकास कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

[06.41] जनपद बरेली के अनेकों मुहल्ले में लकड़ी की बल्लियों पर केबिल डाल कर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली महानगर के संजयनगर, गोपालनगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी

आदि आस-पास के मुहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर, की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर, विद्युत आपूर्ति की जायं।''

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

मान्यवर, यह चर्चा जारी रखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह जारी रहेगी।

[06.42] नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी कु0 ललिता बोस द्वारा दायर रिट याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में फैजाबाद निवासी गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी के सम्बन्ध में आयोग का गठन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अनेकों मा0 सदस्यों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत अधिसूचित आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा का स्थगन

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)-

मान्यवर, यह चर्चा जारी रखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, यह विषय एक वर्ष से लम्बित है और टल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जब मैं सदन में मौजूद रहूं तो इस पर चर्चा करा दी जाय। मैं बीच में बीमार था इसलिए बाहर चला गया था।

श्री अध्यक्ष-

यह कैसे तय हो सकता है। आप चाहे तो इसके लिए डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी को इसके लिए प्राधिकृत कर दें।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, हमारे उपनेता श्री अनीसुर्ररहमान जी है। वह बोल लेंगे। इसी सत्र में आप इस पर चर्चा करा दें।

[06.43] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 01-07-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री जगपाल की सहारनपुर में चाटका से सरगथल के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की गोरखपुर के ग्राम सभा झगहां में चकबन्दी में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के अन्तर्गत बालपुर बाजार के पास टेढ़ी नदी पर पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना श्री ममतेश शाक्य की सिंचाई खण्ड कासगंज के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों में धन की अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद हाथरस के अलीगढ़ आगरा रोड पर तालाब चौराहे स्थित रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री गजराज सिंह की हापुड़ नगर में कन्या विद्या धन से सम्बन्धित प्राप्त चेकों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के मुगलसरांय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा

नवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद-गोरखपुर की तहसील-गोला के कतिपय ग्रामों एवं कस्बों में विद्युत की सुचारु रूप से व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती है :-

क्रमांक	नाम
1	श्री सतीश महाना,
2	श्री मनीष असीजा,
3	श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू,
4	श्री दलवीर सिंह,
5	श्री विजय बहादुर यादव,
6	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,
7	श्री रामहेत भारती,
8	श्री गुटियारी लाल दुबेश,
9	श्री उमाशंकर,
10	श्री भीम प्रसाद सोनकर
11	श्री अनुग्रह नारायण सिंह
12	श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
13	श्री राकेश बाबू,
14	श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
15	श्रीमती कृष्णा पासवान,
16	श्री संजय कपूर,
17	श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह,
18	श्री रोशन लाल वर्मा,

क्रमांक	नाम
19	डा0 अरूण कुमार,
20	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
21	श्री पंकज कुमार मलिक,
22	श्री प्रदीप माथुर,
23	श्री सुदेश शर्मा,
24	श्री रविदास मेहरोत्रा,
25	श्री प्रदीप चौधरी,
26	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
27	श्री सुशील सिंह,
28	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
29	श्री संजय प्रताप जयसवाल
30	श्री धर्मपाल सिंह,
31	श्री गयादीन अनुरागी,
32	श्री अजय कुमार लल्लू,
33	श्री अमर पाल शर्मा,
34	श्री सुरेश बंसल
35	श्री बजरंग बहादुर सिंह,

क्रमांक	नाम
36	श्री रामचन्द्र यादव,
37	श्री कालीचरन सुमन,
38	श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
39	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
40	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
41	श्री सन्तराम कुशवाहा,
42	श्री अनिल कुमार,
43	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप

क्रमांक	नाम
44	श्री राजबली जैसल,
45	श्री सुरेश कुमार खन्ना,
46	श्री जगन प्रसाद गर्ग,
47	श्री अगयश रामसरन वर्मा,
48	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
49	श्री संत प्रसाद,
50	श्री राधेलाल रावत,
51	श्री उमेश पाण्डेय तथा
52	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट।

[06.46] लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में अवैध पार्किंग स्थलों पर अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में भी अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, श्री अगयश राम सरन वर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 26-6-2014 को यह सूचना दी गयी है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कि नगर क्षेत्रों के अन्तर्गत वाहनों की अवैध पार्किंग स्थलों की भरमार है, जिन पर अनुचित रूप से अधिकाधिक किराया, गुण्डागर्दी एवं जबरदस्ती से वसूली की जाती है तथा अनावश्यक गुण्डागर्दी करके जबरदस्ती भी वसूली किये जाने में लिप्तता है। यह भी संज्ञान में आया है कि वैध रूप से स्थापित पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त नगर क्षेत्र की अधिकारियों से सांठ-गांठ करके अवैध रूप से ढेर सारे पार्किंग स्थल स्थापित किये गये हैं। उचित होगा कि प्रत्येक वैध पार्किंग स्थल पर अधिकृत ठेकेदार का नाम, पंजीकरण संख्या, ठेके की अवधि तथा किराये की दरें आदि का प्रदर्शन किया जाना चाहिये और किराये की पर्ची पर भी यह समस्त विवरण उल्लिखित होना चाहिये। इन विवरणों के उल्लेख विहीन पार्किंग स्थलों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके अवैध पार्किंग स्थलों को समाप्त किया

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाना चाहिये। झलकारी बाई चिकित्सालय हजरतगंज, विवेकानन्द हास्पिटल निरालानगर, भारती स्टेट बैंक निशातगंज तथा सरकार डायग्नोस्टिक इन्दिरानगर आदि-आदि अवैध पार्किंग स्थलों की नगर निगम में बाहुल्यता है और सामान्यता ऐसे पार्किंग स्थल अवैध वसूली करने में लिप्त है, जिनका संचालन नगर निगम के अधिकारियों के सांठ-गांठ से संचालित हो रहा है तथा इन अवैध पार्किंग स्थलों के संचालनकों के साथ पुलिस की भी संलिप्तता है। नगर निगम द्वारा अधिकृत पार्किंग स्थलों की ठेकेदारी की सूची, स्थान सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ शहर में वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जबकि इसके सापेक्ष पार्किंग स्थलों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समुचित पार्किंग स्थलों के अभाव में बाजारों, कार्यालयों, बैंक, अस्पताल तथा जनता से जुड़े प्रतिष्ठानों के सामने लम्बी कतार लग जाती है। इन स्थलों पर बेसमेंट/मल्टीलेवल पार्किंग न होने के कारण जनता द्वारा वाहन सड़कों पर बेतरतीब खड़े कर दिये जाते हैं। अतः उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों के सामने खड़े वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिये नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष पार्किंग के ठेके उठाये जाते हैं। इन पार्किंग स्थलों को ठेका सार्वजनिक निविदा के माध्यम से कराया जाता है। जिन स्थानों का मा0 विधायक जी द्वारा दी गयी सूचना में दिया गया है, उनका विवरण निम्नवत् है :-

1	झलकारी बाई चिकित्सालय, हजरतगंज।	यह अस्पताल नगर निगम के जोन-1 के अन्तर्गत पड़ता है। इसका ठेका नगर निगम द्वारा नहीं बल्कि चिकित्सालय द्वारा उठाया गया है।
2	विवेकानन्द अस्पाल, निराला नगर।	इस स्थल के ठेका नगर निगम जोन-3 के द्वारा उठाया गया है। ठेकेदार का नाम श्री मयंक मेहरोत्रा है।
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, निशातगंज	इस क्षेत्र का नगर निगम, लखनऊ द्वारा कोई पार्किंग ठेका उठाया नहीं गया है।
4	सरकार डायग्नोस्टिक सेन्टर	इस स्थल पर पार्किंग का संचालन सरकार डायग्नोस्टिक सेन्टर द्वारा किया जाता है, जिसके बदले में उनके द्वारा नगर निगम को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
5	इन्दिरा नगर सेक्टर-25 में शेरवुड एकेडमी के सामने सड़क पटरियों पर।	इस स्थल का ठेका नगर निगम जोन-4 के द्वारा उठाया गया है। ठेकेदार का नाम श्री विनीत कुमार सक्सेना है।
6	भूतनाथ मन्दिर के सामने स्थित तिकुनिया पार्क के अन्दर पार्किंग।	इस स्थल का ठेका निगम जोन-4 के द्वारा उठाया गया है। ठेकेदार का नाम श्री मनोज कुमार लाल है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर निगम द्वारा शहर में, जो पार्किंग ठेके उठाये गये हैं, वह सड़क एवं फुटपाथ पर बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के

उद्देश्य से उठाये गये हैं। उक्त ठेकों के संचालन से नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त होता है। उक्त के अतिरिक्त जिन स्थलों पर नगर निगम द्वारा पार्किंग के ठेके उठाये गये हैं, उसकी सूची पटल कार्यालय में रख दी गयी है।]

जनपद बलिया के रसड़ा अन्तर्गत राजकीय बालिका विद्यालय के भवन को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय विधायक द्वारा दी गयी सूचना में...

जन्तु उद्यान मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[यह उल्लेख किया गया है कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा में राजकीय बालिका विद्यालय अपने स्थापना काल सन् 1986 में किराये के भवन से शुरू होकर वर्तमान में खाली पड़ी पुरानी जर्जर तहसील भवन में संचालित है। पुरानी तहसील भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जहां पर विद्यालय बनाने हेतु जिलाधिकारी ने अपनी संस्तुति भी दिया है, भवन न बनने से बालिकाओं एवं स्कूल कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। राजकीय बालिका विद्यालय एक लम्बे अर्से से अपने निजी भवन की आस में है। मा0 सदस्य द्वारा विद्यालय के भवन न बनने एवं किसी संभावित दुर्घटना से बचने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा अपने पत्र दिनांक 19-06-2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज रसड़ा बलिया के भवन निर्माण हेतु उप जिलाधिकारी, रसड़ा के आदेश दिनांक 26-03-2014 द्वारा ग्राम महराजपुर के आ0सं0 114 मि0 रकबा 0.690 हे0, 117 मि0 रकबा 0.522 हे0 योग 2 गाटा रकबा 1,212 हे0 भूमि बंजर के खाते से निरस्त करके राजकीय बालिका इण्टर कालेज का नाम अंकित कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा रु0 334.14 लाख का आगणन प्रेषित किया गया है। उक्त आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के माध्यम से तकनीकी परीक्षण कराकर नियमानुसार धनराशि स्वीकृत कर उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसमें मैं बता रहा हूं कि सारी जमीन चिन्हांकित कर दी गयी है पैक्सफेड को पैसा भेज दिया गया है जल्द से जल्द वह निर्माण हो जायेगा।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, यह विद्यालय राजकीय...

श्री अध्यक्ष-

इन्हीं को दे दीजिये बनाने को, अपना बनायेंगे तो ठीक बनायेंगे।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, मेरी बात सुन ले।

श्री अम्बिका चौधरी-

अब क्या अब तो आदेश हो गया अध्यक्ष जी का।

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, यह विद्यालय राजकीय कन्या इन्टर कालेज रसड़ा के लिये स्वीकृत हुआ था और जमीन एस0डी0एम0 साहब ने दिया है ग्राम सभा महराजपुर में।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या करोंगे नहीं रसड़ा में मिला होगा तो बगल में दे दिया होगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, महराजपुर और रसड़ा में अब कोई अन्तर ही नहीं रह गया है जहां ब्लाक है वहीं महराजपुर है। कोई रसड़ा से दूर नहीं है रसड़ा शहर के बिल्कुल नजदीक है। उसमें कोई अन्तर नहीं है बनवाइये खुब बढ़िया बनवाइये।

श्री उमा शंकर-

ठीक है।

[06.45] जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर के ग्राम राहाटीकर एवं पूरे नौती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ ....

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नौती इटैला के समीप में कोई चिकित्सालय नहीं है जिसके कारण उक्त दोनों स्थलों पर जनहित में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, इन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा सुलभ

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है, इसके साथ ही साथ समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने की वजह से कभी-कभी चिकित्सीय सुविधा न मिलने के कारण इलाज के अभाव में छोटी से छोटी बीमारी भी भयंकर रूप धारण कर लेती है और लोगों की असामयिक मृत्यु तक हो जाया करती है। जनहित में उपरोक्त दोनों स्थलों पर एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समय रहते चिकित्सा की सुविधा मिला सके, और उनके जीवन को बचाया जा सके। इस अंचल में कोई अन्य चिकित्सालय न होने एवं उपरोक्त दोनों नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अभी तक न होने के कारण लोगों में निराशा तथा चिन्ता व्याप्त है और उनमें रोष है। अतः लोक महत्व इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/निर्माण हेतु नयी नीति शासनादेश संख्या-305/पांच-6-14-एस0एन0डी0-50/08, दिनांक 11-02-2014 द्वारा निर्गत कर दी गयी है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रति 30 हजार की जनसंख्या पर तथा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मध्य 05 किमी0 दूरी होने पर एक नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/निर्माण कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

3-उक्त नीति के आधार पर जनपदीय आवश्यकताओं का आंकलन कर नये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरान्त निःशुल्क भूमि उपलब्धता संबंधी सुसंगत अभिलेखों सहित नये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन के पत्र दिनांक 12-02-2014 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें से किया गया है।

तद्नुसार जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नौती इटैला में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना/निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद मऊ के सूरजपुर से मोलनापुर मिश्रौली तक जर्जर रिंग बांध की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना..

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड-दोहरीघाट एवं ब्लाक फतहपुर मण्डॉव के अन्तर्गत सूरजपुर से मोलनापुर मिश्रौली तक रिंग बांध स्थित है उक्त बांध अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। बांध कई जगह से कमजोर हो गया है, जिससे कारण उक्त बांध में बरसात के समय कई जगह से पानी निकलता रहता है, जिसके कारण उक्त बांध के टूटने का सम्भावना बनी रहती है। वह क्षेत्र पूर्णतया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ के समय हजारों गांव तबाह हो जाते है। बरसात होने के पूर्व यदि उक्त बांध की मरम्मत नहीं करायी गयी तो वह बांध कभी भी टूट कर भारी तबाही का कारण बन सकता है। जिससे अपार जन धन की क्षति होने की सम्भावना बनी रहती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उक्त जर्जर बांध की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु शासन स्तर से बांध के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

2-श्री उमेश पाण्डेय, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है :-

सिंचाई खण्ड मऊ के अन्तर्गत सूरजपुर से मौलनापुर मिसरौली तक हाहा नाला रिंग बांध निर्मित है, जिसकी कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। विगत वर्ष कि0मी0 2.55 से 4.00 कि0मी0 तक पुनर्स्थापना का कार्य दैवी आपदा मद से प्राप्त धनराशि से कराया गया था। प्रश्नगत मौलनापुर मिसरौली के पास बांध के पुनर्स्थापना हेतु दैवी आपदा मद के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में कि0मी0 0.00 से 07.00 तक, कि0मी0 1.800 से 1.900 कि0मी0 तक की परियोजना लागत रु0 21.83 लाख प्रक्रियाधीन है। शेष रीच में बांध ठीक हालत में है।]

जनपद रामपुर के तहसील विलासपुर से तहसील रुवार मार्ग तथा सैजनी नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ....(व्यपगत)

(श्री संजय कपूर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह उपस्थित नहीं है।

जनपद बदायूं के उसावां उसैहत, दातागंज आदि क्षेत्रों में ई0ओ0 की मिली भगत से दबंगों द्वारा की जा रही वसूली के सम्बन्ध में सिनोद कुमार शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य..(व्यपगत)

(श्री सिनोद कुमार, शाक्य का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

इनका रोज चौथे पांचवे दिन आता है मैं इनको पहचान भी नहीं पाता हूं।

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, यह पहचान लीजिये कि यह नोटिस देकर के नहीं आते हैं।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब इनका लिया नहीं जायेगा, इनकी जगह कोई दूसरा देता होगा।

जनपद संतकबीर नगर के अधिशासी अभियन्ता, सरजू नहर खण्ड द्वारा काश्तकारों की भूमि के प्रतिकर का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों के बदले जाने के सम्बन्ध में काली चरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के...

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम बतीसा, अठहपैरा, मुडेरा, जरूवाकटरा, बाइ खेड़ा, टपरा नगला, आनन्दी देवरी, भोगलपुरा, धमौटा, सेमरीताल ककरारी, कबूलपुर नगला सीसिया महल, लखनपुर रोहता, इटौरा जउपुरा सत्यम् पुरम् देवरोठां आदि गांवों में विद्युत तार जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण हैं। आये दिन तार टूटने के कारण घटना घटती रहती है जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत पूछे गये संदर्भित ग्रामों में जहां कहीं पर विद्युत तार जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण स्थित में पाया जा रहा है वहां निरीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये यथासंभव धन की उपलब्धता के अनुरूप तारों को बदलने हेतु कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद मथुरा के कस्बा बाजार स्थित पायल थियटर की अपील पर मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कासगंज के अमापुर क्षेत्रान्तर्गत सहावर में तहसील परिसर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 49 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

दिनांक 01 जुलाई, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0-72 का उत्तर पीछे पृष्ठ-53 पर)

संख्या-72 का संलग्नक

विधान सभा क्षेत्र का नाम	चयन वर्ष	विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्राम का नाम
पयागपुर	2014-15	जरवल	अन्भापुर
पयागपुर	2014-15	जरवल	चिलौली
पयागपुर	2014-15	पयागपुर	दुहेलवा
पयागपुर	2014-15	हुजूरपुर	रामपुर
पयागपुर	2014-15	हुजूरपुर	बसन्तपुर
पयागपुर	2014-15	हुजूरपुर	बनपुरवा
पयागपुर	2014-15	विशेश्वरगंज	भवानीपुर बनकट
पयागपुर	2014-15	विशेश्वरगंज	सुल्तानामाफी
पयागपुर	2014-15	विशेश्वरगंज	तेन्दुआ कबीर
पयागपुर	2014-15	विशेश्वरगंज	कटोरवा

पी0एस0यू0पी0एल0-180 विधान सभा (314)-11-11-2014-823 प्रतियां।